स्वदेशी पत्रिका

वर्ष-15, अंक-11, कार्तिक-मार्गशीर्ष 2064, नवम्बर, 2007

संपादक

विद्यानंद आचार्य

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011-26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 से मुद्रित।

टंकण एवं सज्जा : **प्रेम जोया**

आवरण लेख - 4

अजुर्न सेन गुप्ता आयोग ने सरकार को असंगठित क्षेत्र को बचाने के लिए व्यावहारिक सुझाव दिये हैं। दुर्भाग्यवश सरकार ने जो कानून का प्रारूप तैयार किया है उसमें आयोग के सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया है।

कॅवर पेज

अनुक्रम

आवरण लेख

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के विकास के मॉडल का भंडाफोड़
- रुद्रदत्त 4

सामयिकी

संकटों के जाल में उलझता आम आदमी
- शिवाजी सरकार 11

कृषि

जैव आतंकवाद की दस्तक
- देवेन्द्र शर्मा 13

लेख

गरीबी मिटाना अमीरों की भी जिम्मेदारी
- डॉ. अश्विनी महाजन 15

राज्य

भ्रष्टाचार की चपेट में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- परशुराम राय 17

आथिरापल्ली भी प्लाचीमाडा की राह पर
- स्वदेशी संवाद 20

अर्थव्यवस्था

खुदरा व्यापार में बड़ी मछली का प्रवेश
- कमल नयन काबरा 21

राष्ट्र

राष्ट्रवाद और समरसता से ही विश्व शक्ति बनेगा भारत
- डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल 24

आन्दोलन

जमीन और पेट की लड़ाई है ''जनादेश यात्रा''
- कश्मीरी लाल 26

सत्याग्रह का रास्ता हमें गाँधीजी ने सिखाया है : पी.वी. राजगोपाल
- स्वदेशी संवाद 29

स्वास्थ्य

नोवार्टिस की खोखली धमकी के मायने
- कुमार के. एम. गोप 30

रपट

अर्थव्यवस्था का भारतीय मॉडल ही एक मात्र विकल्प - एस.गुरूमूर्ति
- स्वदेशी संवाद 32

पर्यावरण

ग्लोबल वार्मिंग का भारत पर प्रभाव
- डॉ. भरत झुनझुनवाला 33

संस्कृति

जागो फिर से भारतवासी
- निरंकार सिंह 35

संस्मरण

लोगों को कोरी स्लेट समझ लिया गया
- धर्मपाल 38

पाठकनामा 2

समाचार परिक्रमा, डब्ल्यूटीओ 40 - 44

पाठकनामा

महंगाई से कैसे मिले निजात?

महंगाई इस देश की सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है, यदि कहें कि सारे अपराधों की जड़ आज महंगाई है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि महंगाई के इस दौर में एक आम आदमी के लिए अपराध की दुनिया में प्रवेश करना उसकी मजबूरी बन चुकी है। देश में जहां एक ओर खाद्यान्न और फल एवं सब्जियों के कुल उत्पादन और उत्पादकता में लगातार वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर आम आदमी को प्रतिदिन उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद्दारी में महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली कई वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जनता के लिए एक दुःखद खबर है कि आम आदमी को महंगाई से जल्दी निजात नहीं मिलेगी ऐसा मानना है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ (आईईजी) का। आज के समय में बढ़ते हुए 'मनीफ्लो' के कारण महंगाई की दर 3 प्रतिशत तक लाना संभव नहीं हो रहा है इसलिए आम जनता को महंगाई की मार अभी झेलनी पड़ेगी। देश में हरित क्रांति के बाद यह पहला अवसर है कि जब अनाज और दालों की उपलब्धता न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है फिर भी आम आदमी की थाली में दाल–रोटी, सब्जी की मात्रा कम होती जा रही है, यह सोच का विषय है। केन्द्र सरकार इस विषय पर गंभीरता के साथ विचार करें तभी आम जनता को महंगाई से निजात मिल सकेगी।

नरेन्द्र उर्फ नन्हें शर्मा, मदनपुर खादर, नई दिल्ली

❑❑❑❑

बंदर बने मौत का कारण

धार्मिक मान्यता के अनुरूप आज जिन बंदरों को हनुमान का स्वरूप मानकर उनकी पूजा होती है, उन्हें खिलाना पिलाना एक धर्म माना जाता है, लेकिन उन्हीं बंदरों के कारण दिल्ली के उप–महापौर सविंदरजीत सिंह बाजवा को असमय मौत का शिकार होना पड़ा जो हम सबके लिए दुखद घटना है। अब प्रश्न यह है कि आखिर इस तरह की मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। क्योंकि प्रशासन की ढिलाई व लापरवाही से ही न केवल बंदर बल्कि आवारा पशुओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। उपमहापौर की मौत अत्यंत दुखदाई व दिल्ली नगर निगम के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। आवारा पशुओं की वजह से न जाने कितने लोग मौत के शिकार हो चुके हैं और न जाने कितने अपंग और घायल होकर कष्ट उठा रहे हैं। आवारा पशुओं का मुद्दा आज सर्वोपरि है, लेकिन नेता और अफसर बहरे व अंधे हैं।

के. दीपा, जे.एन.यू., दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

वामदलों ने मुझे नीचा देखने पर मजबूर किया है। इससे मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। एटमी करार पर हो रही तकरार को लेकर मैं शर्मसार महसूस कर रहा हूं।

मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

सत्ता में लौटने पर भाजपा राष्ट्रीय हितों के मुताबिक परमाणु करार पर अमरीका से दोबारा वार्ता करेगी।

लालकृष्ण आडवाणी
वरिष्ठ भाजपा नेता

जल, जंगल और जमीन का अधिकार पाए बिना हम लौटने वाले नहीं हैं। आदिवासियों ने मन बना लिया है कि जमीन दो या जेल दो।

पी.वी. राजगोपाल
प्रसिद्ध गांधीवादी एवं जनादेश पदयात्रा के प्रमुख

हमारे पास धरती के रूप में एक ही ग्रह है और इसे बचाना है। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में हमारे पास उपलब्ध जरूरी जानकारियां आशा की एकमात्र किरण हैं।

आर.के. पचौरी,
अध्यक्ष, आई.पी.सी.सी.

राजनीति में अच्छे और ईमानदार लोगों की जरूरत है, इसलिए युवाओं को राजनीति से उदासीन नहीं रहना चाहिए।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति

ऑस्ट्रेलिया जो कुछ करते हैं वह सामने नहीं आता है, लेकिन भारतीय कुछ करते हैं तो उसे खुर्दबीन से देखा जाता है।

एस. श्रीसंत
भारतीय क्रिकेटर

अमीरों का साथ एवं गरीबों को लात और गोली

राशन दुकानों में व्याप्त भ्रष्टाचार कहने के लिए तो पूरे देश में फैला हुआ है लेकिन वामपंथ शासित राज्य पश्चिम बंगाल में जो वीभस्त स्वरूप उभरकर आया है उससे वामपंथियों के मुहं पर गरीबों, पिछड़ों का हितैषी होने का लगा मुखौटा हट चुका है। आम आदमी के हितों की परवाह करने वाले लोगों एवं दलों में पहले नम्बर का स्थान रखने का दावा करने वाले वामपंथ शासित पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार आम आदमी राशन दुकानदारों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन पर उतारू हो गया है वह लंबे समय से सुलग रहे आम आदमी के आक्रोश की ज्वालामुखी का विस्फोट ही है। यह बात पहले भी कही जा रही थी और अब साबित भी हो गई कि यदि आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं हैं तो पश्चिम बंगाल में जारी सरकारी लाभ योजना के भागीदार नहीं हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 20370 राशन डीलरों में लगभग सभी वहां की सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक दल के अधिकारी या सदस्य हैं। इनका उपयोग गांव स्तर पर राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता रहा है। इस सत्य का भंडाफोड़ होने के बाद इन राशन दुकानदारों के विरुद्ध आम आदमी सड़कों पर उतर आए। पेट का सवाल था, भीड़ हिंसक हो उठी। राशन की दुकानों को लूटा गया। माक्सर्वादी राशन डीलरों द्वारा प्रतिरोध करने पर आम जनता ने उन्हें पीटा। पुलिस ने गोलियां चलाईं और सिंगूर एवं नंदीग्राम की तरह निर्दोष लोगों के खून से पश्चिम बंगाल की धरती एक बार फिर लाल हो गई। तथाकथित जनवादी सरकार के गढ़ में आम आदमी कितना खुशहाल है इसका प्रमाण वहाँ की राशन दुकानों पर हो रहे हमले देते हैं।

दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जन वितरण प्रणाली गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए सस्ती खाद्य सामग्री, तेल, कपड़ा आदि प्राप्त करने का साधन बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से सत्ता में बने रहने का लाभ उठाते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार एवं पार्टी ने जिस प्रकार जनवादी मुखौटा लगाकर अघोषित तानाशाही चला रखी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। 16 सितम्बर को राशन दुकानों पर पहला हमला हुआ। बाँकुड़ा से शुरू हुई यह घटना फैलती ही जा रही है। लोगों में राशन डीलरों के विरुद्ध इतना गुस्सा है कि अब तक 5 से अधिक डीलरों ने आत्महत्या कर ली है। स्थितियाँ साफ बता रही हैं कि गरीब लोगों के पास आक्रमण के सिवा दूसरा विकल्प नहीं बचा था। राशन दुकानों पर हो रहे आक्रमण से जब वामपंथी सरकार का जनवादी मुखौटा हटना शुरू हो गया तब वे अपनी गलती मानने की बजाय आरोप–प्रत्यारोप पर उतर आए। लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि उनके यहाँ राशन सामग्री की कालाबाजारी क्यों हो रही थी? यह कालाबाजारी पश्चिम बंगाल में सरकारी देखरेख में कई वर्षों से हो रही थी। पिछले तीन वर्षों में लगभग 31,585.98 करोड़ रुपये की राशन सामग्री जो निर्धनतम व्यक्तियों के लिए दी गई थी राशन दुकानों से लापता हो गई। 2006–07 में लगभग 11,336.98 करोड़ रुपये के गेहूं और चावल राशन दुकानों से कालाबाजारी के तहत सीधे या तो बाजार में पहुंच गए या सीमा पार बंगलादेश चले गए। करोड़ों रुपये की गरीबों के दाना–पानी की कालाबाजारी बिना सरकार की जानकारी के हो रही थी, यह विश्वास करना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल सरकार का केन्द्र सरकार पर यह आरोप भी मनगढ़ंत और सत्य पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को जारी कोटे में कटौती कर दी गयी है। दूसरे ही दिन भारतीय खाद्य निगम ने इस आरोप का भंडाफोड़ यह कह कर किया कि राज्य सरकार के पास दो महीनों के लिए राशन वितरण मद में पर्याप्त सामग्री पहले ही आवंटित हो चुकी है। स्पष्ट है कि खाद्यान्न आवंटन में परिवर्तित नीति अभी लागू नहीं हुई है, जिसकी दुहाई वामपंथी सरकार दे रही है। वामपंथ का यह दोमुँहापन ही है कि केन्द्र में नाभिकीय करार जिससे आम आदमी का कुछ भी लेना देना नहीं है, उस पर सरकार को गिराने की धमकी तक दी जा रही है, जबकि जन हित की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण जनवितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुँह से चूँ तक नहीं निकलती है। यह वामपंथ की निरंतर घटती लोकप्रियता एवं नैतिक अधःपतन की पराकाष्ठा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था की भी यह देन है। जैसे–जैसे राशन की दुकानों एवं खुले बाजार के भाव में अंतर बढ़ता जा रहा है खाद्यान्नों की कालाबाजारी जोर पकड़ रही है। देश में खाद्यान्न असुरक्षा को लेकर पहले से ही बहस चल रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने भी स्वीकार किया कि उनके यहाँ वितरित गेहूँ की गुणवत्ता जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। ऐसे माहौल में आम आदमी खासकर निर्धनतम तबका, जिसकी दैनिक आय 9–20 रुपए (असंगठित क्षेत्र उद्यमों के राष्ट्रीय आयोग के मुताबिक) है, उसका भयभीत होना स्वाभाविक है। वह आसमान छूती महँगाई भरे बाजार से चावल, गेहूँ, दाल और नमक खरीद पाने में अक्षम है। जनवितरण प्रणाली में सस्ती दरों पर मिलने वाला राशन उसके परिवार के भरण–पोषण का आधार है। उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार उन गरीब लोगों के पेट पर लात मारने के समान है। कहा गया है कि ''बुभुक्षितः किं न करोति पापम्''। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार का जनवादी मुखौटा सिंगूर के बाद राशन घोटाले में एक बार पुनः उतर चुका है और उसके पीछे छुपी हुई पूंजीवादी राजनेताओं की काली करतूतें दिखाई दे रही है। ''जनवादी'' एवं ''आम आदमी'' की हितैषी पार्टियाँ केन्द्र और राज्य में सत्तासुख भोग रही हैं और गरीब आदमी लात एवं गोलियाँ खा रही है। इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाए, कम है। यदि समय रहते सरकार नहीं चेतती तो गरीबों की हाय से सरकार का अंत निश्चित है।

असंगठित क्षेत्र पर अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रपट

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के विकास मॉडल का भंडाफोड़

■ रुद्रदत्त

असंगठित क्षेत्र उद्यमों पर गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अर्जुन सेन गुप्ता ने देश की वर्तमान दयनीय दशा का वर्णन अपनी रपट में जिन शब्दों में किया है वह चौंकाने वाली है। इस रपट ने एक बार फिर वर्तमान विकास के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या 1 अरब से अधिक आबादी वाले इस देश में आर्थिक विषमता बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था को जारी रखना न्यायोचित है? क्या विकास प्रक्रिया से वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा का हक नहीं मिलना चाहिए? पढ़िये रपट का समग्र विश्लेषण एवं मूल्यांकन मूर्धन्य अर्थशास्त्री प्रो. रूद्रदत द्वारा।

''**इसमें** कोई संदेह नहीं कि 'चमकते भारत' का पिछले कुछ वर्षों में विस्तार हुआ है और यह अब भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। परन्तु यह तस्वीर उस समय खराब हो जाती है जब हमें देश के 77 प्रतिशत गरीबों और दुर्बल वर्गों की अत्यन्त दयनीय रूप में जीवन व्यतीत करने की दशाओं का पता चलता है। ... यह दूसरी दुनिया है जिसे आम आदमी की दुनिया कहा जा सकता है। विकास–प्रक्रिया ने मोटे तौर पर इस वर्ग की उपेक्षा ही की है।'' योजना आयोग द्वारा स्थापित विशेष ग्रुप (2004) ने इस परिस्थिति को सुधारने के लिए कहा था ''इस परिस्थिति से उबरने का एक ही रास्ता है – असंगठित क्षेत्र की उत्पादिता और रोजगार की गुणवत्ता को उन्नत करना होगा। इसका अभिप्राय यह कि उन नीतियों को कार्यान्वित करने के सभी

प्रयास करने होंगे जो इस क्षेत्र के सीमाबन्धनों को तोड़कर ऐसी शक्तियों को कायम करते हैं, जिससे इस क्षेत्र का विकास त्वरित हो सके। इसके लिए इस क्षेत्र के विकास के लिए हमवार मैदान सुनिश्चित करना होगा।''

असंगठित क्षेत्र का स्वरूप

राष्ट्रीय आयोग ने असंगठित क्षेत्र में रोजगार का अनुमान तैयार किया है। जनवरी 2005 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार (प्रमुख और सहायक) 45.8 करोड़ था जिसमें असंगठित क्षेत्र का भाग 39.5 करोड़ था अर्थात् 2004–05 में कुल श्रमिकों का 86 प्रतिशत।

तालिका 1 में दिए गए आकड़ों से पता चलता है कि कुल 4,575 लाख श्रमिकों में स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों का अनुपात 56.5 प्रतिशत था (2,582 लाख) और आकस्मिक श्रमिकों का 28.3 प्रतिशत (1,297 लाख) है। इन दो वर्गों को यदि एक साथ लें, तो ये दो वर्ग जो श्रमिकों में सबसे दुर्बल वर्ग हैं का अनुपात–लगभग 85 प्रतिशत बैठता है। शेष 695 लाख श्रमिक (15 प्रतिशत) नियमित श्रमिक हैं।

किन्तु असंगठित क्षेत्र में कुल 3,949 लाख श्रमिकों में, स्व–रोजगार प्राप्त श्रमिकों का अनुपात 64 प्रतिशत (2,531 लाख) है। कुल मिलाकर ये दो निर्बलतम वर्ग कुल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का लगभग 93 प्रतिशत थे। नियमित श्रमिकों का अनुपात केवल 7 प्रतिशत था। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दयनीय परिस्थिति का पता चलता है जिन्हें नौकरी की असुरक्षा के साथ सामाजिक असुरक्षा भी सहन करनी पड़ती है। संगठित क्षेत्र में स्थिति बेहतर है। वहां 69 प्रतिशत श्रमिक नियमित श्रमिक हैं और केवल 31 प्रतिशत स्वरोजगार और आकस्मिक श्रमिक हैं।

कृषि क्षेत्र में स्थिति अत्यन्त भयानक हैं जहां 99 प्रतिशत श्रमिक स्व–रोजगार या आकस्मिक श्रमिक थे और केवल 1 प्रतिशत नियमित श्रमिक थे। किन्तु गैर–कृषि क्षेत्र में, स्वरोजगार और आकस्मिक श्रमिकों का अनुपात 66 प्रतिशत था और नियमित श्रमिक 34 प्रतिशत थे।

कृषि में असंगठित क्षेत्र में 99.4 प्रतिशत श्रमिक स्वरोजगार एवं आकस्मिक श्रमिक थे जिन्हें कोई भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। किन्तु गैर–कृषि क्षेत्र में, यह अनुपात 83 प्रतिशत तक आया था।

कुल मिलाकर में जो परिदृश्य उभरता है वह है समग्र अर्थव्यवस्था में कुल श्रमशक्ति का 86 प्रतिशत ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें बहुत असुरक्षित काम की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह वर्ग ही है जिसे अपने जीवन यापन की स्थिति सुधारने के लिए अधिकतम सहायता वांछनीय है।

गरीबी, दुर्बलता और असंगठित रोजगार

राष्ट्रीय आयोग ने देश की जनसंख्या को उपभोग–व्यय के आधार पर 6 वर्गों में बांटने का प्रयास किया है।

अत्यन्त गरीब वे व्यक्ति हैं जो औपचारिक गरीबी रेखा के तीन–चौथाई तक प्रति व्यक्ति उपभोग–व्यय करते है (अर्थात् 2004–05 में 8.9 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दूसरा वर्ग गरीबों का वह है जो अत्यन्त गरीब और गरीब के बीच है जिसका प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपभोग–व्यय गरीबी रेखा तक है (अर्थात् 11.6 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रति दिन)। तीसरा वर्ग सीमान्त गरीबों का है जिनका उपभोग–व्यय औपचारिक गरीबी रेखा का केवल 1.25 गुना है (अर्थात् 14.6 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन), और चौथा वर्ग दुर्बल व्यक्तियों का है जिनका उपभोग व्यय गरीबी–रेखा से दुगुना है (अर्थात् 20.3 रुपये प्रतिव्यक्ति

तालिका 1

उद्योग और स्थिति के अनुसार संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (2004-05)

	कृषि			गैर – कृषि			कुल		
	संगठित	असंगठित	कुल	संगठित	असंगठित	कुल	संगठित	असंगठित	कुल
	श्रमिकों की (संख्या लाखों में)								
स्व–रोजगार	23	1,639	1,662	29	892	921	52	2,531	2,582
नियमित श्रमिक	13	15	28	419	248	667	432	264	695
आकस्मिक श्रमिक	25	874	899	117	281	398	142	1,155	1,297
कुल	61	2,528	2,589	565	1,421	1,985	626	3,949	4,575
	श्रमिकों का प्रतिशत वितरण								
स्व–रोजगार	38.1	64.8	64.2	5.1	62.8	46.4	8.3	64.1	56.5
नियमित श्रमिक	20.1	0.6	1.1	74.3	17.4	33.6	69.0	6.7	15.2
आकस्मिक श्रमिक	41.8	34.6	34.7	20.7	19.8	20.0	22.7	29.2	28.3
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
कुल का प्रतिशत	2.4	97.6	100.0	28.4	71.6	100.0	13.7	86.3	100.0

प्रतिदिन)। 2004–05 में अत्यन्त गरीब 6.4 प्रतिशत, गरीब 15.4 प्रतिशत, सीमान्त गरीब 19 प्रतिशत थे। ये तीनों वर्ग मिलकर कुल जनसंख्या का 41 प्रतिशत थे। यदि ''दुर्बल'' इस वर्ग में मिला दिए जाएं, तो यह कुल जनसंख्या का 77 प्रतिशत हो जाता है। राष्ट्रीय आयोग ने 20 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तक उपभोग व्यय करने वाले व्यक्तियों का अनुपात 77 प्रतिशत आंका है। अर्थात् 83.6 प्रतिशत व्यक्ति जिन की आय लगभग 2 डॉलर (क्रयशक्ति क्षमता के आधार पर) से कम है जनसंख्या के गरीब और दुर्बल वर्ग के रूप में आंके गए हैं।

गैर–कृषि क्षेत्र में स्व–रोजगार श्रमिक

भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार श्रमिकों का प्रभुत्व है। 2004–05 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार स्व–रोजगार श्रमिक कुल श्रमशक्ति का 56.5 प्रतिशत हैं। जो इस वर्गीकरण में एकमात्र सबसे बड़ा वर्ग है, इसके बाद है आकस्मिक श्रमिक (28.3 प्रतिशत) और नियमित श्रमिक (15.2 प्रतिशत)। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है – एक जो कृषि में लगे हुए किसान हैं – सीमान्त छोटे और बड़े जो खेती करते हैं और अपनी आय का अधिकतर भाग खुद खेती कर प्राप्त करते हैं, न कि मजदूरों के रूप में काम करके। इन्हें असंगठित क्षेत्र में शामिल किया जाता है और इनकी संख्या 2004–05 में 16.6 करोड़ है।

इनके विरुद्ध स्वरोजगार श्रमिकों की बड़ी संख्या गैर–कृषि कार्यों में लगी हुई है और 2004–05 में इनकी संख्या 9. 2 करोड़ थी। में विभक्त किए जाते हैं।

कृषि मजदूर

2004–05 में कृषि मजदूरों की संख्या 8.7 करोड़ आंकी गयी जो कृषि–कामगारों की 25.9 करोड़ संख्या का 34 प्रतिशत थी। कृषि–कामगारों में किसान और कृषि मजदूर शामिल किए जाते हैं। कृषि मजदूरों का मुख्य लक्षण घटिया भौतिक एवं मानवीय पूंजी है और इनमें गरीबी के स्तर भी ऊंचे हैं।

कृषि–मजदूरों की औसत मजदूरी 2004–05 में 43 रुपये प्रतिदिन थी जो गैर–कृषि मजदूरी का लगभग 1.5 गुना थी। इनमें लिंग असमानता भी बहुत अधिक है और स्त्रियों की मजदूरी 1993–94 से 2004–05 तक पुरुषों की मजदूरी का अनुपात 0.70 ही रही और इस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिससे संकेत मिलता है कि पुरुषों की मजदूरी स्त्री मजदूरी का 1.4 गुना थी। आकस्मिक कृषि मजदूरी की वृद्धिदर 1990 के दशक में, 1980 के दशक की तुलना में गिरी है।

न्यूनतम मजदूरी और कृषि मजदूरी

न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 के अनुसार पहली राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 66 रुपये निश्चित की गई और इसमें ग्राम–शहरी आधार पर कोई अन्तर नहीं रखा गया। दूसरी न्यूनतम मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषिश्रम पर राष्ट्रीय आयोग के प्रस्ताव के आधार पर 49 रुपये निश्चित की गयी। परन्तु विद्यमान मजदूरी दरें इन दोनों की तुलना में कहीं नीची रहीं। 2004–05 में, कृषि मजदूरों के लगभग 91 प्रतिशत भाग को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिलती थी और ग्रामीण कृषि पर राष्ट्रीय आयोग के मानदंड के आधार पर 64 प्रतिशत को ग्राम क्षेत्रों में 49 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त होती थी। यह एक अत्यंत निराशाजनक परिदृश्य है। यदि इस बात को दृष्टि में रखा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जी.डी.पी. वृद्धिदर हाल ही के वर्षों में उंची रही है।

रोजगार के ढांचे से पता चलता है कि रोजगार की वृद्धिदर 1990–2000 के दौरान 0.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्तर पर अवरूद्ध हो गयी। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग ने रोजगार के

तालिका 2

आकस्मिक कृषि श्रमिकों की मजदूरी और मजदूरी की वृद्धि दर

मजदूरी दर (प्रतिदिन रुपये)		वृद्धि-दर प्रतिशत प्रतिवर्ष	
1993 - 94	33.7		
1999 - 00	40.0	1993 - 200	2.9
2004 - 05	42.6	2000 - 2005	1.3

स्रोत : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 50वां, 55वां और 61वां रौंद

किसानों और विशेषकर भूमिहीन, सीमान्त और छोटे किसानों के लिए सहायता के रूप में सर्वव्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कायम करनी चाहिए। इस प्रणाली द्वारा स्वास्थ्य के लिए व्यय, जीवन और बेरोजगारी बीमा और वृद्धावस्था पेन्शन की व्यवस्था करनी चाहिए।

गतिरोध के कारण तत्वों का विश्लेषण कर उल्लेख कियाः ''इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण सिंचाई पर कम निवेश, सूखे से रक्षा न कर पाना और कृषि–अनुसंधान पर कम खर्च थे जिसके कारण वर्षा–पोषित और खुश्क–भूमि के क्षेत्रों में खेती का तीव्रीकरण न किया जा सका।'' परिणामतः 1993–94 और 2004–05 के बीच मजदूरी–रोजगार के लिए कृषि–मजदूरों के दिन एक वर्ष में 224 से कम हो कर 209 रह गए। इसने कृषि मजदूरों की वार्षिक आय और कम कर दी।

ऋण का उद्देश्य

उत्पादक पूंजी व्यय कुल बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में फार्म के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। उपभोग और अनुत्पादक उद्देश्यों अर्थात् शादियों और उपभोग के लिए प्राप्त अन्य ऋणों का अनुपात उप–सीमान्त किसानों के लिए 61 प्रतिशत और सीमान्त किसानों के लिए 43 प्रतिशत था। इसके विरुद्ध, मध्यम और बड़े किसानों द्वारा लिए गए 80 प्रतिशत ऋण उत्पादक कार्यों के लिए थे।

चूंकि उपसीमान्त और सीमान्त किसानों द्वारा लिए गए ऋण गैर–संस्थानात्मक स्रोतों अर्थात् महाजनों एवं व्यापारियों आदि से ब्याज की बहुत ही उंची दरों पर प्राप्त किए ऋण हैं, उन पर ऋण का भार बढ़ जाता है और गरीब किसानों जिनकी ऋण–अदायगी की सामर्थ्य बहुत कम होती है, इन ऋणों को वापस करना नामुमकिन समझते हैं। परिणामतः ऋण ग्रस्ता और अत्यंत कम ऋण अदायगी सामर्थ्य, बहुत से किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। पंजाब, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और केरल में बहुत से किसानों ने आत्महत्याएं की'। इन अधिकतर मामलों में हत्या के शिकार छोटे और सीमान्त किसान ही बने।

''किसी भी मापदंड से, यह बड़ी निराशाजनक स्थिति है कि हजारों की संख्या में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है – केवल सात वर्षों में 10,000 से 25,000। इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना होगा।''

किसानों की काम की दशाओं को सुधारने के लिए, विशेषकर सीमान्त और छोटे किसानों की, असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग ने निम्नलिखित पहल करने की सिफारिश की है।

- संस्थानात्मक ऋण सुविधाओं का ग्राम क्षेत्रों में विस्तार करना चाहिए और छोटे एवं सीमान्त किसानों के ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक निश्चित भाग सुरक्षित करना चाहिए।
- किसानों और विशेषकर भूमिहीन, सीमान्त और छोटे किसानों के लिए सहायता के रूप में सर्वव्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कायम करनी चाहिए। इस प्रणाली द्वारा स्वास्थ्य के लिए व्यय, जीवन और बेरोजगारी बीमा और वृद्धावस्था पेन्शन की व्यवस्था करनी चाहिए।
- भू–सुधारों, विशेषकर जिनका सम्बन्ध काश्तकारी कानूनों, भूमि की पट्टेदारी और जोत की अधिकतम सीमा से अधिक प्राप्त भूमि का वितरण करने की तुरन्त आवश्यकता है।

असंगठित क्षेत्र के लिए कार्ययोजना

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग 2004 में स्थापित करना केन्द्र सरकार द्वारा की गयी पहल थी ताकि असंगठित क्षेत्र की समस्याओं की गहराई से जांच की जा सके और इस क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए जो श्रमशक्ति के लगभग 93 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध कराता है, आवश्यक उपायों सम्बन्धी सिफारिशें की जा सकें। राष्ट्रीय आयोग को मुख्य रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया।

- ऐसे आवश्यक उपायों का सुझाव देना जो इन उद्यमों की उत्पादिकता उन्नत करने में सहायक हो सकें और जिनके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर कायम किए जा सकें।
- अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए ऐसे श्रम कानूनों की सिफारिश करना जो श्रम अधिकारों के साथ युक्ति संगत हों।
- अनौपचारिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध सुरक्षा प्रणाली विस्तार करना।

आयोग ने असंगठित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कार्ययोजना की सिफारिश की :

- **असंगठित क्षेत्र के लिए सुरक्षात्मक उपाय :**

इस सम्बन्ध में दो प्रकार के उपायों की सिफारिश की आवश्यकता हैः

कृषि और गैर–कृषि श्रमिकों के लिए

(क)**जीवन बीमा** :– स्वाभाविक मृत्यु के लिए 30,000 रुपये या दुर्घटना के कारण मृत्यु या सम्पूर्ण अयोग्यता के लिए 75,000 रुपये।

(ख) **स्वास्थ्य बीमा** :– प्रत्येक श्रमिक या उसके परिवार के सदस्यों के लिए अस्पताल के खर्चे के लिए 15,000 रुपये प्रतिवर्ष या किसी बीमारी के लिए निर्दिष्ट अस्पतालों में 10,000 रुपये।

(ग) **वृद्धावस्था सुरक्षा** :– गरीबी

रेखा के नीचे सभी श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपये प्रतिमास की पेन्शन। अन्य श्रमिकों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, पूर्वोपायी कोष का अधिकार।

इस प्रस्तावित योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिकों के लिए 1,095 रुपये प्रति श्रमिक प्रति वर्ष लागत आने का अनुमान है। 2006–07 की कीमतों पर कृषि एवं गैर–कृषि दोनों प्रकार के श्रमिकों पर 33,950 करोड़ रुपये की कुल लागत उस समय होगी जबकि सभी श्रमिकों को इसके आधीन कर लिया जाएगा। (19400 करोड़ रुपये कृषि–श्रमिकों के लिए और 13,950 करोड़ रुपये गैर–कृषि श्रमिकों के लिए)। जो श्रमिक गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्हें इसमें योगदान करने से छूट होगी और उनके भाग का समग्र योगदान केन्द्र सरकार उपलब्ध कराएगी और अन्य श्रमिकों को 1 रुपया प्रतिदिन योगदान देना होगा और केन्द्र एवं राज्य सरकारें प्रत्येक 1 रुपये का योगदान करेंगी। यह मानते हुए कि अगले पांच वर्षों में सकल देशीय उत्पाद (जी.डी.पी.) की 8 प्रतिशत वृद्धि बनी रहेगी, इस योजना पर आरम्भ के वर्ष में जी.डी.पी. का 0.20 प्रतिशत खर्च होगा। यह बढ़कर 2010 –11 तक जी.डी.पी. का 0.48 प्रतिशत हो जाएगा। तब तक सभी असंगठित श्रमिकों को इसके लाभ उपलब्ध होने की प्रत्याशा है।

सीमात और छोटे किसानों के लिए

क्षेत्र–विशेष सिंचाई योजनाओं का विकास, फसल–वसूली, जोखिम को कम करने के उपाय, स्वसहायता समूहों को कायम करके किसानों को सिंचाई स्रोतों, आदानों एवं बाज़ार प्रबन्ध की ओर प्रेरित करना, भू–धारण सुधार और सामूहिक खेती के लिए उचित उपाय।

त्वरित भूमि तथा जल–प्रबन्ध पर बल

आयोग ने सिफारिश की है कि वाटरशैड प्रोग्राम को त्वरित किया जाए। इसके साथ–साथ वर्षापोषित क्षेत्र के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि वर्षापोषित क्षेत्रों में कृषि का पुनरूत्थान किया जा सके। जिस पर ग्रामों के गरीब वर्गों की बड़ी संख्या निर्भर है और इसे तुरन्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ऋण का प्रबंध

कृषि के लिए निर्धारित 18 प्रतिशत के कोटे से 10 प्रतिशत को ऐसे किसानों में वितरित करने का निश्चय करना चाहिए जिन की जोत का आकार 2 हैक्टेयर से कम है।

इन किसानों के पंचायतों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार ऋण दे देने चाहिए। इनके द्वारा वापसी में चूक के जोखिम को कम करने के लिए आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को नेबार्ड में एक ऋण गारंटी कोष स्थापित करना चाहिए जैसा कि व्यष्टि, छोटे मध्यम उद्यमों के ऋणों की गारंटी के लिए मंत्रालय ने स्थापित किया है, ताकि ये किसान उस कोष के आधीन लाए जाएं।

किसान ऋण–राहत आयोग

31 जिलों में जो चार राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में हैं, सरकार ने उन्हें संकट से राहत देने के लिए ऋण राहत का एक विशेष पैकेज आरम्भ किया है। अन्य राज्यों की भी सहायता करने के लिए आयोग ने किसान ऋण राहत आयोग स्थापित करने की सिफारिश की है। केन्द्र सरकार, इस राहत पैकेज का हिस्सा होने के कारण केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को 75 : 25 के आधार पर राज्यीय आयोग को सहायता प्रदान कर सकती है।

असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कोष

आयोग ने असंगठित क्षेत्र के विकास के लिए एक एजेन्सी कायम करने की सिफारिश की है जिसे असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कोष का नाम दिया जाए और इसके लिए आरंभिक आरक्षित निधि 5,000 करोड़ रुपये होगी और इसके लिए केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय क्षेत्र के संस्थान और अन्य सरकारी एजेन्सियां योगदान देंगी। इस कोष का लक्षित समूह व्यष्टि उद्यम होंगे जिनमें 5 लाख रुपये से कम निवेश किया गया है। वे देश में छोटे उद्यमों का 94 प्रतिशत है, परन्तु उन्हें शुद्ध बैंक उधार का केवल 2 प्रतिशत ही प्राप्त होता है, इस के बावजूद कि वे 7 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया

यह रपट असंगठित क्षेत्र के 42.3 करोड़ श्रमिकों की दशा सुधारने में एक मील का पत्थर है। चूंकि इसने दो प्रारूप विधेयक भी तैयार किए हैं – एक कृषि श्रमिकों के लिए और दूसरा गैर–कृषि श्रमिकों के लिए। अयोग के द्वारा जारी इस विधेयक के प्रारूप ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। इसने सरकार के लिए असंगठित क्षेत्र के लिए कार्य योजना में विलम्ब करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है।

कराते हैं और औधोगिक उत्पादन में 30 प्रतिशत योगदान देते हैं।

विकास समूह को विकास केन्द्रों के रूप में विकसित करना :– आयोग असंगठित क्षेत्र के लिए विकास केन्द्रों के विकास की सिफारिश करता है, जो विकास–समूहों के समूह की अवधारणा पर आधारित हैं। इस सिफारिश के अनुसार विकास–समूहों के विकास के लिए साझी आधार संरचना, सेवा केन्द्र आदि स्थापित किए जाएंगे जिसका उद्देश्य वर्तमान विकास– समूहों का स्तर उन्नत कर उन्हें अगले स्तर पर पहुंचाया जाएगा। आयोग का विश्वास है कि यदि विकास समूह एक बार विकसित कर लिए जाएं तो उनका ग्राम क्षेत्र के उत्पादन और रोजगार पर गुणात्मक प्रभाव होगा।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि विकास केन्द्रो को वे सभी प्रोत्साहन मिलने चाहिए जो इस समय विशेष आर्थिक क्षेत्रों के दिए जा रहे हैं।

स रोजगार का विस्तार और रोजगार–योग्यता को बढ़ाने के उपाय

1. स्वरोजगार द्वारा रोजगार का विस्तार करना

आयोग ने सिफारिश की है कि स्वरोजगार योजनाओं के अधीन रोजगार के लक्ष्य को 20 लाख प्रतिवर्ष की अपेक्षा, जैसा कि ग्यारहवीं योजना में प्रस्ताव किया है, बढ़ाकर 50 लाख प्रतिवर्ष कर देना चाहिए।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सर्वव्यापक बनाना और इसे मजबूत करना – आयोग ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार कर इसे देश भर में सर्वव्यापक बनाया जाए। आज यह देश के 330 जिलों में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आयोग यह भी सिफारिश करता है कि रोजगार के क्षेत्र में, प्रति परिवार पर 100 दिन की प्रतिवर्ष लगाई गयी अधिकतम सीमा हटा देनी चाहिए और यह मांग आधारित होना चाहिए, जैसा कि महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना के अधीन है।

3. कौशल विकास द्वारा रोजगार–योग्यता को उन्नत करना :– आयोग ने ''कौशल विकास पहल'' के लिए 550 करोड़ रुपये की पहल से किए जा रहे वर्तमान कार्यक्रम का जायजा लिया। इस योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वालों, श्रमिकों, आई.टी.आई. के स्नातकों की रोजगार–योग्यता बढ़ाना है। औसतन, एक व्यक्ति के प्रशिक्षण पर 5,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं और इस योजना के अधीन प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिये जाते हैं।

आयोग ने सिफारिश की है कि यदि यह योजना सही दिशा में कदम है तो इस के विस्तार के लिए नौकरी–पर–प्रशिक्षण और रोजगार आश्वासन प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक नियोजक को एक–समय 5,000 रुपये का भुगतान करना चाहिए जो किसी काम कर रहे श्रमिक को एक साल भर प्रशिक्षण देकर उसकी कुशलता को बढ़ा कर उसे एक प्रशिक्षित श्रमिक बना दे।

राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों की रपट का मूल्यांकन

राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने के लिए की गयी थी जो सर्वप्रथम मुख्य प्रयास है। राष्ट्रीय आयोग की रपट ने असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का बड़ी गहरायी से और विस्तृत रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया है। इस प्रकार आयोग ने मजदूरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और इस क्षेत्र के विकास सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया है। इस क्षेत्र में श्रमशक्ति के 95 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध है। यह रपट भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के पश्चात् चालू किए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विकास मॉडल की कड़ी आलोचना है। यह इस बात पर बल देती है कि विकास–प्रक्रिया असंगठित श्रमिकों के आकार को कम करने में विफल हुई है और यह 2004–05 में 42.3 करोड़ का अर्थात् कुल श्रमशक्ति का 92.4 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के 91 प्रतिशत को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी जो 66 रुपये प्रतिदिन तय की गयी थी, उपलब्ध नहीं हो रही है और ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा 49 रुपये निश्चित की गयी मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों में 64 प्रतिशत को प्राप्त नहीं होती। इसने इस घोर वास्तविकता को बेनकाब किया है कि हमारी जनसंख्या का 77 प्रतिशत या 83. 6 करोड़ व्यक्ति 2 डॉलर प्रतिदिन (क्रय शक्ति आधार पर) आय/व्यय से नीचे हैं और यह हमारी जनसंख्या का गरीब और निर्बल वर्ग है।

यह रपट असंगठित क्षेत्र के 42.3 करोड़ श्रमिकों की दशा सुधारने में एक मील का पत्थर है। चूंकि इसने दो प्रारूप विधेयक भी तैयार किए हैं – एक कृषि श्रमिकों के लिए और दूसरा गैर–कृषि श्रमिकों के लिए। अयोग के द्वारा जारी इस विधेयक के प्रारूप बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। इसने सरकार के लिए असंगठित क्षेत्र के लिए कार्य योजना में

आयोग इस दृष्टि से दोषी है कि इसने योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेष – ग्रुप की रपट का जिक्र तक नहीं किया जो प्रतिवर्ष 10 करोड़ रोजगार अवसरों को लक्षित कर बनाया गया था और जिसने अपनी रपट मई 2002 में प्रस्तुत की थी और यह रपट विशेष–ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. गुप्ता जो उस समय योजना आयोग के सदस्य थे, के आधीन तैयार की गयी थी।

विलम्ब करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। आयोग के प्रति उपेक्षित वर्गों को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि इस रपट ने उनके पक्ष को आवाज उठायी है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दशा को सुधारने का भरसक प्रयास किया है जिनकी सुधार–प्रक्रियाओं ने अनदेखी की। दुर्भाग्यवश सरकार ने इस विधेयक में इतने संशोधन कर दिए हैं कि संशोधित विधेयक से लक्ष्य प्राप्ति मुश्किल दिखायी देती है।

किन्तु आयोग इस दृष्टि से दोषी है कि इसने योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेष – ग्रुप की रपट का जिक्र तक नहीं किया जो प्रतिवर्ष 10 करोड़ रोजगार अवसरों को लक्षित कर बनाया गया था और जिसने अपनी रपट मई 2002 में प्रस्तुत की थी और यह रपट विशेष–ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. गुप्ता जो उस समय योजना आयोग के सदस्य थे, के आधीन तैयार की गयी थी। विशेष ग्रुप ने साफ शब्दों में उल्लेख किया था – ''इस स्थिति का एकमात्र जवाव असंगठित क्षेत्र की उत्पादिता और रोजगार–गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसका अर्थ यह है कि ऐसी नीतियों को लागू करने के सभी प्रयास करने चाहिए जो इस क्षेत्र को बुनियादी विकास सीमाबंधनों से मुक्त करते हैं और इसके लिए इस क्षेत्र को हमवार मैदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ... श्रम–उत्पादिता को बढ़ाने के प्रयास में, इस क्षेत्र के विकास पर अधिक बल देना चाहिए, इसकी बजाय कि श्रम का पूंजी से विस्थापन किया जाए। इसके अतिरिक्त, रोजगार की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा को उन्नत करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपायों, काम की दशाएं, न्यूनतम मजदूरी और श्रम के हितों का संरक्षण करने के लिए कानून में भारी परिवर्तन करना होगा।'' यह बड़ी अजीब बात है कि आयोग ने असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस पहले प्रयास की उपेक्षा की है। यह जानबूझ कर किया गया या गैर–इरादतन था यह तो डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता और उन आयोग के माननीय सदस्य ही जानते हैं। चूंकि यह रपट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के अधीन तैयार की गयी और इसे लागू नहीं किया जा सका, इसके द्वारा उजागर किए गए मुख्य मुद्दों और सिफारिशों की उपेक्षा करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों का गहन अध्ययन करने से पता चलता है कि इसकी कुछ सिफारिशें तो दूरगामी लक्ष्य की हैं जिन्हें निकट भविष्य में पूरा करना संभव नहीं है। न्यूनतम काम की दशा सम्बन्धी सिफारिशें अर्थात काम के आठ घंटे प्रतिदिन जिनके साथ सप्ताह में एक अवकाश, असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, स्त्रियों के काम के लिए पुरूषों के बराबर पगार ये सब अच्छे समुचित रोजगार कायम करने की अवधारणा को लागू करने का प्रयास ही है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक सुधार चालू होने के बाद, इन दशाओं का बेधड़क रूप में उल्लघंन किया जा रहा है। रपट ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि आकस्मिक श्रमिक या दिहाड़ी मजदूर अब संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त श्रमिकों का लगभग 23 प्रतिशत है। अतः इस परिस्थिति में पहला प्रश्न अकस्मिक श्रमिकों को नियमित श्रमिकों में तबदील करना है। इस प्रकार पहले तो हमें सभी के लिए नियमित काम' के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और बाद में 'सभी के लिए अच्छे काम' के लक्ष्य की ओर धीरे–धीरे बढ़ने का प्रयास करना होगा।

बन्धुआ श्रम के बारे में, राष्ट्रीय आयोग की जानकारी बहुत कमजोर है। आयोग को गांधी शान्ति संस्थान और बन्धुओं श्रम के प्रभावी उन्मूलन के बारे में एक योजना तैयार करनी चाहिए थी परन्तु आयोग इस योजना को तैयार करने में वफल रहा है। इसने केवल श्रम मंत्रालय की वार्षिक रपट को आधार बनाया जो इस क्षेत्र में पूर्णतया अविश्वसनीय है। आयोग की कार्य योजना में इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं की गयी।

इन इक्का–दुक्का कमजोरियों के बावजूद, यह बात कहनी ही पड़ेगी कि असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग की रपट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसने आर्थिक सुधारों को एक मानवीय चेहरा देने का प्रयास किया है और इस दृष्टि से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार को इस रपट के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने चाहिए और इसके लिए उचित वित्तीय व्यवस्था कायम करनी चाहिए। यह कहीं वांछनीय होगा, यदि इस कार्य के लिए एक अलग मंत्रालय बना कर इसे यह काम सौंपा जाए ताकि आयोग द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों एवं श्रमिकों के लिए निर्धारित लक्ष्य जिन के आधार पर दो विधेयक तैयार किए गए हैं, पूरे किए जा सकें ❖

संकटों के जाल में उलझता आम आदमी

चुनाव की संभावना के मद्देनजर सरकार ने राहतों का पिटारा खोल दिया है, लेकिन चुनाव आम आदमी की परेशानियां एक बार फिर बढ़ाने वाले हैं।

■ **शिवाजी सरकार**

आजादी के बाद देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी तेा नहीं हटी लेकिन गरीब और हासिए पर चला गया। लगभग वही हालत आजकल 'आम आदमी' के साथ है। संप्रग सरकार के समय ''आम आदमी के साथ'' का नारा दिया गया एवं सारी योजनाएं उन्हीं के लिए बनायी गईं। लेकिन आज आम आदमी का हश्र भी गरीबी हटाओ नारे वाले गरीबों की तरह हो रहा है।

यह अलग बात है कि आम आदमी को मौखिक सहानुभूति के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। कहने के लिए तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार, कृषि क्षेत्र में सहायता की घोषणाएं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, मजबूत होता रुपया एवं छठे वेतन आयोग जैसी महत्त्वपूर्ण कानून एवं घोषणाएं की गई हैं। यह सभी घोषणाएं एन उस वक्त पर जोरदार ढंग से प्रचारित की जा रही हैं जब चुनाव के बादल देश के राजनैतिक क्षितिज पर मंडरा रहे हैं।

आम आदमी की परेशानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। उनके जीवन को एक तरह मजाक बना दिया गया है। ताजा उदाहरण महंगाई सूचकांक का है। आसमान छूती उपभोक्ता कीमतें सरकार को दिखाई नहीं दे रही हैं। सरकार आम आदमी को कह रही है कि महंगाई सूचकांक नियंत्रित है और यह रिकार्ड स्तर तक नीचे चली गई है। हाल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई सूचकांक तो नीचे गिरकर 3.07 तक पहुंच गया। आम आदमी परेशान इसलिए है कि वह जब सुबह उठता है तो अखबार देखता है तो वित्तमंत्री द्वारा महंगाई पर काबू पाने की खबरें पढ़ता है और जब बाजार सामान लाने जाता है, तो हर चीज पहले दिन की तुलना में महंगी खरीदनी पड़ती है। अपनी जेब कटवाकर, पेट काटकर जीने वाला आम आदमी फिर भी प्रतिकार नहीं करता है शायद यह इसके स्वभाव में नहीं है।

सरकार आम आदमी को कहती है कि महंगाई सूचकांक पर नियंत्रण की बात तो पुरानी है। हमने आप के लिए पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था का उपहार दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था 8–9 प्रतिशत की दर से विकास कर रही है और आपकी सारी परेशानी इस विकास दर से दूर हो जाएगी। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन आम आदमी को आश्चर्य होता है कि अभी इसी विकासगति के कारण लाखों लोग संगठित क्षेत्र में रोजगार से बाहर किए गए हैं। बाजार में जो भी रोजगार मिल रहे हैं उसे रोजगार कहना असंभव लगता है। रोजगार में स्थायित्व का नाम नहीं है। पूरे देश में दिहाड़ी मजदूरों या नौकरों की भरमार हो गई है जो ठेका पर काम करते हैं। जब चाहे रखे जाते हैं जब चाहे बाहर निकाल दिए जाते हैं। रखे कम जाते हैं बाहर अधिक लोगों को किया जाता है। न अच्छा वेतन न कोई सामाजिक सुरक्षा। स्पष्ट रूप से जो बीच का दलाल, ठेकेदार या रोजगार दाता है लाभान्वित वही रहता है।

रोजगार में वृद्धि की बात कोई नहीं करता है। जो नीति नियम बनाने वाले हैं वे विकास एवं वृद्धि के लिए ऐसा मार्ग ढूंढते या बनाते हैं जो महज मुट्ठी भर लोगों के हित लाभ को सुनिश्चित करे। एसी स्थिति फ्रांस की क्रांति के पूर्व हुई थी।

बहुचर्चित ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भी आम आदमी का ध्यान रखने वाली वही पुरानी व्यवस्था है। यह आज एक कानून बन गया है जिसमें ग्रामीण गरीबों के लिए 100 दिन के रोजगार की बात कही गई है। यह अलग बात है कि इससे पूर्व, काम के बदले अनाज योजना, एवं जवाहर रोजगार योजनाएं सभी का हश्र आम आदमी देख चुका है। लेकिन ये

सभी कानून नहीं थे। रोजगार गारंटी योजना काननू है। या तो आप को कानूनन कार्य मिले या नहीं तो बदले में भत्ता मिले। रोजगार मिले या न मिले यह आम आदमी को मिले अधिकारों के प्रति मजबूती प्रदान करता है।

सरकार की इतनी अच्छी योजना के बाद भी विशेषज्ञ इसके विरोध में हैं। बीपीओ क्षेत्र में कहा जा रहा है कि काफी अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। सच्चाई क्या है? तो पूरे देश भर में यह क्षेत्र लगभग 60,000–70,000 लोगों को रोजगार दे पाया है। एक अरब से अधिक आबादी वाले देश में यह संख्या नगण्य के समान है। इतना ही नहीं जो रोजगार हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। वेतन तो इतने अधिक हैं कि लोगों ने इतने अधिक वेतन की कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यह आय बचत करने वाले वर्गों की नहीं है अपितु खर्च करने वालों की है। जब पूरे देश के नागरिक सो रहे होते हैं तो इन्हें नौकरी की बाध्यता के कारण जागना पड़ता है। धीरे–धीरे ये मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। भारत में रहकर ये लोग यूरोप और अमरीका के लिए काम कर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अगर आप सक्षम नहीं तो बीपीओ कंपनी आपको तुरन्त निकाल बाहर कर देती है। सरकार के पास ऐसे लोगों को रोकने का कोई कानून नहीं है। अर्थात् सभी चमकने वाला पदार्थ सोना नहीं होता है। यह आम आदमी समझ रहा है।

सेज के नाम पर आम आदमी को अपनी आजीविका का साधन खेत को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बदले में सरकार इनकी भूमि बड़े–बड़े पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। कल के अच्छे भविष्य के लिए आज का जीवन इन आदमियों का बर्वाद किया जा रहा है। गरीब किसानों को कहा जा रहा है कि वे आज के नये जमींदारों, जो सेज के मालिक होंगे, के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहें। यह व्यवस्था ब्रिटिश जमाने की व्यवस्थाओं की याद दिलाती है।

देश ने देख लिया है कि मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र चलने वाला नहीं, इस विकास ने सामाजिक विषमता को कई गुणा बढ़ा दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था जैसे–जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ती गई खाद्य पदार्थों की कीमतें यहां के लोगों की बढ़ती मांगों के कारण बढ़ती गयीं। परिणामस्वरूप देश के आयात एवं खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व बढता गया।

खेती योग्य जमीन के उपयोग में भी बदलाव आ रहा है। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी अपितु पूरी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यदि कृषि विकास दर कमजोर होगी तो देश के आर्थिक विकास का इंजन आगे नहीं बढ़ सकता है। देश ने देख लिया है कि मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र चलने वाला नहीं, इस विकास ने सामाजिक विषमता को कई गुणा बढ़ा दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था जैसे–जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ती गई खाद्य पदार्थों की कीमतें यहां के लोगों की बढ़ती मांगों के कारण बढ़ती गयीं। परिणामस्वरूप देश के आयात एवं खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व बढता गया। अनाज, बीज एवं प्रसंस्कृत खाद्यान्न सभी पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। आम किसानों के साथ–साथ आम आदमी भी सरकार की इन नीतियों से परेशान है। वायदा करोबार के कारण किसान के साथ–साथ उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इससे बिचौलियो को मोटी कमाई हो रही है।

यही हाल परिवहन, भवन निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में होने वाला है। भवन निर्माण में बड़े–बड़े बिल्डरों के आने के बाद आम आदमी के लिए सर के उपर अदद एक छत बन पाना मात्र सपना बन कर रह जाएगा। परिवहन की लागत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। शिक्षा लागत इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दे पाने में अक्षम है। शायद यही कारण है कि असंगठित क्षेत्र पर सुझाव देने के लिए बनी अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने अपनी रपट में कहा है कि देश में 70 प्रतिशत से अधिक आबादी 20 रुपये से भी कम की दिहाड़ी पर अपनी गुजर बसर करती है। यह राशि विश्व बैंक द्वारा तैयार न्यूनतम मापदंड एक डॉलर (40–45 रुपये) से लगभग आधी है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि भारत के आम आदमी की दशा अफ्रीका से भी बदतर है। लेकिन विडम्बना देखिए कि पूरी दुनियां अफ्रीका को समझती है कि वह निर्धनतम देश है और भारत विकास कर रहा है। देश का बढ़ता शेयर सूचकांक भले ही रातों रात उद्योगपतियों को करोड़पति, अरबपति बना देता हो लेकिन इससे आम आदमी को कुछ भी मिलने वाला नहीं, सिवाय इस अपमान के कि देखो यह अमीर होते देश का गरीब आम आदमी है। ❖

जैव आतंकवाद की दस्तक

अमरीका से आयातित सेबों में पाया जाने वाला कीट कॉंग्रेस घास की याद दिलाता है, जिसको समूल नष्ट करना आज तक संभव नहीं हो पाया है।

■ **देवेन्द्र शर्मा***

अमरीका से आयातित सेब में सौ से अधिक कीट तथा बीमारियां पाए जाने से साफ हो गया है कि भारत में जैव आतंकवाद ने दस्तक दे दी है। मतलब साफ है कि हमारे सामने एक नए आतंकवाद का खतरा उपस्थित है जो खाद्य आपूर्ति की कड़ी को प्रभावित करने जा रहा है। अमरीका के कृषि विभाग द्वारा किए गए खंडन अपनी जगह हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि इंग्लैंड में राष्ट्रकुल अंतरराष्ट्रीय कृषि ब्यूरो (सीएबीआई) ने अमरीका के सेबों में 184 कीटों की पहचान की है, जिनमें से 94 कीटों का भारत के संदर्भ में महत्त्व है। सरल शब्दों में कहें तो अमरीका से सेब के आयात की प्रत्येक खेप भारत में 94 ऐसे कीट ला रही है, जिनका यहां अब तक कोई अस्तित्व नहीं मिला था। ये खतरनाक रोग और कीट भारत में फलों और खाद्य पदार्थों की श्रृंखला को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं, जिससे फल उगाने वाले किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आने वाले समय में इन कीटों व रोगों से बचाव के लिए भारत को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

भारत में अमरीका से सेब आयात 2005–06 में बढ़कर 16500 टन तक पहुंच चुका है, जो कि पिछले वर्ष के आयात की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। अमरीकी सेब आयात की खबर उस समय आई जब अपने देश में पहले से ऑस्ट्रेलिया से घटिया गेहूं की खरीद का मामला गरम था। ऑस्ट्रेलिया से आए गेहूं में खतरनाक खरपतवार और रोग के लक्षण मिले। कीटों की ऐसी आयातित प्रजातियों से भारतीय कृषि और खाद्य श्रृंखला को होने वाले नुकसान से बेपरवाह कृषि मंत्रालय ने दबाव के आगे झुकते हुए ऑस्ट्रेलिया से बेहद दूषित गेहूं के आयात को हरी झंडी दे दी। धन्य है हमारा कृषि मंत्रालय। 14 तरह के खरपतवार, दो फफूंद रोग और एक नया कीट 2006 में आयातित गेहूं के माध्यम से भारत में पहुंचे। इन 14 खरपतवारों में से 11 प्रजातियां भारत में नहीं पायी जाती थी। इसके बाद भी कृषि एवं खाद्य मंत्रालय नहीं चेता। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के यह स्वीकार करने के बाद भी गेहूं में खरपतवार है, कृषि मंत्रालय आंखें मूंदे बैठा रहा। मंत्रालय ने निर्यातक देश से ही खरपतवार न होने का प्रमाणपत्र मांगा। गेहूं के लिए टेंडर मांगते समय यह साफ–साफ लिखा गया था कि गेहूं खरपतवार रहित होना चाहिए। घातक खरपतवार वाले गेहूं के आयात के संबंध में प्लांट क्वारेंटाइन डायरेक्टरेट (वनस्पति संक्रमण रोधी निदेशालय) की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कृषि मंत्रालय ने इस निदेशालय द्वारा 2003 में आयात के संबंध में तय किए कड़े प्रावधानों में ढील दे दी। यह सब तब हुआ जब पूरे विश्व में आयातित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मापदंड कड़े किए जा रहे हैं ताकि व्यापार के माध्यम से विदेशी खरपतवार, कीड़े तथा रोग देश में प्रवेश न कर सकें। दूसरी ओर भारत गुणवत्ता के मानदंडों में ढील देने में ही व्यस्त हैं, जिससे खतरनाक खरपतवारों, घातक कीटों और पौद्यों की बीमारियों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। वे कारण स्पष्ट नहीं किए गए जिनके चलते गुणवत्ता संबंधी प्रावधानों में छूट देने की जरूरत महसूस की गई है।

ध्यान रहे कि इन प्रावधानों के चलते भारतीय कृषि के लिए विनाशकारी खरपतवारों की संख्या 61 से घटाकर 31 रह गई थी। खरपतवारों की संख्या में करीब–करीब पचास फीसदी की कमी पर न तो किसी ने ध्यान दिया और न ही इस पर कोई चर्चा हुई। जैसे इतना ही काफी नहीं था, इन मापदंडों को और अधिक हल्का बनाने का काम आगे भी जारी रहा। 2006 में ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करते समय इन मानदंडों की अनदेखी ही कर दी गई। कोई आश्चर्य नहीं ऐसा करके कृषि मंत्रालय ने 11 नए खरपतवारों का आयात कर लिया। इनमें से कुछ खरपतवार आने वाले सालों में निश्चित ही भारत के किसानों के लिए मुसीबत बनेंगे। यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया से घटिया गेहूं स्वीकार कर लिया था। 1996 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जो गेहूं आयात किया था उसमें 44 खरपतवार थे। इन खरपतवारों में 15 ऐसे थे जो भारत में इसके पहले कभी नहीं पाए गए। हमें खाद्य पदार्थ आयात करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने का अर्थ है अपनी कृषि और खाद्य पदार्थों के लिए संकट खरीद लेना। आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात के मामले को

***लेखक : खाद्य एवं कृषि नीति के विश्लेषक हैं।**

ही लें। आयातित गेहूं में फंफूद के दो रोग भी मिले ड्वार्फ बंट और इरगाट। ये दोनों रोग भारत में पहले नहीं थे। भारत में इनका प्रवेश गेहूं की फसल के लिए अभिशाप बन कर आया। गुपचुप ढंग से आने वाले अनेक खरपतवार और कीट पहले ही भारत के लिए खतरा बन चुके हैं।

आजादी के बाद पीएल–480 गेहूं के आयात के साथ भारत पहुंचे कई मामूली खरपतवार बाद में जैविक आफत बन गई। लेंटाना कैमेरा, जिसे उत्तर भारत में फुलनू के नाम से जाना जाता है, भी ऐसी ही खरपतवार है। यह तीन दशक पहले भारत पहुंची। दिन दूने रात चौगुने ढंग से फैलकर अब यह काबू से बाहर है। विषाक्त होने के कारण इसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में भी नहीं हो सकता। पार्थेनियम, जो कांग्रेस घास के नाम से जानी जाती है, भी अमरीका से आई और अब भारत के 15 फीसदी भूभाग में फैल गई है। एक अन्य खरपतवार फलारिस माइनर, जिसे उत्तरी भारत में मंदुसी के नाम से जाना जाता है, भारत में गेहूं की दुश्मन के रूप में उभरी है। इस खरपतवार पर रसायनों का भी असर नहीं होता। इसके कारण गेहूं की करीब 25 फीसदी पैदावार कम हो गई है। ऑस्ट्रेलिया से घटिया गेहूं के आयात पर मचे बवाल के कारण भारत ने आखिरकार अमरीका से भी उतने ही खराब गेहूं के आयात को रोक दिया। अगर अमरीका से यह गेहूं मंगाया जाता तो यह अपने साथ 21 खतरनाक विदेशी खरपतवार लेकर आता। कृषि मंत्रालय के अनुसार ये तमाम खरपतवार बेहद खतरनाक और जोखिम भरे हैं। यह संतोषजनक है कि भारत अंततः अमरीका के दबाव के आगे डटकर खड़ा हुआ और उसने घटिया गेहूं भारतीय किसानों व उपभोक्ताओं के पल्ले मढ़ने के कूटनीतिक प्रयासों को दरकिनार कर दिया।

इसमें दो राय नहीं कि जैविक आतंकवाद से निपटने के लिए हमें आयात के मामले में उच्च कोटि के मानक स्थापित करने होंगे और सघन जांच व्यवस्था स्थापित करनी होगी, जिससे खाद्य पदार्थों के रोगों और कीटों की पहचान की जा सके। यद्यपि खाद्यान्न के साथ आने वाली विदेशी खरपतवार से नुकसान के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, किन्तु इस बात की अहमियत पर ध्यान नहीं दिया गया कि आयात स्थल पर ही जांच–परख का काम होना चाहिए। भारत में आयातित खाद्यान्न के बारे में परीक्षण की अधिकांश मशीनें बेंगलूर में स्थापित हैं, लेकिन ये भी इतनी उन्नत नहीं है कि घातक रोगों और खरपतवारों का ठीक–ठीक विश्लेषण कर सकें। हमें आयातित खाद्यान्न के मामले में अपने कानून को मजबूती प्रदान करनी होगी और अपने परीक्षण तंत्र को भी चाक–चौबंद बनाना होगा। अन्य बड़े कृषि व्यापारिक देश जैव आतंकवाद से निपटने के लिए नए–नए प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन भारत में यह समस्या प्राथमिकता सूची में काफी नीचे है। क्या हम इस खतरे से चेतने के लिए आयातित रोगों से होने वाली किसी राष्ट्रीय आपदा का इंतजार कर रहे हैं? बेशक यही वह समय है जब हमें विदेशी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मामले में किसी भी गड़बड़ी को जरा भी बर्दाशत नहीं करना चाहिए। ❖

जैविक आतंकवाद से निपटने के लिए हमें आयात के मामले में उच्च कोटि के मानक स्थापित करने होंगे और सघन जांच व्यवस्था स्थापित करनी होगी, जिससे खाद्य पदार्थों के रोगों और कीटों की पहचान की जा सके।

सरकार है कि मानती नहीं

अमरीका से आयातित सेबों में लगभग सौ किस्म के घातक कीटों के पाए जाने की आशंका जताई गई है। कृषि मंत्रालय ने इन आरोपों की जांच कराने की बात कहकर मामले को फिलहाल टाल दिया है। त्यौहारी सीजन के मद्देनजर घरेलू बाजार अमरीकी गोल्ड डेलिशस और रेड डेलिशस समेत एक दर्जन प्रजाति के अमरीकी सेबों से पट गया है। कृषि उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय जानकार के अनुसार जब भारतीय आमों के आयात पर अमरीका में बेवजह का बवाल मचाया गया था तब सरकार चुप थीं और अब अमरीका से रोग ग्रस्त सेब आ रहे हैं, तब वह चुप है। भारत में आयातित कुल सेबों में 50 प्रतिशत सेब अमरीका से आती है। भारत के कमजोर नियम–कानून देशी फसलों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव का कहना है कि इस तरह की शिकायत पहली बार मिली है, जिसकी जांच कराई जाएगी। कृषि व प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें ऐसे उत्पादों के आयात के नियमों को और मजबूत बनाने की दिशा में गंभीरता बरतनी होगी। ऐसा न होने की सूरत में नए–नए किस्म के घातक बैक्टीरिया व रोग देश में धड़ल्ले से प्रवेश करेंगे, जो हमारे फलों और सब्जियों के लिए खतरनाक साबित होंगे। तथ्य यह है कि अमरीकी सेबों पर 184 किस्म के कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें से 94 कीट खतरनाक श्रेणी के होते हैं। सेबों के निर्यात के लिए अमरीकी निर्यातकों को इनके लिए फाइटो सैनेटरी उपाय करने ही पड़ते हैं जिसकी अनदेखी कर वे रोगग्रस्त फल विकासशील देशों के बाजारों में भेजते हैं।

गरीबी मिटाना अमीरों की भी जिम्मेदारी

भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, लेकिन इस प्रगति के पीछे छिपी विसंगतियों को दूर करना भी आवश्यक है।

■ **डॉ. अश्विनी महाजन**

30 अक्टूबर 2007 को खबर छपती है कि श्री मुकेश अंबानी दुनियां के सबसे अमीर व्यक्ति बन गये हैं। (हालांकि उनके कार्यालय ने इस बात का खंडन किया कि मुकेश अंबानी अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं हैं, शायद उनकी संपत्ति के मुल्यांकन में कुछ गलती हुई है। कोई भारतीय यदि दुनियां का सबसे अमीर आदमी घोषित होता है, तो स्वाभाविक तौर पर भारतवासियों को इसकी खुशी होगी। श्री मुकेश अंबानी तो आज भारत की प्रमुख तेल शोधक कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और नए खुलते हुए बड़े स्टोरों की श्रृंखला और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के मालिक हैं। अमरीकी साफ्टवेयर की नामचीन हस्ती बिल गेट्स, मेक्सिको के व्यवसायी कार्लोस स्लिम हेलु, निवेश गुरू वॉरेन बुफेट और भारतीय मूल के इंग्लैंड निवासी लक्ष्मीपति मित्तल को वे आज पछाड़ चुके हैं।

अगस्त 2007 को प्रकाशित दुनिया के अरबपतियों की सूची के अनुसार श्री मुकेश अंबानी दुनियां के अमीरों की सूची में 14वें पायदान पर थे। सन् 2006 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा प्रकाशित दुनिया के अमीरों की सूची में श्री मुकेश अंबानी 56वें स्थान पर थे। मात्र 9 महीनों में 56वें से 14वें और अगले तीन महीनों में 14वें से पहले स्थान पर पहुंचने का सफर समझ लेना आवश्यक है। यह अमीरी कोई नये उद्योग लगाने अथवा उनके द्वारा किए गए नये पुरूषार्थ के कारण नहीं बल्कि लगातार बढ़ते शेयर बाजार के कारण है। ज्ञातव्य है कि 2006 के सितम्बर में सेंसेक्स जो मात्र 12,000 था वो सितम्बर 2007 आते आते 16,000 और अक्टूबर 30 तक 20,000 का आँकड़ा पार कर चुका था। यानि श्री मुकेश अंबानी अपनी विभिन्न कंपनियों के शेयरों की बढ़ती हुई कीमतों के आधार पर एक वर्ष में 56वें अमीरी के विश्व स्थान से उठकर सबसे अमीर व्यक्ति बन गये।

आज भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों का बोलबाला है। देश में शेयरों के मूल्य के आधार पर 22 प्रतिशत इन विदेशी निवेशकों के हाथ में पहुंच चुके हैं और यह प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देती है। भारत आज दुनिया के निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बन चुका है ऐसे में पूर्व स्थापित उद्योगों एवं कंपनियों में विदेशों द्वारा शेयर खरीदने की होड़ बढ़ती जा रही है। आज सामान्य जनता के पास भारतीय शेयर बाजार के कुल मूल्य का मात्र 10 प्रतिशत हिस्सा ही रह गया है। सामान्य जनता के पास घटते शेयरों और बढ़ते विदेशी निवेश के कारण शेयर बाजार निरंतर उछाल ले रहा है और इस क्रम में मुकेश, अनिल अंबानी सरीखे बड़े उद्योगपति और अमीर होते जा रहे हैं।

यदि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी परिवार की अमीरी की बात करें अथवा दुनिया के अमीरों की सूची में भारतीय व भारतीय मूल के लोगों की बात करें तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि इन सब ने अपनी दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत से अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए बेजोड़ काम किया है। मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, रिलायंस रिफाईनरीज हो अथवा अनिल अंबानी की टेलिकॉम कंपनी हो अथवा नारायण मूर्ति द्वारा स्थापित इंफोसिस साफ्टवेयर कंपनी हो अथवा आज़िम प्रेमजी द्वारा स्थापित विप्रो कंपनी हो, सभी भारतीय प्रतिभा को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करते हैं। आज भारत से प्रतिभा का पलायन नहीं होता, बल्कि भारत विदेशियों के लिए एक विशेष आर्कषण का केन्द्र बन चुका है।

भारत दुनिया के नक्शे पर सबसे ज्यादा तेज बढ़ने वाले देशों में चीन के बाद आज दूसरे स्थान पर है। दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं कि 2050 तक भारत की राष्ट्रीय आय अमरीकी राष्ट्रीय आय को पीछे छोड़ देगी। देश के संसाधनों पर जिस व्यक्ति अथवा कंपनी का सबसे ज्यादा कब्जा होता है वही अमीर बनता है। इस क्रम में मुकेश–अनिल अंबानी, आज़िम प्रेमजी, रतन टाटा, सरीखे बड़े–बड़े उद्योगपतियों का और अमीर बनना स्वाभाविक ही है। लेकिन इस अच्छी खबरों के पीछे की भी कुछ सच्चाइयां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

संसाधनों पर बढ़ता कारपोरेटरी कब्जा

रिलायंस ग्रुप की कंपनीयां हों अथवा महिंद्रा और महिन्द्रा हो, विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम पर किसानों की भूमि हस्तगत करते हुए आज वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने में व्यस्त हैं। कारपोरेट खेती, अनुबंधीय खेती, कंपनियों द्वारा मंहगे बीजों से किसानों का शोषण हो रहा है, जिसके चलते शहरी क्षेत्रों में अमीरी बढ़ रही है और 65 प्रतिशत रोजगार दिलाने वाली कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा मात्र 19 प्रतिशत ही रह गया है। सरकार द्वारा सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के अपने नैतिक दायित्व से हाथ खीचने के कारण आज कंपनियाँ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ कमाने हेतु हाथ फैला रही हैं। यहां तक कि हवा और पानी तक कारपोरेटरी कब्जे से मुक्त नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा बिजली, पानी सभी आम आदमी के हाथ से अब छिटकते जा रहे हैं। और इन सबकी बढ़ती कीमतें सामान्य जन को और गरीब बनाती जा रही हैं।

बढ़ती गरीबी और कुपोषण

हाल ही में प्रकाशित असंगठित क्षेत्र के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आज भी भारत में 77 प्रतिशत जनसंख्या को मात्र 20 रुपये प्रतिदिन पर गुजारा करना पड़ता है। असमानताओं का एक मापदंड है गिनी चरांक जो पिछले ग्यारह वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 30.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 34.4 प्रतिशत से बढ़कर 37.6 प्रतिशत हो गया। ज्ञातव्य है कि पहले गिनी चरांक थोड़ा ही सही लेकिन घट रहा था। यानी सच्चाई यह है कि बढ़ती आर्थिक संवृद्धि का लाभ अमीर ही उठा पा रहे हैं और गरीब पहले से ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार आज भी भारत में 46 प्रतिशत बच्चे अपनी उम्र के अनुसार कम भार के हैं। 38 प्रतिशत बच्चे अपनी आयु के हिसाब से ठिगने और 19 प्रतिशत अपनी लम्बाई के हिसाब से अत्यंत पतले हैं। पिछले 15 वर्षों में तीन बार यह सर्वेक्षण हुआ है और पता लगता है कि स्थिति में कोई सुधार नहीं। कई स्तरों पर स्थिति पहले से ज्यादा बदतर हुई है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार आज भी भारत में 46 प्रतिशत बच्चे अपनी उम्र के अनुसार कम भार के हैं। 38 प्रतिशत बच्चे अपनी आयु के हिसाब से ठिगने और 19 प्रतिशत अपनी लम्बाई के हिसाब से अत्यंत पतले हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोग में कैलोरी की मात्रा क्रमशः 4.9 और 2.5 प्रतिशत कम हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग में प्रोटीन की मात्रा पहले से 5 प्रतिशत कम हुई है, 70 प्रतिशत शहरियों ने जो बताया उसके अनुसार उन्हें 2700 कलौरी का भोजन प्राप्त होता है।

रोजगार विहीन विकास

राष्ट्रीय आय बढ़ रही है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं। यह संभव है कि कुछ कंपनियों ने कुछ अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, विशेष तौर पर साफ्टवेयर कंपनियों और बीपीओ क्षेत्रों में सलग्न कंपनियों द्वारा कुछ नई नौकरियां दी जा रही हैं। लेकिन यह भी सच्चाई हैं कि आज भी निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर मात्र 2.5 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां पहले 2.5 करोड़ लोग बेरोजगोर थे वहां अब 5 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो चुके हैं। संगठित क्षेत्र रोजगार जुटाने में पूर्णतया असफल रहा है। भारत क्रमशः अमीर लोगों का देश बनता जा रहा है। यह कपोल कल्पना नहीं अपितु तथ्य और सच्चाई पर आधारित है। आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में एक नहीं सैकड़ों, हजारों अम्बानी, प्रेमजी, नारायण मूर्ति, बजाज और टाटा बनेंगे।

लेकिन इस महान उत्कर्ष के बीच जो यक्ष प्रश्न है वह यह, कि क्या ये लोग अमीर देश में व्याप्त भीषण गरीबी को मिटाने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं? यदि ऐसे खरबपति मिलकर देश से गरीबी हटाने का निर्णय कर लें तो एक अरब से अधिक जनसंख्या वाला देश भारत मजबूती से पूरी दुनिया का सिरमौर बन जाएगा। ❖

भ्रष्टाचार की चपेट में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

बहुचर्चित ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कई राज्यों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उड़ीसा में हालत बद से बदतर हो चुके हैं।

■ **परशुराम राय**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बेरोजगारी हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन जिस मकसद को लेकर यह योजना लागू की गई, वह पूरा नहीं हो सका है। अगर बात उड़ीसा के कालाहांडी की हो, तो वहाँ यह योजना सबसे बड़ा छलावा–साबित हुई है। इसकी आड़ में करोड़ों रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है, इस मद की 90 फीसदी से ज्यादा रकम गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुँचा ही नहीं। पेश है सेंटर फार एन्वायरमेंट एंड फूड सिक्योरिटी के निदेशक परशुराम राय की एक खास रपट।

उड़ीसा देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां घोर गरीबी और भुखमरी के साथ जीवन यापन करने वाले गरीबों का प्रतिशत में आंकड़ा सबसे ज्यादा है। लिहाजा कोष के आवंटन के मामले में इस राज्य को सर्वोच्च प्राथमिकता में होना चाहिए। एनआरइजीए के तहत वर्ष 2006–07 में उड़ीसा को कुल 890 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, जिसमें 733 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसी अवधि के दौरान 13,94,169 परिवारों के लिए 7.99 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया।

दूसरे शब्दों में प्रत्येक जरूरतमंद और इच्छुक परिवारों को इस साल औसतन 57 दिन काम उपलब्ध कराया गया और एनआरइजीए के दायरे में आने वाले 19 जिलों में से एक भी जरूरतमंद परिवार को काम देने से इंकार नहीं किया गया। उड़ीसा सरकार का यह भी दावा है कि वर्ष 2006–07 के दौरान 1,54,118 परिवारों ने सौ दिन रोजगार हासिल किया, दुर्भाग्य से उड़ीसा के 100 गाँवों में किए गए एक सर्वेक्षण से यह सनसीखेज जानकारी सामने आई हैं कि सरकार के ये सभी दावे झूठे हैं और एनआरइजीए के कोष के धन की हेराफेरी के लिए सरकारी रिकार्डो में फर्जी तरीके दर्ज किए गए हैं।

उडीसा के छह सबसे गरीब जिलों में किए गए एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आ रही है कि एनआरइजीए के तहत जो 733 करोड़ रु खर्च किए गए थे, उसमें से 500 करोड़ से भी ज्यादा की राशि सरकारी अधिकारियों ने हड़प ली या इसका दुरूपयोग किया। यह सर्वेक्षण दिल्ली के सेंटर फार एन्वायरमेंट एंड फुड सिक्योरिटी (सीइएफएस) द्वारा केबीके यानी कालाहांडी–बोलांगीर–कोरापुर क्षेत्रों के छह जिलों बोलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, कोरापुट नबरंगपुर और रायगडा के 100 गाँवों में किया गया।

फर्जी काम, फर्जी भुगतान

आकलन बताता है कि जमीन पर 2 करोड़ से भी कम श्रम दिवसों के रोजगार का सृजन किया गया, जबकि 6 करोड़ से भी अधिक के श्रम दिवसों के रोजगार फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी मस्टर रोल के जरिए कागजों में दिखाए गए। सीइएफएस के सर्वेक्षण ने यह है। खुलासा किया।

यों भी उड़ीसा के कालाहांडी जिले को देश की भूखी राजधानी के रूप में जाना जाता है। 2006–07 के दौरान इस जिले को एनआरइजीए पर अमल के लिए 111 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकारी रिकार्ड के मुताबिक जिले ने 72 करोड़ रुपये खर्च कर जिले के 121517 परिवारों के लिए 61.76 लाख श्रमदिवसों के रोजगार का सृजन किया।

इन 100 गाँवों में हम एक भी ऐसा परिवार नहीं तलाश पाए जिसे 100 दिन का रोजगार मिला हो, हमें बहुत कम ऐसे परिवार मिले, जिन्हें वास्तव में 40 से 60 दिन का रोजगार ही मिल पाया था और बाकी के परिवारों का हाल यह था कि यदि उन्हें रोजगार मिला भी था तो बस 5 दिन से 21 दिन के लिए। हालांकि इन सभी परिवारों का ऑनलाइन जॉब कार्ड फर्जी था या उससे छेड़छाड़ की गई थी और उनमें 111 दिन, 108 दिन, 104 दिन, 102 दिन, 100 दिन, 96 दिन, 84 दिन, 72 दिन, 65 दिन, 60 दिन, 52 दिन और इसी तरह की प्रविष्टियां दर्ज थीं। उड़ीसा ने इस तरह से 733 करोड़ रुपये खर्च किए और 8 करोड़ श्रमदिवसों का सृजन किया।

यों भी उड़ीसा के कालाहांडी जिले को देश की भूखी राजधानी के रूप में जाना जाता है। 2006–07 के दौरान इस जिले को एनआरइजीए पर अमल के लिए 111 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकारी रिकार्ड के मुताबिक जिले ने 72 करोड़ रुपये खर्च कर जिले के 121517 परिवारों के लिए 61.76 लाख श्रमदिवसों के रोजगार का सृजन किया। दूसरे शब्दों में इन 121517 परिवारों को औसतन 50 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया। सरकारी दावों के मुताबिक इस वर्ष जिले में 100 दिन का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों की संख्या 9074 थी, लेकिन जिले के 18 गांवों के हमारे सर्वेक्षण से यह जानकारी सामने आ रही है कि ये सारे दस्तावेज फर्जी हैं और यह सिर्फ सरकारी रिकार्ड में दर्ज है न कि कालाहांडी के गावों में।

कालाहांडी जिले के भवानीपटना ब्लाक के तालबेलगांव पंचायत में आने वाला पाल्सीपाड़ा घोर आदिवासी गांव है। यह गांव कालाहांडी जिले के मुख्यालय भवानीपटना से बमुश्किल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का हरेक परिवार घोर गरीबी और भुखमरी के साथ जीने को अभिशप्त है। बच्चों का बेतरतीबी से फूले पेट, सूखी आंखों और पिचके हुए गाल वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत इस गांव के अधिकांश घरों को जॉब कार्ड और काम मिल चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर रोजगार सिर्फ ऑनलाइन जॉब कार्ड और फर्जी मस्टर रोल में ही दर्ज हैं, हकीकत में उन्हें कोई काम नहीं मिला है।

किस्से सैकड़ों हैं।

पाल्सीपाड़ा गांव के गरीब आदिवासी रूपा मांझी को 2006–07 के दौरान वास्तव में 21 दिन का रोजगार दिया गया और उसे इसके एवज में 600 रुपये का भुगतान किया गया। रूपा मांझी को यह काम गरीबी उन्मूलन के बहुचर्चित एनआरइजीएस के अंतर्गत सड़क निर्माण की एक परियोजना के तहत उपलब्ध कराया गया, लेकिन उसके जॉब कार्ड में गलत तरीके से दर्ज किया गया कि उसने 336 दिनों तक काम किया, जबकि एनआरईजीएस की वेबसाइट में रूपा मांझी के ऑन लाइन जॉब कार्ड में दावा किया गया है कि उसे 102 दिनों का रोजगार दिया गया और 6310 रूपये का भुगतान किया गया, लेकिन इस 6310 रुपये में से वास्तव में सिर्फ 600 रुपये ही रूपा मांझी के हाथ में आए रूपा मांझी के नाम के बाकी के 5710 रुपये जो कि कुल पारिश्रमिक के 90 फीसदी से भी ज्यादा है, को सरकारी अधिकारी हड़प गए।

रुपा मांझी का मामला पाल्सीपाड़ा में एनआरइजीए के फंड की हेराफेरी से जुडा अकेला मामला नहीं है, कालाहांडी के इस गरीब आदिवासी गांव में रूपा मांझी जैसे और लोग भी मौजूद हैं।

एनआरइजीएस में दर्ज फर्जी प्रवष्टियों के मुताबिक सुकला मांझी को 104 दिनों तक काम दिया गया और 55 रुपये रोज की दर से 5720 रुपये का भुगतान किया गया, यानी सुकला मांझी के मामले में बाकी के 5120 रुपये सीधे तालबेल गांव पंचायत के ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता की जेब में चला गए।

लूट–लूट और लूट

ये तो पाल्सीपाड़ा के कुछ परिवारों के ही ब्यौरे हैं, इस गरीब आदिवासी गांव के और कई परिवारों को इसी तरह से छला गया, हमने इसी गांव के 18 और परिवारों का पता लगाया जिनके जॉब कार्ड में 108 दिन, 96 दिन और 72 दिन का रोजगार दर्ज है लेकिन इनमें से किसी भी परिवार को बमुश्किल 15 से 20 दिन का ही रोजगार उपलब्ध कराया गया, हमारा आकलन बताता है कि पाल्सीपाड़ा में एनआरइजीएस के तहत खर्च की गई 90 फीसदी राशि सरकारी अधिकारियों ने हड़प ली, घोर गरीबी और भुखमरी के

बावजूद इस वंचित गांव के आधे से अधिक परिवारों को ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कोई काम नहीं मिला।

कालाहांडी जिले में पोखरी घाट एक और गांव है जहां ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू है लेकिन आवंटित राशि के 95 फीसदी से भी अधिक का हिस्सा इस योजना को लागू करने वाले अधिकारियों की जेबों में चला गया। भवानीपटना के चांचेर पंचायत के इस गरीब गांव में 100 घर हैं, जिनमें 60 गोंड आदिवासी और 40 दलित हैं। घोर गरीबी और भुखमरी इस गांव में सहज ही देखी जा सकती है, मानव विकास सूचकांक में यह गांव निश्चित रूप से सबसे नीचे होगा।

पोखरी घाट गांव के सिर्फ आधे परिवारों को ही जॉब कार्ड मिले हैं, इस गांव में 2006 – 07 के दौरान सिर्फ दो काम हुए, पहला है 3 लाख की लागत से बना नया तालाब और दूसरा है 4 लाख की लागत से तालपपिली से उप्परपपिली तक की सड़क का निर्माण, पोखरी घाट में ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित हर दस्तावेज फर्जी मिला। यहां एक भी जॉब कार्ड में दर्ज काम और उसके बदले किया गया भुगतान हकीकत में किए काम और किए गए भुगतान से मेल नहीं खाता, यहां तक कि जॉब कार्ड में दर्ज काम और भुगतान ऑन लाइन जॉब कार्ड में दर्ज प्रविष्टयों से मेल नहीं खाते, हमने ग्रामीणों को बताया कि जब कार्ड के मुताबिक उन्होंने दो से तीन महीने तक काम किया है, तो वे आवक रह गए।

काम नहीं, फिर भी ऑन लाइन भुगतान

सीतापति पुजारी ने भी एनआरइजीएस के तहत काम नहीं किया, लेकिन उसके ऑन लाइन जॉब कार्ड में दिखाया गया है कि उसे 72 दिन का काम उपलब्ध कराया गया और 3960 रुपये का भुगतान किया गया, इस मामले में भी सौ फीसदी राशि अधिकारी हड़प गए, आखिर पुजारी का ऑन लाइन जॉब कार्ड दिखाता है कि उसके परिवार को 108 दिन का रोजगार दिया गया और इसके बदले 5940 रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन हकीकत में उसके परिवार को सिर्फ 8 दिन काम मिला और सिर्फ 500 रुपये का भुगतान किया गया, यानी पुजारी के नाम पर 92 फीसदी की राशि हड़प ली गई।

पुजारी का ऑन लाइन जॉब कार्ड दिखाता है कि उसके परिवार को 108 दिन का रोजगार दिया गया और इसके बदले 5940 रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन हकीकत में उसके परिवार को सिर्फ 8 दिन काम मिला और सिर्फ 500 रुपये का भुगतान किया गया।

इलामा नाइक के ऑन लाइन जॉब कार्ड में भी वही कहानी दोहराई गई है, इसके मुताबिक उसके परिवार को 108 दिन का रोजगार दिया गया और 5940 रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन हकीकत में उसके परिवार का सिर्फ 20 दिन का काम और 500 रुपये का भुगतान किया गया, वास्तव में इलामा को दो तरह से ठगा गया, पहला यह कि 55 रुपये रोज के हिसाब से 108 दिन के 1100 रुपये होते हैं लेकिन उसे सिर्फ 600 रुपये दिए गए, दूसरा यह कि अधिकारी उसके नाम का 90 फीसदी पारश्रमिक खा गए।

बुदु नाकइ पोखरी घाट गांव का एक और गरीब आदिवासी है जिसके काम के अधिकार को संबंधित अधिकारियों ने छीन लिया, उसके परिवार ने वास्तव में 10 दिन ही काम किया और उसे 500 रुपये दिए गए लेकिन ऑन लाइन जॉब कार्ड में दिखाया गया है कि उसके परिवार को 108 दिन काम दिया गया और 5940 रुपये का भुगतान किया गया, इस मामले में भी 90 फीसदी राशि हड़प ली गई।

इदाड़ पुजारी के परिवार ने वास्तव में 8 दिन काम किया और उसे 400 रुपये दिए गए लेकिन उसके ऑन लाइन जॉब कार्ड की प्रविष्टयां बताती हैं कि उसके परिवार को 36 दिनों का काम उपलब्ध कराया गया और 1980 रुपये का भुगतान किया गया। यानी उसके नाम की 80 फीसदी राशि हड़प ली गई।

पोखरी घाट में मची खुली लूट के ये कुछ उदाहरण हैं। वास्तव में इस गांव के किसी भी परिवार को 15–20 दिनों से ज्यादा काम नहीं मिला और 500–600 रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं किया गया। इसी गांव के 26 परिवारों के रोजगार और भुगतान की प्रविष्टयां बताती हैं कि उन्हें 2–3 महीने का काम दिया गया, इसके अलावा 12 से अधिक जॉब कार्ड में फर्जी तरीके से दर्शाया गया है कि संबंधित परिवारों को 108 दिन का रोजगार दिया गया, तीन कार्ड में 102 दिन और 4 कार्ड में 96 दिन के रोजगार की परिविष्टयां दर्ज हैं।

कालाहांडी जिले के पाल्सीपाड़ा और पोखरी घाट गांवों की कहानी भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बडियां की अनूठी मिसाल नहीं है, यह कहानी है उड़ीसा के 5000 गांवों की जहां एनआरइजीएस लागू है। आप इसे क्या कहेंगे भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी या सरकारी बाबुओं की खुली लूट? और क्या एनआरइजीएस फंड का यह घोटाला राज्य की सरकारी मशीनरी के बिना संभव है? ❖

आथिरापल्ली भी प्लाचीमाडा की राह पर

विकास के नाम पर सामुदायिक आजीविका के स्त्रोतों को समाप्त कर दिया जा रहा है।

■ **स्वदेशी संवाद**

केरल के त्रिशुर जिला का आथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना पर वहां की मार्क्सवादी सरकार द्वारा दिया गया अनुमोदन स्थानीय लोगों के प्रतिरोध का केन्द्र बन गया है। यदि राज्य की सीपीआई (एम) की सरकार इस परियोजना को रद्द नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आथिरापल्ली में भी प्लाचीमाडा जैसा जनसंघर्ष का बिगुल बज सकता है। स्थानीय स्तर पर तो इसकी शुरूआत हो चुकी है।

विवाद की शुरूआत उस समय हुई जब केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 19 जुलाई 2007 को आथिरापल्ली में चालाकुड़ी नदी के उपर निर्माणाधीन एवं विरोध के कारण बंद पड़ी 163 मेगावाट विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी। परियोजना को मंजूरी मिलते ही पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों एवं स्थानीय आदिवासी समुदाय ने इसका पुनः विरोध करना शुरू कर दिया। इन सभी का मानना है कि वामपंथी दल समर्थित केंद्र सरकार एवं वामपंथी राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के सामने घुटने टेक दिए हैं। स्थानीय लोगों एवं विशेषज्ञों का मानना है इससे 138.6 हेक्टेयर में फैली वन संपदाएं समाप्त हो जाएंगी साथ ही आथिरापल्ली का मनोरम एवं पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त एक मात्र प्राकृतिक झरना भी मर जाएगा। ज्ञातव्य हो कि इस झरना के कारण यह स्थान पर्यटन के लिए चर्चित है और इसके कारण हजारों आदिवासी परिवारों की आजीविका इस पर निर्भर है।

लेकिन राज्य की सरकार इसे समाप्त करने पर तुली है। सीपीआई (एम) के पी आर राजन जो राज्य सभा के केरल से सांसद भी हैं, दो टूक शब्दों में कहते हैं कि अब इस परियोजना पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। कुछ मुट्ठी भर विकास विरोधी लोगों के लिए परियोजना रद्द नहीं की जा सकती है।

अद्भुत परियोजना

यह परियोजना अपने आप में अदभुत है। अर्थात जिस नदी के उपर से बांध बनाया जाएगा उसमें पानी की प्रचुरता हमेशा नहीं रहती है। स्पष्ट है इस पर विद्युत उत्पादन के लिए डैम बनाने से पानी का प्रवाह स्थगित होगा। इतना ही नहीं जो भी झरना इस नदी से बनता है उसमें डैम के बनने के बाद प्रवाह बंद हो जाएगा और वे सूख जाएंगी। स्थानीय लोग इस बहते जल स्त्रोतों का उपयोग घरेलू कार्यों के लिए करते हैं जो बंद हो जाएगा। 675 करोड़ रुपये की लागत से चालाकुडी नदी पर 23 मीटर ऊंचा एवं 311 मीटर चौड़ी बनने वाली यह परियोजना केवल 4 महीने के लिए 7–11 बजे शाम तक बिजली पैदा करेगी।

हालांकि सरकार ने कहा है कि स्थानीय लोगों की समस्याओं एवं चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग सरकार के झांसे में आनेवाले नहीं लगते। सेवानिवृत अभियंता श्री मधुसूदन ने कहा कि सरकार को यह पता ही नहीं है कि इस नदी एवं झरना से यहां के स्थानीय निवासी कितने जुड़े हैं या इस पर निर्भर हैं। सरकार के आरोपों को दरकिनार करते हुए श्री मधुसूदन कहते हैं कि सरकार लोगों को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि जब बिजली पैदा करने का समय होगा उस समय डैम से अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन हेतु पानी छोड़ा जाएगा जिससे अभी जो भी जल व्यवस्था एवं प्रणालियां हैं वे टूट जाएगी या क्षत–विक्षत हो जाएंगी। यदि इस योजना अमल पर हुआ तो त्रिशूर एवं एर्नाकुलाम जिलाओं में गंभीर पेयजल संकट का सामना करना होगा।

आथिरापल्ली परियोजना देश की सबसे कमजोर परियोजना में शुमार है। परियोजना की बिजली उत्पादन की क्षमता 160 मेगावाट है जो जलाभाव के समय में घटकर 26 मेगावाट हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्य में विधुत वितरण एवं चोरी में 10 प्रतिशत का सुधार किया जाता है तो आथिरापल्ली परियोजना की क्षमता के बराबर बिजली बचायी जा सकती है। इस परियोजना से यहां के जंगलों में रह रही कादार जनजातियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इतना ही नहीं इस क्षेत्र की जो जैव विविधता एवं जैव संपदा है वह काफी महत्त्वपूर्ण है। यहां पाए जाने वाला कोचीन जंगली कछुआ विलुप्तप्राय प्राणियों की श्रेणी में है। यहां के पर्यावरण से थोड़ी भी छेड़छाड़ इनके अस्तित्व को समूल मिटा सकता है। विभिन्न पर्यावरण संस्थाओं ने इस क्षेत्र को अमूल्य नैसर्गिक धरोहरों वाला क्षेत्र घोषित किया है।

इतनी प्रचुर नैसर्गिक संपन्नता वाला आथिरापल्ली का यह क्षेत्र सरकार की गलत, अदूरदर्शी एवं जनविरोधी नीतियों के कारण आज खतरे में है। परियोजना का स्वरूप, उद्देश्य एवं लक्ष्य सभी कुछ अव्यावहारिक एवं संदिग्ध है। बावजूद सरकार इस पर अमल करने में दिलचस्पी दिखा रही है। लेकिन स्थानीय नागरिक इसके खिलाफ जिस प्रकार लामबंद हो रहे हैं उससे आथिरापल्ली दूसरा प्लाचीमाड़ा साबित हो सकता है। ❖

खुदरा व्यापार में बड़ी मछली का प्रवेश

खुदरा व्यापार में बड़ी कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी नहीं, अपितु छोटी कंपनियां इस क्षेत्र से पूरी तरह विस्थापित हो जाएगी।

■ **कमल नयन काबरा**

अमरीका की धरती पर जाकर भारत के वित्तमंत्री कहते हैं कि खुदरा व्यापार की बड़ी विदेशी कंपनियों का भारत में प्रवेश निश्चित है, बस थोड़े सब्र की जरूरत है। जाहिर है, उनके लिए लाखों–करोड़ों भारतीयों का सक्रिय विरोध विदेशी पूंजी की खनखनाहट के सामने फीका पड़ जाता है। साथ में इधर संचार माध्यमों में खुदरा व्यापार में लगी बड़ी कंपनियों के पक्ष में हवा बनाने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसान, कारखानेदार, स्वयं खुदरा व्यापारियों का एक वर्ग और शहरी उपभोक्ता विदेशी कंपनियों के अधुनातन स्टोरों से लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय अखबार तो शुरू से ही खुदरा व्यपार के आधुनिकीकरण और उसके संगठित रूप की हिमायत में खड़े हैं। कुछ अंशों तक यह विज्ञापन की कमाई का करिश्मा भी है।

इस क्रम में कई भ्रामक बातें कही जा रही हैं। यूपीए सरकार के कुछ मंत्री विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को रोजमर्रा की जिंसों के व्यापार में अनुमति देने के पक्ष में हैं। एक मंत्री कहते हैं कि देश के कानून के तहत किसी भी बड़ी कंपनी को खुदरा व्यपार करने से रोका नहीं जा सकता। जाहिर है केरल उत्तर प्रदेश और एक–दो अन्य राज्यों में खुदरा व्यापारियों के पक्ष में हुई पहलकदमी से ये नेता खुश नहीं है।

दूसरी ओर, बड़ी कंपनियों के इस क्षेत्र में व्यापक प्रवेश का सिलसिला दिनोंदिन जोर पकड़ रहा है। इस संदर्भ में एक अन्य मंत्री का कहना है कि सवाल देशी–विदेशी का नहीं, छोटे व्यापारियों के अति–विकेंद्रित कारोबार में बड़ी कंपनियों की शिरकत का है। इससे पहले उद्योगों, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में लगी कुछ बड़ी कंपनियां, अब करोड़ों छोटे व्यापारियों, फेरी लगाने वालों को अपनी प्रतियोगी ताकत का कमाल दिखाने लगी हैं। इसलिए एक अर्थ में मंत्री महोदय की यह राय प्रथम दृष्टया ठीक ही लगती है कि बड़ी कंपनी चाहे स्वदेशी हो या विदेशी, छोटे व्यापारियों–फेरीवालों पर चोट तो बराबर ही करेगी। पर इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष नहीं निकाला जाता कि दोनों पर रोक लगनी चाहिए।

उनका निहित अर्थ यही प्रतीत होता है कि इस पृष्ठभूमि में जब देशी विशाल कंपनियों का परचूनीकरण हो चुका है तो बाहरी कंपनियों के साथ भेदभाव क्यों? आखिर भूमंडलीकरण का स्वीकृत सिद्धांत है कि निजी पूंजी को पूरी व्यावसायिक आजादी देने में पूंजी के उदगम की राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। विश्व व्यापार संगठन के इस मूल सिद्धांत का उल्लघंन वे कैसे करेंगे, जिन्होंने भारत को विश्व व्यापार संगठन में धकेलने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

मुनाफे का आधार बढ़ाने को उद्धत तबकों द्वारा एक बड़ी मुहिम छेड़ दी गई है। उदारीकरण का लाभ उठा कर अब खुदरा व्यापार में घुसकर मुनाफे की दौड़ में लगने की। लगता है उनके प्रयास कुछ रंग ला रहे हैं। आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, स्वचालित यंत्रों, सूचना क्रांति के उपकरणों, अत्यधिक पूंजी निवेश, नए प्रबंधन सिद्धांतों और तकनीकों, विशाल आकार के लेन–देन और कारोबार से संभावित किफायतों, आधुनिक सुविधाओं द्वारा आरामदेह खरीदारी, उत्पादक और उपभोक्ता के

बीच खड़ी बिचौलियों की कतार को समाप्त करके बिक्री व्यय में कमी आदि संभावित और बहुप्रचारित लाभों से अनेक लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई सोचने–समझने वाले, यहां तक कि जनपक्षीय समूहों में से भी कुछ लोग अब बड़ी पूंजी के द्वारा छोटी पूंजी को खदेड़ने को एक अनिवार्यता, एक नहीं रुकने वाली प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार करने लगे हैं।

कुछ अंशों तक यह विज्ञापन और प्रचार का जादू भी लगता है जो कई बार सिर चढ़ कर बोलने लगता है। पर जब विचारवान तबके अपनी मूल सोच से हिलते हैं तो उसके पीछे उन्हें कई अनुभवगत और सैद्धांतिक मसले या शुद्ध व्यावहारिकता के तकाजे भी नजर आने लगते हैं। खुदरा व्यापार की पुनर्रचना को भी अब पारंपरिक की जगह अधुनातन और तरक्की की दिशा में बढ़ता कदम माना जाने लगा है। इस सोच के तहत यह जरूर स्वीकार किया जाता है कि परंपरागत, साधन–विपन्न तबकों को इस प्रक्रिया में धक्का लगता है। यह भी माना जाता है कि नए रूप में ये धंधे आजीविकाविहीन बनाए गए लोगों को कोई राहत नहीं दे पाते हैं।

इस सिलसिले में ऐतिहासिक अनुभवों की दुहाई दी जा रही है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने विज्ञान और तकनीकी परिवर्तन द्वारा 'सर्जनात्मक विनाश' (शूंपीटिरियन शब्द) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। पुरानी, महंगी, कष्टप्रद तकनीकों, प्रक्रियाओं, उत्पादों के स्थान पर ज्यादा काम की, सस्ती, अच्छी तकनीकों का प्रचलन होता है। 'द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र' ताकि नवकिसलय प्रस्फुटित हों। इस तरह चरखे – हथकरघे से लेकर बैलगाड़ी–घोड़ागाड़ी के स्थान पर आधुनिक मिलों और मोटर वाहनों का प्रचलन हुआ। पुराने के स्थान पर नवीन की प्रतिस्थापना की प्रक्रिया में पुरातन के पुरोधाओं की बलि देकर ही नए महारथियों का वर्चस्व बढ़ता है। इसी तरह प्रगति होती है। पुराने जमाने में भी बदलाव से पीड़ित–प्रताड़ित तबकों ने हायतौबा मचाई थी। उन्हें काफी अंशों तक बलि का बकरा भी बनना पड़ा था। पर इस अनिवार्य दुष्परिणाम के आधार पर, विकास रथ अगर यह मशीनीकरण–आधुनिकीकरण–पूंजीकरण आदि का विरोध सफल हो जाता तो आज क ी तकनीकी–औद्योगिक–विज्ञानिक प्रगति एक दिवास्वप्न ही बनी रहती।

दरअसल, ऐसे तर्क पूरी तरह सतही हैं। वे बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों के परचून और सब्जी–फलों के बाजार में उतरने का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं। संगठन–प्रबंधन–पूंजी संचयन के नए तरीकों द्वारा आधुनिकीकृत खुदरा दुकानदारी एक खास किस्म का संस्थागत बदलाव है। यह एक अतिदूरगामी परिवर्तन है। इस व्यवसाय से जुड़े हर एक तबके के आपसी संबंध और पूरी अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था इससे प्रभावित होती है।

यह परिवर्तन विशाल कंपनियों द्वारा छोटे उद्यमियों का स्थान हड़पे जाने का दूसरा नाम है। नतीजतन, बड़ी मात्रा में बहुत प्रकार की वस्तुएं खरीद कर, उत्पादकों से सीधे माल लेकर, उनकी गुणवत्ता निर्धारित करके, उन्हें दुकानों–स्टोरों में आकर्षक रूप से सजा कर और लिखे हुए पूर्व–निर्धारित दामों पर बिना मोल–भाव किए बिक्री की व्यवस्था हो जाती है।

ऐस भंडारों की श्रृंखला–सी स्थापित करने से खुदरा व्यापार में लगी कंपनियां स्वयं थोक का काम करने लगती है। कम से कम छोटे उत्पादकों, खासकर किसानों, हस्तशिल्पियों और विशिष्ट किस्म की वस्तुओं के निर्माताओं के मुकाबले ये कंपनियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। ब्रांड नाम वाली कंपनियों से भी ये विशाल मात्रा में माल उठाने वाले मोल–भाव करके अच्छी–खासी छूट प्राप्त कर सकती हैं। यह भी सच है कि एक छत के नीचे साफ–सुथरे, वातानुकूलित माहौल और बिजली की चकाचौंध में सामान खरीदने

यह परिवर्तन विशाल कंपनियों द्वारा छोटे उद्यमियों का स्थान हड़पे जाने का दूसरा नाम है। नतीजतन, बड़ी मात्रा में बहुत प्रकार की वस्तुएं खरीद कर, उत्पादकों से सीधे माल लेकर, उनकी गुणवत्ता निर्धारित करके, उन्हें दुकानों–स्टोरों में आकर्षक रूप से सजा कर और लिखे हुए पूर्व–निर्धारित दामों पर बिना मोल–भाव किए बिक्री की व्यवस्था हो जाती है।

थाइलैंड के एक उच्च अधिकारी ने बताया था कि एक बड़े सुपर बाजार या शॉपिंग मॉल की बिजली की खपत एक पूरे ग्रामीण जिले की बिजली की खपत के बराबर होती है। सीमित विद्युत संसाधनों की बर्बादी के पहलू को दरकिनार कर दें तो भी ग्राहक से वसूली जाने वाली कीमत पर इस लागत का प्रभाव बड़ी कंपनियों के दावों को खोखला साबित करने के लिए पर्याप्त है।

का अनुभव अधिकतर भारतीयों के लिए नया होगा। उन्हें पश्चिमी देशों के अनुभव से परिचित कराया जाएगा। अब सवाल है कि क्या यह परिवर्तन एक व्यक्ति के स्तर पर जीवन की गुणवत्ता सुधारने वाला, लागत घटाने वाला, समय बचाने वाला तकनीकी परिवर्तन है। एक ही स्वामित्व–प्रबंधन के तहत संचालित इन विशाल कंपनियों के स्टोरों के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर माल बेचने के साथ–साथ वे उत्पादकों खासकर किसानों को अच्छे दाम दे पाएंगे। यानी उत्पादक से ज्यादा कीमत पर माल खरीद कर ये कंपनियां अपने ग्राहकों को भलीभांति जांचा–परखा माल कम कीमत पर बेचने का करिश्मा कर दिखाएंगी।

कितना ठोस है यह वादा, या दावा? इस दावे का मुख्य आधार है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच आने वाले बिचौलियों की श्रृंख्ला समाप्त कर उसके द्वारा वसूले गए मुनाफे या मार्जिन की बचत और इस बचत का लाभ अपनी जब में न डाल कर उपभोक्ता के चरणों में समर्पित करना। बहुत लुभावने लगने वाले इस वादे की सच्चाई थोडा विचार करने पर सामने आ जाती हैं। कौन खरीदेगा उत्पादकों – किसानों से? पुराने बिचौलियों की जगह कंपनियों के कारिंदे – कर्मचारी यह काम करेंगे। प्रशिक्षित कर्मचारियों के वेतन–भत्तों, प्रशिक्षण, आवागमन, प्रोत्साहन, निमंत्रण आदि का खर्च कच्चे – पक्के आढ़तियों, कमीशन एजेंटों, मझोले व्यापारियों से कम होगा, वह कैसे मान लिया जाए?

आढ़तिए पुश्तैनी रूप से इस धंधे में हैं। उनके पास अपने गोदाम हैं। कंपनियों को आधुनिक भंडारण सुविधाएं नए सिरे से स्थापित करनी होंगी। आढ़तियों को माल किसान लाकर देता है। कंपनियां स्थापित मंडियों से बाहर सीधे उत्पादकों से खरीदी करेगी। उन्हें ढुलाई का खर्च उठाना होगा। वेतन, भंडारण, परिवहन के खर्चे किसी भी अर्थ में परंपरागत बिचौलियों की वसूली से कम नहीं होंगे।

बड़ी कंपनियों की ऊंची लागत स्वतंत्र मध्यस्थों के बदले कर्मचारियों को मध्यस्थ बनाने तक सीमित नहीं है। व्यापारी अपने पैतृक ठीये से दुकानदारी करते हैं। इसके विपरीत कंपनियों को आज के आसमान छूते भावों पर जमीन और इमारत अपने सुपर बाजारों के लिए लेनी पड़ेगी। जमीन–बिल्डिंग की लागत ही अकेले इन कंपनियों के तथाकथित तुलनात्मक लागत–लाभ को धो–पोंछ देती है। ऊपर से बिजली, शीत–पात, अनुकूलन यंत्रों, महंगे फर्नीचर, कंप्यूटरों आदि की लागत भी कंपनियां अपने धर्मादा खाते से नहीं देंगी और निश्चय ही ग्राहकों से वसूलेंगी।

थाइलैंड के एक उच्च अधिकारी ने बताया था कि एक बड़े सुपर बाजार या शॉपिंग मॉल की बिजली की खपत एक पूरे ग्रामीण जिले की बिजली की खपत के बराबर होती है। सीमित विद्युत संसाधनों की बर्बादी के पहलू को दरकिनार कर दें तो भी ग्राहक से वसूली जाने वाली कीमत पर इस लागत का प्रभाव बड़ी कंपनियों के दावों को खोखला साबित करने के लिए पर्याप्त है। बात यही नहीं ठहरती। मोहल्ले और गली–नुक्कड़ की सुविधाजनक दुकानों के स्थान पर इन शॉपिंग मॉल में जाने के लिए ग्राहको को आवागमन का खर्च उठाना पड़ेगा। ग्राहकों पर भीड़भाड़ और बढ़ेगी।

यहां एक–दो मुद्दों को आज के भारत की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के संदर्भ में ज्यादा रेखांकित करने की जरूरत है। पिछले साठ सालों में बेरोजगारी की समस्या लगातार गहराती गई है। यही आलम गरीबी और असमानता का है। ऐसी स्थिति में करोड़ों भारतीय मामूली–सी पूंजी के आधार पर मुंह अंधेरे से देर रात तक खप कर छोटी दुकानदारी के जरिए किसी तरह गुजारे लायक आजीविका प्राप्त करते हैं। बड़ी कंपनियों के प्रवेश से इन पर पड़ने वाले असर को यह कह कर नहीं जाना जा सकता है कि वे बड़े स्टोरों के आने के बाद अपना धंधा बंद करेंगे या नहीं। सरकार द्वारा प्रायोजित इस मसले की जांच यह निरर्थक और सिरफिरा सवाल उठाती है, सर्वेक्षण में लोगों से पूछती है।

गौर करने की बात यह भी है कि घोर व्यक्तिवादी हो चुका मध्य–आय तबका इन आकर्षक स्टोरों की ओर रुख करने लगेगा। फलतः खुदरा दुकानदारी से और कम आमदनी होगी। इसलिए यह पता लगाना कि बड़ी कंपनियों द्वारा पंसारियों–परचूनियों के काम में दखल से बेरोजगारी बढ़ेगी या नहीं, पूरी तरह निरर्थक और नासमझी भरा सवाल है। असर होगा कंगाली में आटा गीला होने के रूप में। छोटे व्यापार के रूप में चली आ रही सामाजिक सुरक्षा और लचर हो जाएगी। असमानता, गरीबी, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। कालांतर में छोटे व्यापारियों की संख्या कम होगी। फलतः बड़ी पूंजी का एकाधिकार बढ़ जाएगा। तब कोई भी इन कंपनियों की मनमानी से किसानों और उपभोक्ताओं को बचा नहीं पाएगा। ❖

राष्ट्रवाद और समरसता से ही विश्व शक्ति बनेगा भारत

भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। देश के भीतर हम राष्ट्रवाद और समरसता बढ़ाकर इसे और मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

■ डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

किसी भी राष्ट्र के देशवासियों में जब तक राष्ट्रवाद की भावना कूट–कूट कर भरी नहीं होगी तब तक वह राष्ट्र न तो उन्नति ही कर सकता और न ही उसमें सम्पन्नता के साथ भव्यता ही आ सकती है। राष्ट्र का सम्मान व स्थान सबसे ऊंचा होता है। उसके प्रति अनादर, अनिच्छा व उपेक्षा को कभी भी और किसी भी हालत में सहन नहीं किया जा सकता है। जो देशवासी यह सहन कर लेते हैं उनका राष्ट्र भी अधोगामी होकर पतन को प्राप्त करता है। जापान ने भी भारत के साथ ही लगभग 60 वर्ष पूर्व अपनी जीवन यात्रा शुरु की थी। उसका सब कुछ 1942–45 के द्वितीय विश्व युद्ध में स्वाहा हो गया था परन्तु इन साठ वर्ष के जीवन में वह विश्व में महाशक्ति बनकर उभरा है। इसके पीछे उसके नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार होना है। कहा जाता है कि कोई भी जापानी सब कुछ सहन कर सकता है परन्तु अपने जापान को गाली देने वाले की गर्दन कलम करने में तनिक भी कोताही नहीं कर सकता है। इसके लिए जापान ने शिक्षा के माध्यम से भगवान बौद्ध की शिक्षा का व्यापक पैमाने पर प्रसार व प्रचार किया तथा भगवान बौद्ध को सही तरह से समझा जबकि भारत में भगवान बौद्ध को उतना नहीं समझा गया। इसका परिणाम आज भारत भुगत रहा है। उसके नागरिकों को कभी भी और कहीं भी लताड़ दिया जाता है, देश में आकर विदेशी गाली देकर चले जाते हैं।

जापान ने बौद्ध की शिक्षा को राष्ट्र के संदर्भ में समझा। बौद्ध के बुद्धं शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, इन तीन वाक्यों में ही राष्ट्रवाद को समेट कर रख दिया है। क्षुद्रता से व्यापकता की ओर विकास का यह क्रम जापान में सही रहा परन्तु भारत में इसको महत्व नहीं मिला। धम्मं शरणं गच्छामि अर्थात धर्म की शरण में जाना अर्थात कर्तव्यनिष्ठ बनना। यह साध्य संगठन के माध्यम से सामूहिक साधना करने पर संध ा सकेगा। अतः फिर कहा गया संघं शरणं गच्छामि। व्यक्ति संघ में सम्मिलित किसके सहारे होता है? इसके लिए बुद्धं शरणं गच्छामि कहा गया अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति के सम्पर्क में आने के बाद उसके निश्छल व्यवहार से प्रभावित होकर कोई भी अन्य व्यक्ति संघ में सम्मिलित हो जायेगा अर्थात व्यक्ति से बड़ा संघ और संघ से बड़ा घर्म होता है। यह मर्म जापान ने अच्छी तरह से समझा अर्थात कालांतर से साधना द्वारा संघ निष्ठा से निष्णात वही व्यक्ति धर्मनिष्ठ हो जायेगा। धर्मपेक्षी देश महान होता है क्योंकि धर्म धारण के लिए होता है और देश मनुष्य समूह के सह अस्तित्व के लिए। प्रथम देश की पूजा करें उसके पश्चात् धर्मानुसार व्यवहार, तब कोई भी देश विश्व का सर्वोत्तम आध्यात्मिक एवम् वैज्ञानिक देश बन जायेगा। देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य है। धर्म–धर्म व अहिंसा–अहिंसा कहते रहने से देश की सुरक्षा सुनिश्चत नहीं रह सकती है। वर्ष 1962 में भारत ने तिब्बत के संदर्भ में चीन के साथ यह अनुभव करके बहुत अच्छी तरह से परख भी लिया है। बोधिसत्व आम्बेडर ने भी यही सिखाया कि प्रथम देश से प्रेम कीजिए तत्पश्चात् धर्म से, यही बोधिसत्व है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्

भारत की संस्कृति में वसुधैव कटुम्कम के मंत्र को भूलने नहीं देना चाहिए। जनमानस में यदि प्रतिभा होगी, पवित्रता होगी, राष्ट्रप्रेम व सुचिता होगी तो फिर देश उन्नति करेगा। यह सभी गुण समरसता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तभी राष्ट्रवाद भी जागृत होता है। इसी भाव से नागरिकों में भी प्रेम स्वयं उत्पन्न हो जाता है।

से ही स्वार्थपरता पनपी जिससे भ्रष्टाचार बढा और व्यक्तिमात्र स्वंय (मैं) के चक्कर में फँस कर रह गया। राष्ट्रीयता की कमी तो मानी जा सकती है परन्तु निर्लज्ज भाव से यह कहा जाता है कि सरदार भगत सिंह पैदा तो हों परन्तु पड़ोसी के घर में। जीवन भर स्वयं के लिए ही जीने वाला व्यक्ति देश के लिए भला क्यों मरने लगा? स्वार्थ उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए बचपन से ही जिऐं देश हित में, मरें देश हित में वाला संस्कार देना पड़ेगा तभी देशभक्ति से राष्ट्रीयता व राष्ट्रवाद जग सकेगा और उससे ही देश की सभी समस्याऐं स्वतः ही हल हो सकेंगी।

प्रारम्भिक कक्षाओं में जापान में अबोध बालक से प्रश्न पूछा जाता है कि आप संसार में सर्वश्रेष्ठ पूज्य किसे मानते हो तो बालक को उत्तर भी रटवाया जाता है कि भगवान बुद्ध को, फिर प्रश्न होता है कि यदि भगवान बुद्ध पर हमला हुआ तो आप क्या करेंगे तो उसका भी उत्तर रटवाया जाता है कि हम हमलावर का हाथ कलम कर देगें। फिर तीसरा प्रश्न होता है कि यदि तुम्हारे देश जापान पर स्वयं भगवान बुद्ध हमला कर दें तो आप क्या करोगे? तो उसका भी उत्तर रटवाया जाता है कि भगवान बुद्ध ने यदि मेरे जापान पर हमला किया तो मैं स्वंय भगवान बुद्ध की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरा भगवान मेरे देश से बड़ा नही। ऐसी ही देश प्रेम की भावना से हम भी अपनी दुर्दशा का विनाश कर सकते हैं।

भारत सर्वप्रथम धर्मनिष्ठा महत्त्वहीन हो गई और व्यक्तिनिष्ठा सर्वोपरि हो गई। परिणामस्वरुप संघ निष्ठा बिखर कर रह गई अर्थात मात्र बुद्धं शरणं गच्छामि अर्थात व्यक्ति पूजा याद रही। बुद्ध ने व्यक्ति को धर्मनिष्ठा बनाने की एक क्रमिक प्रक्रिया अपनायी थी उसी क्रम को हमको भी अपनाना पड़ेगा। एक भूखे व्यक्ति को धर्मोपदेश नहीं दिया जा सकता है सबसे पहले उसका पेट भरना जरुरी है। तभी वह व्यक्ति संघ की ओर तथा फिर धीरे–धीरे धर्म के प्रति उसकी भक्ति जागती है।

स्वतंत्रता के उपरान्त से ही वोट बैंक के लालच में सत्तालोलुप राजनेताओं ने समाज सुधार व कल्याण का सब्जबाग दिखाकर आरक्षण का सहारा लेकर देश में जातिवाद को हवा दे दी, जिसका परिणाम साठ साल के स्वतंत्रता के जीवन में यह आया कि अब समाज में विखण्डन की स्थिति उत्पन्न होकर समाज में वर्ण संघर्ष प्रारम्भ हो गया है। यदि सामाजिक समरसता नहीं जागी तो जाति युद्ध तेजी से प्रारम्भ हो जायेंगे और अखण्ड भारत छिन्नभिन्न हो जायेगा। राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता के लिए समरसता परमावश्यक है तथा अगड़े वगों (इनमें वे विपन्न वर्ग के वे लोग भी शामिल हैं जो आरक्षण का लाभ उठा कर सम्पन्न हो गये हैं) को पिछडे व विपन्न वर्गों के बीच जाकर उनके सुख–दुख बांटने होगें। यदि समरसता जागी तो जातिगत युद्ध नहीं होंगे और पड़ोसी से प्रेम हो जायेगा तो अस्त्र व शस्त्रों की आवश्यकता नहीं पडेगी। सेना व शस्त्र पर व्यय होने वाला धन गरीबी, बेरोजगारी व भुखमरी मिटाने पर काम आ सकेगा। यदि पड़ोसी मित्रवत् व्यवहार रखें तो उसका जबाब प्यार से देना चाहिए लेकिन यदि वह आंख दिखाये तो यह आवश्यक नहीं है कि हम उसके साथ मित्रवत् व्यवहार रखें। समरसता राष्ट्रप्रेम का गुर है यदि सबके साथ मैत्री का भाव आता है तो घृणा मिटती है और स्वंतः राष्ट्रप्रेम जागृत हो जाता है। महाराणा प्रताप के राष्ट्रप्रेम से ही उनके सानिध्य में रहने वाले चेतक में भी राष्ट्रप्रेम जागृत हुआ और उसने भी राष्ट्र के लिए अपने प्राण त्याग दिये। भारत की संस्कृति में वसुधैव कटुम्कम के मंत्र को भूलने नहीं देना चाहिए। जनमानस में यदि प्रतिभा होगी, पवित्रता होगी, राष्ट्रप्रेम व सुचिता होगी तो फिर देश उन्नति करेगा। यह सभी गुण समरसता के कारण ही उत्पन्न होते है। तभी राष्ट्रवाद भी जागृत होता है। इसी भाव से नागरिकों में भी प्रेम स्वयं उत्पन्न हो जाता है। वह देश उन्नति के शिखर पर पंहुचता है जहां जाति, सम्प्रदाय या अमीरी–गरीबी को लकर झगड़े फसाद न होते हों और समरसता का वातावरण हो। समाज में समरसता के कार्यक्रम प्रतिदिन होने आवश्यक है इसके लिए अखण्ड रामायण का पाठ, गीता पाठ, सहभोज (लंगर) व भण्डारा, गायत्री यज्ञ आदि धार्मिक कार्यक्रम होते रहे। जिनमें प्रत्येक भारतीय को आमंत्रित कर सहयोग लिया व दिया जाना चाहिए। तभी देश जगत्गुरु (सम्मान जनक विश्व शक्ति का प्रतिरुप) के आसन पर विराजमान हो सकेगा। प्रत्येक भारतीय के जीवन का लक्ष्य राष्ट्रवाद व समरसता के माध्यम से देश को जगत्गुरु अर्थात विश्व के सर्वश्रेष्ठ पद पर पदासीन करने का होना चाहिए वरना तो चापलूस, लंपट, लफंगे, लालची, भ्रष्टाचारी, दुराचारी व स्वार्थी लोग देश को कब विदेशियों के हाथों में बेच कर खा जायें आपको पता भी नहीं चलेगा? ❖

जमीन और पेट की लड़ाई है "जनादेश यात्रा"

■ **कश्मीरी लाल**

गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2007 को ग्वालियर से प्रारंभ होकर 2500 गरीबों, वंचितों, आदिवासी, ग्रामीण महिला पुरुषों का अनुशासित जत्था अपने लिए रोटी एवं एक टुकड़ा जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। नितांत गांधीवादी सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर यह जत्था 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचा। स्वदेशी जागरण मंच के उत्तरक्षेत्र के संगठक कश्मीरी लाल एवं डॉ. अश्विनी महाजन ने जत्थे का जंतर मंतर पर संबोधित किया। यहां प्रस्तुत है कश्मीरी लाल जी द्वारा दिल्ली आए जनादेश यात्रा को आखोंदेखा हाल सं.

कई दिनों से सुन रहे थे कि 25 हजार की जनादेश यात्रा सवा तीन सौ किलो मीटर की पदयात्रा करके दिल्ली आ रही है तो कोतूहल बढ़ रहा था। डॉ. अश्विनी महाजन के साथ जंतर–मंतर, जहाँ यात्रा का गंतव्य था, पहुंचे तो एक बार संख्या को देखकर मायूसी हुई। मात्र 250–300 यात्री! खैर आयोजकों ने बताया कि मुख्ययात्रा को तो रामलीला मैदान से इधर अभी तक आने नहीं दिया गया है। यह तो पहले से धरने पर बैठे मात्र कुछ पदयात्री ही हैं। हमारे आने से पहले से ही डॉ. वंदना शिवा भाषण देकर यात्रा के मुद्दों को उजागर भी कर रही थीं और पदयात्रियों का उत्साहवर्धन भी।

थोड़ी देर के बाद डॉ. अश्विनी महाजन और तत्पश्चात मुझे भी बोलने का निमंत्रण मिला, और हम दोनों को बोलते हुए संतोष हुआ कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला वंचित वर्ग बड़े ध्यान से बातें सुन रहा था और आयोजक भी स्वदेशी

जागरण मंच का नाम सुनकर बोले कि ''हम–आप एक ही बात हैं''। हमारे बैठते ही वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय व अखिल भारतीय कार्यकर्ता श्री विष्णु जी व डॉ. रूपसिंह जी, श्री हनुमान रामायण जी के साथ यात्रा के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए धरने में शामिल हुए।

प्रातः उठते ही हम दो कार्यकर्ता रामलीला मैदान गये जहां यात्री रात्रि को पड़ाव कर रहे थे – जिज्ञासा थी कि देखें खुले मैदान में वे कैसे रहते हैं सोते हैं। वहां जाकर पाया कि पूरा रामलीला मैदान पदयात्रियों से भरा हुआ था और वे अपने प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। जहां–जहां हम यात्रियों से बात करने गये वहां वे एक झुंड में इकट्ठे हो गये और बड़ी रूचि से हमारे प्रश्नों का उत्तर देने लगे।

पहली टोली बिहार के कार्यकर्ताओं की मिली। अधिकांश महिला/पुरुष अत्यंत गरीब व वंचित वर्ग से थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि वे रैली के मुद्दों को बड़ी अच्छी तरह समझते थे। हरेक के पास बताने को कुछ बातें थी और बातों में केवल रटे–रटाये नारे नहीं थे बल्कि दिल को छूते हुए मुद्दे थे और अपने साथ बीती हुई व्यथाएं थी, व कथाएं भी। किसी की जमीन फैक्टरी लील गई थी तो किसी की नदी! सालों से उसको पाने के लिए या पुनर्स्थापन के लिए सक्रिय थे परन्तु कहीं दाल गलती नज़र नहीं आ रही थी। वे अच्छी तरह इस एकता परिषद के कार्यकर्ताओं व संस्था के क्रियाकलापों से परिचित थे क्योंकि वे इनके गांव में अक्सर आते थे। कल के दिये अश्वासनों के बावजूद यदि उन्हें अपनी जमीन वापस नहीं मिलती है तो वे पुनः इस लड़ाई को लड़ने को तैयार थे, दुबारा यात्रा के लिए कृत संकल्प थे।

एक महिला को अपने छोटे बच्चे को नहलाना देखने लायक था। एक पालीथीन के लिफाफे पर खड़ी करके अपनी हथेली में थोड़ा–2 बोतल से पानी निकाल कर वह बच्चे को रगड़ती और नहलाती जाती थी। एक बोतल पानी में से भी उसने कुछ बचा भी लिया था। अधिकांश लोग बिना नहाए भी काम चला रहे थे। उनके पास सामान भी कुछ थोड़ा ही था जिसे वे एक बोरीनुमा थैले में डालकर चलते थे।

हमें देखकर तीन विदेशी महिलाएं भी हमारी तरफ आ गई। वे हमसे से पूछ रही थीं और हम उनसे पूछ रहे थे। एक

भूमि सुधार परिषद के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री

सरकार ने घोषणा की है कि देश में राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद के अध्यक्ष होंगे। इस परिषद के गठन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने पहले एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है। यह समिति भी एक महीने के भीतर बना दी जाएगी जिसके अध्यक्ष केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह होंगे और भूमि सुधार के क्षेत्र में लोकप्रिय व्यक्ति इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। यह भी तय हुआ है कि इस समिति में सरकारी अधिकारियों और भू विशेषज्ञों सहित आधे सदस्य भूमि सत्याग्रह और आंदोलन से जुड़े लोग होंगे।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की बैठक में लिया गया। यह बैठक एकता परिषद की पहल पर भूमि और आजीविका के संवाल पर ग्वालियर से दिल्ली तक पचीस हजार वंचितों की पदयात्रा की पृष्ठभूमि में हुई है। रघुवंश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति जरूरी क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगी और आंकड़े एकत्र कर ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद को अपनी सिफारिश करेगी। यह समिति भूमि सुधार सहित भूमि संबंधी नीतियों और निश्चित समय सीमा में भूमि संबंधी अदालती मामलों के निपटान और इनसे संबंधित न्यायिक मंचों की विशिष्ट सिफारिश करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए इन सिफारिशों पर विचार करेगी। सरकार के इस फैसले की घोषणा खुद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने सोमवार दोपहर को रामलीला मैदान में संसद कूच के लिए करीब पांच घंटे से दिल्ली पुलिस से जद्दोजहद करते पदयात्रियों के बीच आकर की।

तो मां बेटी थी, मां सत्तर के दशक की होगी और गांधीवादी विचारों से जुड़ी है। तीसरी भी कनाडा में थी और फ्रीलांसर पत्रकार थी। तीनों की गहरी सहानुभूति इस यात्रा के साथ थी और कहा उन्होंने कि वे बहुत देर पैदल भी साथ चली थी। वैसे वे उन दो सौ विदेशी यात्रियों में से थीं जो 30 देशों से आकर यात्रा में भागीदारी कर रहे थे।

जनादेश में आये लोगों में से यह पूछने पर कि आप एक महीने से यहां हो तो घर का गुजारा कैसे चलता होगा? मध्य प्रदेश से आए एक मजदूर ने बताया कि गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया था। इस कारण जो हम चार यहां लोग आए उनके घरों को पीछे कुछ न कुछ सहायता उससे मिलती रहती है। आपसी सहयोग का अद्‌भुत नमूना है यह।

बार–बार हम इस यात्रा के नेता की विस्तृत जानकारी पूछना चाह रहे थे पर पूछने पर कुछ ज्यादा न मिली। न अखबार खंगालने पर और नहीं इंटरनेट पर माथा पच्ची करने के बाद। आखिर श्री गोविंदाचार्य से पूछने पर समाधान मिला कि यात्रा के नेता पीवी राजगोपाल दक्षिण भारतीय हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और गांधीवादी चिंतक श्री सुव्वाराव के निकट सम्पर्क में आये। वहीं उनके साथ जनजातीय व वंचित वर्ग की समस्याओं का अध्ययन करते–करते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। गोविंदाचार्य जी बोले कि वे काफी दिनों से उन्हें जानते हैं, उनके मुद्दों व कार्यशैली से प्रभावित भी हैं। अच्छी बात एक और जोड़ी उनके बारे में कि यात्रा में साथ–साथ चले। कुछ वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ा गई थी। इसके बावजूद कमर पर बैल्ट बांधकर मैदान में सभी के साथ ही रात्रि खुले आकाश में चटाई पर सोते हैं। उनकी विदेशी पत्नी इस काम में उनकी सहायक हैं। मेरे पूछने पर कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी समाचार माध्यमों से क्यों नहीं मिल रही तो श्री गोविन्दाचार्य का उत्तर था कि राजगोपाल अच्छे संगठक हैं और आत्मविलोपी व्यक्तित्व के हैं। स्वयं की प्रसिद्धि में वे विश्वास नहीं रखते। आज के युग में यह असंभव सी बात है।

खैर, जल,जंगल और जमीन के मुद्दों की ओर हमारा ध्यान गया। वैसे तो ऐसे मुद्दे तभी मीडिया का ध्यान खींचते हैं जब सिंगूर या नंदीग्राम जैसी हिंसा इनसे जुड़ जाये। परन्तु सच में ही यह खोज का विषय है कि पूरी तरह गांधीवादी तरीके से चलने वाली इस जनादेश यात्रा ने मीडिया में फिर कैसे इतना स्थान पा लिया। सायंकाल तक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने रामलीला मैदान में उनकी अधिकांश मांगें मान लीं और एक केन्द्रीय भूमि आयोग बनाने की घोषणा भी कर डाली। महेन्द्र सिंह टिकैत की रैली भी इससे कम नहीं थी, और देश भर को हिलाने की क्षमता रखती थी लेकिन तब उनकी एक भी मांगे नहीं मानी गई। अब सरकारी घोषणा एक झुनझुना है या सच में उपलब्धि, समय ही बतायेगा। बेशक घोषणा के बाद अधिकांश सत्याग्रही नाचने – गाने की मुद्रा में आ गये। पर सुबह जब हम मिले तो यह खुमारी टूटी सी नजर आ रही थी। तो भी यह भी एक हैरानी का विषय है कि मांगे यूं चुपचाप मान ली गईं। सिर पर मंडराते चुनाव इसका कारण हो सकता है। अरूणा राय, वृंदा करात, व अन्य लोग जो यात्रा के बीच में ही सोनिया गांधी को समझाने आए थे कि इनकी अधिकांश मांगें संप्रग सरकार की न्यूनतम साझा कार्यक्रम और घोषणा पत्र का हिस्सा हैं और गांधी जी के चित्र के साये में यात्रा उन्हें ही लाभ देगी। इनमें से कोई भी दलील काम कर गई होगी। तो भी यात्रा का असर लोगों के दिलो–दिमाग पर काफी समय तक बना रहेगा। आज गैर–माओवादी ढंग से भी ऐसे आन्दोलन हो सकते हैं यह संदेश इस यात्रा से जायेगा। कम से कम इतना है कि किसी ने गरीब की बात अच्छे ढंग से की तो है।

एक बात और बताने लायक है। समाचार पत्रों व कुछ यात्रियों की बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा झलक रही थी। उन्होंने इस रैली में (अपने प्रदेश में) बेवाक घोषणा की थी कि हम जनादेश यात्रा की सभी मांगों से सहमत हैं। और यही नहीं केन्द्र सरकार माने या न माने, एक नवम्बर से ही भूमिहीनों को पट्टे पर जमीन देने का आश्वासन भी शिवराज पाटिल ने दिया। ❖

सत्याग्रह का रास्ता हमें गाँधीजी ने सिखाया है : पी.वी. राजगोपाल

जनादेश पदयात्रा की तैयारी आपने कैसे की?

यह एक ऐतिहासिक घटना है। हम कई वर्षों से युवाओं को तैयार कर रहे थे समाज की दुव्यवस्था को सुधारने के लिए। दुर्व्यवस्था सुधारने का मतलब है कि गांव–गांव में जाओ और वंचित जनता की मदद करो। उनके अधिकारों के लिए लड़ो। ऐसे काम करते–करते देश भर में जो फैलाव हुआ, उसी आधार पर युवा लोग तैयार हुए और गांव–गांव में संगठन बने। यह मेरी तीस वर्षों की तैयारी है। इस पदयात्रा में शामिल ज्यादातर लोग वही हैं, जो पहले की कई पदयात्राओं में शामिल हुए हैं।

हम जनादेश पदयात्रा के पहले कई छोटी–बड़ी पदयात्राओं के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि वे वंचितों के हक में काम करें। अब स्थिति यह हो गई है कि वंचितों के हित में काम करना क्रांतिकारियों का काम नहीं रह गया, सरकार भी इस काम से बच रही है।

पिछले दिनों सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं। उससे वंचित और भी वंचित होते जा रहे हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी वह अधिग्रहण में चली गई। जिसके पास थोड़ा बहुत जीने का साधन था, वह जंगल अधिग्रहण में चला गया। बहुतों की जमीन वन्यप्राणियों के अभ्यारण्य में चली गई। इस तरह लोग उजड़ते गए और एकता परिषद् का संगठन मजबूत होता चला गया।

जनादेश के पदयात्री कितने उत्साहित हैं?

बहुत उत्साहित हैं। वे इतने दिनों से जो पीड़ा सह रहे हैं, उसे अब व्यक्त करना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा हम सहन नहीं करेंगे। अब वे नंगे पैर गर्म सड़क पर भी चलने को तैयार हैं। चलते हुए कइयों के पैरों में फफोले पड़ गए। पदयात्रा में बहुत से ऐसे वंचित भी शामिल हैं जिनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। सर्दी इतनी पड़ी कि लोग रात में ठिठुरते रहे परन्तु वे दिल्ली तक यात्रा में शामिल रहे। इन पदयात्रियों के साथ इतने धोखे हुए हैं कि वे यह सब सहने के लिए तैयार है, उन्हें लगता है कि बैठे रहने से कोई नेता आकर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर देगा। तब उन्होंने निर्णय लिया कि नेताओं के इंतजार में बैठकर वक्त बर्बाद नहीं करना है। इससे अच्छा है कि चल पड़ो। हम चल पड़े हैं। अब जिनको बात करनी है वे आएं हमारे पास। हम नेताओं–मंत्रियों के इंतजार में नहीं बैठे रहेंगे।

पदयात्रा शुरू होने के बाद समाज के लोगों से कैसी मदद मिल रही है?

जबर्दस्त मदद मिली है। ग्वालियर से जब यात्रा निकली तो पहले पड़ाव पर एक ही व्यक्ति ने पचीस हजार लोगों को खाना खिला दिया। जगह–जगह, गांव और शहर के लोग पदयात्रियों पर फूल बरसा रहे हैं। मालाओं की तो बौछार है। बच्चे एक–एक किलोमीटर तक लाइन लगा कर एक–एक रुपया मदद देने के लिए तैयार हुए। गांव में किसान पदयात्रियों को पानी पिलाने के लिए होड़ कर रहे थे कि हम देंगे कि हम देंगे। हर स्थान पर लोग बिस्कुट, चावल, दाल, कंबल, चप्पल लेकर आ रहे थे।

यह सब देख कर अंदाज नहीं लगता कि लोग किस हद तक हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। चंबल की भूमि हो या ब्रज का क्षेत्र हो, हर जगह लोगों में हमारी मदद करने का उत्साह देखने को मिला। कहा जाए कि मदद का उत्साह व्यापक है। लोग दल से ऊपर उठकर आ रहे हैं – चाहे वे कांग्रेस के हों या भाजपा या अन्य पार्टी के।

जमीन के सवाल पर सरकार की भूमिका क्या रही है?

यही है कि आजादी मिलने के दौरान सभी भूमिहीनों को भूस्वामी बनाने की बात की जा रही थी और आज साठ साल बाद बचे–खुचे छोटे भूस्वामियों को भी भूमिहीन बनाने की कार्रवाई की जा रही है। यानी साठ साल में एकदम उलटा हो गया है। अपने देश के संविधान में भी भूमिहीनों को जमीन देने की बात कही गई है, पर अब इस पर कोई बात नहीं करता। राजनीतिक पार्टियां भी पहले अपने घोषणा–पत्रों में भूमिहीनों को जमीन दिलाने का वादा करती थीं। अब वे भी इससे मुकर रही हैं। सरकार और राजनीतिक पार्टियों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं।

(साभार : जनसत्ता)

नोवार्टिस की खोखली धमकी के मायने

जनस्वास्थ्य की उपेक्षा करने वाली देशी और विदेशी कंपनियों पर कारगर नियंत्रण आवश्यक है।

■ **कुमार के. एम. गोप**

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कारगुजारियों की अनेक कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी। ताजा उदाहरण दवा उद्योग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नोवार्टिस की है जिसने मद्रास उच्च न्यायालय में पराजित होने के बाद सरकार को धमकी दी है कि वह भारत में पुनः निवेश के बारे में एक बार फिर से विचार करेगी। न्यायालय में पराजय के बाद गंभीर परिणामों को भुगतने की नोवार्टिस की धमकी कई सवाल खड़े करती है – मसलन जनस्वास्थ्य के नाम पर विकासशील देशों में प्रवेश पाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए व्यापारिक हित ही सर्वोपरि है या लोगों को सस्ती एवं उचित दर पर चिकित्सा सेवा और दवा उपलब्ध कराना?

मद्रास उच्च न्यायालय में हारने के बाद नोवार्टिस कंपनी ने प्रेस के लिए जारी विज्ञप्ति में कहा कि ''न्यायालय के वर्तमान निर्णय से नोवार्टिस को इस बात का डर है कि रोगियों के लिए शोध द्वारा अच्छी दवा बनाने हेतु भविष्य में होने वाले निवेश पर इसका नकरात्मक प्रभाव होगा।'' दूसरे शब्दों में नोवार्टिस ने धमकी दी है कि यदि भारत यायालय का यही रवैया रहा तो इससे भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा और यहां की जनस्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी।

लेकिन नोवार्टिस कंपनी उच्च न्यायालय में इस हार के बाद भी चुप नहीं बैठी है। उसका पहला प्रयास है कि इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जाए। दूसरा, डब्ल्यूटीओ के किसी भी सदस्य देशों के द्वारा ट्रिप्स समझौते के अधीन धारा–3 (डी) के प्रावधान के अनुसार इसे विवाद निपटान निकाय में भी दर्ज करवा दिया जाए। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय की उम्मीद की किरणें धूमिल देख वह वहां अपील करने से पीछे हट रही है। दूसरा रास्ता भी नोवार्टिस के लिए आसान नहीं है। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश चाहे वह अमरीका ही क्यों न हो विवाद निपटान निकाय में नोवार्टिस की ओर से भी विवाद दायर करने से परहेज करेगा।

जिस दिन मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया, ठीक उसके दूसरे दिन स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के पार्षद ने कहा ''हमें एक अच्छी व्यवस्था की जरूरत है और भारत का ट्रिप्स कानून इस मामले में ठीक है। हम किसी दूसरे देश की न्यायिक व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते''। अर्थात नोवार्टिस जिस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जब उसी ने इस मुद्दे से अपने को अलग कर लिया है तो डब्ल्यूटीओ के अन्य देश भारत के विरुद्ध विवाद निपटान निकाय में जाकर विवाद दायर करेंगे, असंभव लगता है। शायद यही वजह रही कि नोवार्टिस के स्वर में धमकी का पुट ज्यादा था।

नोवार्टिस के कॉरपोरेट रिसर्च के प्रमुख पॉल हिरलिंग के बयान को लेकर विशेषज्ञ दो प्रकार की शंका व्यक्त कर रहे हैं। पहला, हो सकता है कि नोवार्टिस भविष्य में शोध द्वारा विकसित कोई नयी दवा भारतीय बाजार में उतारने से परहेज करे। जिससे यहां के रोगियों को उन दवाओं की उपलब्धता बंद हो जाएगी। दूसरी संभावना यह बनती है कि वह भारत में शोध एवं विकास के क्षेत्र में निवेश करना

सारणी - 1

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में शोध में निवेश

(मिलियन डॉलर)

कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
ग्लेक्सो स्मिथलाइन	1.07	0.96	0.87	0.81	0.74	0.98
एवेन्टिस फार्मा	0.43	0.35	0.66	0.97	0.83	0.88
फाइजर	3.2	3.29	2.89	3.91	4.39	5.12
नोवार्टिस	1.55	0.36	0.13	0.2	0.21	0.15
एबौट	0.47	0.53	0.44	0.44	0.30	0.31
मर्क	0.16	0.15	0.16	0.08	0.03	0.07
विथ	0.25	0.25	0.22	0.34	0.12	0.06
अस्ट्राजनेका	0	1.01	1.01	0.58	0.53	0.59
और्गेनोन	0.04	0	0	0	0	0
फलफोर्ड	0	0	0	0	0	0
सोलवे	0	0	0	0	0	0

स्त्रोत - प्रोवोस आँकड़ा

सारणी - 2
बिक्री की तुलना में शोध एवं विकास पर व्यय

(प्रतिशत में)

कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
ग्लेक्सो स्मिथलाइन	0.50	0.43	0.35	0.32	0.29	0.30
एवेन्टिस फार्मा	0.35	0.35	0.49	0.68	0.55	0.49
फाइजर	4.08	3.85	3.17	2.66	3.57	3.41
नोवार्टिस	0.81	0.37	0.13	0.20	0.19	0.14
एबौट	0.60	0.60	0.54	0.49	0.32	0.30
मर्क	0.24	0.21	0.21	0.10	0.04	0.08
विथ	0.41	0.38	0.34	0.49	0.16	0.09
अस्ट्राजेनका	0.00	4.19	6.38	1.80	1.31	1.28
और्गेनोन	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फलफोर्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सोलवे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

स्त्रोत - प्रोवोस आँकड़े

बंद कर दें।

प्रश्न उठता है कि वर्तमान संदर्भ में नोवार्टिस के ये दोनों कदम सफल होंगे? वर्तमान कानून के तहत नोवार्टिस भारतीय रोगियों को नई दवा देने से मना नहीं कर सकता है। यदि वह नयी दवा रोगियों को न देना चाहे तो पहले उसे भारत में उन दवाओं के उपर पेटेंट लेना होगा और उन दवाओं को यहां के दवा नियंत्रक महानिदेशक के यहां पंजीकरण नहीं कराना होगा। दूसरा, वह पेटेंट लेने एवं बाजार में बिक्री की अनुमति दोनों का निषेध कर सकता है। इन दोनों परिस्थितियों में कंपनी को ही घाटा उठाना पड़ेगा। क्योंकि दवा मामले में आज देश का बाजार काफी मजबूत है। यहां प्रसंस्करण एवं अनुगामी तकनीक क्षमता काफी विकसित है। इतना ही नहीं भारत में विपरीत परिस्थितियों में आवश्यक पट्टे (कंपल्सरी लाइसेंसिंग) की व्यवस्था है जिसके तहत जरूरत पड़ने पर दवा निर्माण की जा सकती है। इसके अलावा पेटेंट कानून के प्रावधानों (84(7), 100,101) द्वारा सरकार को इतना अधिकार है कि वह विषम परिस्थितियों एवं अत्यधिक आवयकता पड़ने की स्थिति में दवा की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। पेटेंट कानून के प्रावधान 107(अ) के तहत दवा के समानान्तर आयात की व्यवस्था भी है।

जहां तक शोध एवं विकास के मद में निवेश का सवाल है तो, इसके लिए भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इस मद में किए गए निवेश को ध्यान में रखना उचित होगा। यदि दी गई सारणी पर ध्यान देंगें तो पाते हैं कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश नगण्य है और 1999–2000 से 2004 के बीच तो इसमें धीरे–धीरे कमी भी आई है। सारणी–1 में वर्ष 1999–2004–05 के बीच दवा उद्योग की प्रमुख 11 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत में शोध एवं विकास मद में किए गए निवेश की जानकारी है। फाइजर कंपनी के अलावा एक भी कंपनी का शोध एवं विकास मद में निवेश सकारात्मक नहीं है। नोवार्टिस का निवेश उक्त अवधि में धीरे–धीरे कम हुआ है। जो 0.15 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है।

सारणी 2 में कुल बिक्री के अनुपात में इन प्रमुख 11 कंपनियों के शोध एवं विकास मद में खर्चे की जानकारी दी गई है। यह अनुपात सही माएने में किसी कंपनी द्वारा भारत में किए गए निवेश की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। सारणी से यह स्पष्ट है कि केवल दो कंपनियां (फाइजर एवं आस्ट्राजेनका) शोध एवं विकास मद में एक प्रतिशत से ज्यादा खर्च करती हैं। यहां भी नोवार्टिस कंपनी का प्रदर्शन घटिया है। कंपनी अपनी कुल बिक्री का केवल 0.14 प्रतिशत ही शोध पर खर्च की है। वह भी धीरे–धीरे कम होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा शोध में निवेश एक ढकोसला है। कुछ छोटे–मोटे और निचले स्तर के शोध के लिए ही यहां निवेश होता है। दवा विकास के नाम पर तो केवल खाना पूरी हो रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में नोवार्टिस जैसी कंपनियों के भारत में निवेश बढ़ने की संभावनाएं है लेकिन यह भी सच्चाई से परे है। नोवार्टिस पहले ही सिंगापुर में न्यूनतम मूल्य आधारित शोध केन्द्र में निवेश कर चुका है। बावजूद इसके सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर शिंकजा नहीं कसा जा रहा है। सरकार को भय है कि यदि वह ऐसा करती है तो इससे विदेशों में गलत संदेश पहुचेगा और विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से परहेज करेंगे। सच्चाई कुछ भी हो लेकिन दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो हालत है उस पर सरकार को अवश्य नियंत्रित करना चाहिए।

समय आ चुका है कि सरकार को नोवार्टिस कंपनी की इस खोखली धमकी को सिरे से नकार देना चाहिए। कुछ डॉलर के लोभ में अरबों लोगों के स्वास्थ्य रक्षा की बलि नही दी जा सकती है। यह संदेश पूरी दुनियां को स्पष्ट शब्दों में भारत को बता देना चाहिए। ❖

अर्थव्यवस्था का भारतीय मॉडल ही एक मात्र विकल्प - एस. गुरूमूर्ति

■ स्वदेशी संवाद

स्वदेशी स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक श्री एस. गुरूमूर्ति ने कहा कि भारत और भारतीय समाज द्वारा जो अर्थव्यवस्था का प्रारूप दिया गया है वही एकमात्र टिकाऊ प्रारूप हो सकता है। दुनिया भले ही यह माने कि अक्षय अर्थव्यवस्था की संकल्पना संभव नहीं है लेकिन भारत ने इसे झूठा साबित कर दिखाया है। आर्थिक विषयों पर देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों एवं प्राध्यापकों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में अपने विचार रखते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक श्री एस.गुरूमूर्ति ने यह बातें कहीं। 15–16 अक्टूबर 2007 को दिल्ली के खेल गांव मार्ग स्थित नेशनल कोपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

श्री गुरूमूर्मि ने उद्घाटन भाषण में आगे कहा कि देश में बढ़ती बचत दर एवं लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर सोना खरीदने का उदाहरण इस बात का प्रमाण है। श्री गुरूमर्ति ने कहा कि अर्थशास्त्री हमें बताते हैं कि ब्याज दर में कमी होने पर बचत दर में गिरावट आना स्वभाविक है। लेकिन भारत में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। इसी प्रकार सोने का बाजार मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके, देश में लोगों, खासकर महिलाओं द्वारा स्वर्णाभूषणों की खरीद भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है।

श्री गुरूमर्ति ने कहा कि इसके पीछे हमारे समाज की रचना एवं व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान है। एक परिवार को आर्थिक ईकाई मान लेने से ही पूरी अर्थव्यवस्था की रचना और उसका कार्यव्यवहार बदल जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे समाज और परिवार में प्रचलित व्यवहार, धारणाएं एवं मान्यताओं के कारण भी अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर फर्क पड़ता है।

प्रथम तकनीकी सत्र पर अपना विषय रखते हुए प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो. रुद्र दत्त ने कहा कि अर्थव्यवस्था में विकासदर में वृद्धि के बावजूद भी बढ़ती बेरोजगारी एवं आय असमानता चिंता का विषय है। अर्जुन सेन गुप्ता समिति का उल्लेख करते हुए श्री रुद्रदत्त ने कहा कि देश की 77 प्रतिशत से अधिक आबादी 20 रुपए से कम आय पर जीवन यापन करती है। उन्होंने कहा कि देश में असंगठित क्षेत्र में रोजगार करने वालों का प्रतिशत 93 है जबकि केवल 7 प्रतिशत लोग ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र में भी 59 प्रतिशत लोग स्वरोजगार पर आधारित है। सरकारी नीतियों में की जो दशा और दिशा है उससे कभी भी अनियंत्रित स्थिति पैदा हो सकती है। भारत जैसे सफल लोकतांत्रिक देश में विषमता मूलक समाज की संकल्पना लोकतंत्र के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री गोविंदाचार्य ने देश में बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि इससे सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर असर पड़ा है। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की लूट और उसका अनैतिक खनन चिंता का विषय है। विकसित और विकासशील देशों की तुलना करते हुए श्री गोविंदाचार्य ने कहा कि विश्व में 46 देश ऐसे हैं जहां 8 से दस करोड़ की आबादी है जबकि 147 देश वे हैं जिनकी आबादी एक करोड़ से भी कम है। इन देशों में भाषा, भूषा, भोजन, भजन का फर्क है। हम भारत की तुलना इन देशों से नहीं कर सकते क्योंकि भू संस्कृति और भू–राजनीति में अंतर है। विकसित देशों में मशीनों और रसायन से खेती होती है जो यहां संभव नहीं। भारत में पढ़ाई, लड़ाई, और दवाई में किसान बरबाद हो रहा है। वोट की रोजनीति के कारण शहरों में 60 प्रतिशत आबादी स्लम में रहती है। उन्होंने कहा कि विषमताओं एवं विसंगतियों से निजात पाने का स्वदेशी मार्ग है समाज को जागृत कर उसे आगे लाना। जब तक समाज सत्ता आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान नहीं करेगा, तब तक अक्षय एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था एवं देश के भविष्य का निर्णय नहीं हो सकता है।

दक्षिण–दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग वाले तकनीकी सत्र में आईसीएसएसआर के पूर्व अध्यक्ष श्री वी.आर. पंचमुखी ने विस्तार से दक्षिण देशों के सामने उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को दक्षिण के देश ही सफलतापूर्वक चुनौतियां दे सकते हैं। कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र पर डॉ. जितेन्द्र बजाज ने अपना विषय प्रस्तुत किया। इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. अरूण कुमार, आरआइएस के सचिन चतुर्वेदी ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। ❖

ग्लोबल वार्मिंग का भारत पर प्रभाव

पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण जिस प्रकार की राजनीति विश्व स्तर पर हो रही है उससे पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। आज विकास एवं पर्यावरण के बीच संरक्षण बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

■ डा0 भरत झुनझुनवाला

पर्यावरण परिवर्तन के आकलन के लिये तमाम देशों की सरकारों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में स्थापित इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेन्ज को इस वर्ष के नोबल शान्ति पुरस्कार से नवाजा गया है, यह प्रसन्नता का विषय है। इस पैनल का मुख्य योगदान पृथ्वी के बढ़ते तापमान का आकलन करने एवं उससे सम्भावित नुकसान के प्रति देशों को आगाह करने का रहा है। पैनल ने अनुमान लगाया है कि आनेवाले 100 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। परिणामस्वरूप पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों एवं तमाम ग्लेशियरों पर जमी हुई बर्फ के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और मालदीव और बगंलादेश के विस्तृत इलाके समुद्र में समा जायेंगे। अल्ट्रावायलेट सूर्य किरणों के अधिक प्रवेश से रोगों के बढ़ने की भी संभावना है। सूखा, तूफान और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदायें बढ़ सकती हैं। इन अनेक समस्याओ से मानव जाति को बचाने के लिये पैनल ने कार्बनडॉई ऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करने के लिये क्योटो संधि के अन्तर्गत सफल मुहिम छेड़ी है।

पैनल के प्रयासों को अमरीका एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों से समर्थन नहीं मिला है। इन देशों का प्रमुख ध्यान आर्थिक विकास पर है। अमरीका के राष्ट्रपति बुश तापमान में वृद्धि को चिंताजनक मानते हैं किन्तु कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को सीमित करने का आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसलिये उन्होने क्योटो संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अमरीका के इस व्यवहार की आम तौर पर भत्सर्ना की गयी है। पैनल को नोबल पुरस्कार से नवाजा जाना आर्थिक विकास के इस भूत पर एक और प्रहार है। इस पुरस्कार से संदेश जाता है कि अमीर देशों को दूसरे गरीब देशों, दूसरे प्राणियों एवं नदी, बादल जंगल आदि के प्रति संवेदनशील बनना चाहिये तथा सिर्फ अधिकाधिक खपत को ही लक्ष्य नहीं मानना चाहिये।

लेकिन कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन एवं पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के सम्बन्ध को लेकर विवाद है। कनाडा के पर्यावरण विशेषज्ञ टिमोथी बाल का मानना है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि सूर्य की हलचल के कारण हो रही है और यह मानव जाति के लिये लाभकारी होगी। जैसे देखा जाता है कि ग्रीन हाउस में उपज अच्छी होती है। इसी प्रकार पूरी धरती को ग्रीन हाउस बनाना लाभकारी होगा। ग्लोबल वार्मिंग से कृषि उपज में वृद्धि होगी। अनेक ठन्डे देशों में जाड़े के तापमान में वृद्धि से मकान को गर्म रखने के लिये तेल की खपत कम होगी। ठन्डे देशों में फसल की अवधि बढ़ जायेगी चूंकि भूमि के बर्फ से ढ़के रहने का समय कम हो जायेगा। ठन्ड से होने वाले रोगों में कमी होगी जैसे वृद्धों को सर्दियों में जोड़ों में दर्द अधिक होता है। इस प्रकार के प्रभावों के आधार पर श्री टिमोथी बाल ग्लोबल वार्मिंग को लाभकारी बताते हैं। आपका कहना है कि क्योटो संधि के माध्यम से उस समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है जिसका वास्तव में अस्तित्व ही नही हैं।

ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिये पृथ्वी के एतिहासिक तापमानों को ध्यान में रखना चाहिये। जैसे बुखार की दवा के प्रभाव को जानने के लिये पूर्व के तापमान की जानकारी होना जरूरी है। वाशिंगटन स्थित नेशनल सेन्टर के जॉन कार्माइल बताते हैं कि पिछले सात लाख वर्षों में एक लाख वर्ष के ठंड–गरम के कल्प होते रहे हैं। लगभग 90,000 वर्षों तक तापमान में धीरे–धीरे गिरावट आती है। फिर 10–12,000 वर्षों में तीव्र वृद्धि होती है। वर्तमान में हम वृद्धि के दौर में हैं। ठंड के पिछले दौर का न्यूनतम तापमान लगभग 20,000 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। उस समय पृथ्वी का तापमान वर्तमान से 5–7 डिग्री कम था। इसके बाद पृथ्वी गरम होना शुरू हुई है। यह सिलसिला वर्तमान में जारी है और यही ग्लोबल वार्मिंग के रूप में प्रकट हुआ है। यह वृद्धि नियमित रूप से नहीं होती है। इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। मसलन आज से 8500 से लेकर 5500 वर्ष पूर्व के बीच पृथ्वी का औसत तापमान 32.2 डिग्री से बढ़कर 34.4 डिग्री हो गया था। इसके बाद इसमें गिरावट हुयी और वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान 32.7 डिग्री है। वर्तमान की तुलना

में पहले तापमान 1.7 डिग्री अधिक था। इस कल्प में अन्तिम वृद्धि इससे अधिक हो तो भी वह पूर्व कल्पों के अधिकतम तापमान के समतुल्य हो सकती है। जिस प्रकार 12 माह में तापमान बदलता है उसी तरह कल्प में भी। अतः तापमान में हो रही वृद्धि में कितना प्रभाव सहज है और कितना कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन का है इसका अनुमान लगाना कठिन है।

पृथ्वी के तापमान में वर्तमान में हो रही वृद्धि का प्रमुख कारण सूर्य की हलचल होने की संभावना को बल दूसरे ग्रहों की स्थिति से मिलता है। सिमान फ्रेजर यूनिवर्सिटी के छात्र एंड्रू मार्शल इंटरनेट पर बताते हैं कि बृहस्पति पर तूफान आने से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है और तापमान के 10 डिग्री बढ़ने का अनुमान है। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार पृथ्वी एवं मंगल में तापमान में वृद्धि साथ–साथ हो रही है। इससे संकेत मिलता है कि पृथ्वी में तापमान का कारण कार्बनडाई आक्साइड उत्सर्जन नहीं है। अमरीका के अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा के अनुसार मंगल के कार्बनडाइ आक्साइड की बर्फ के पहाड़ पिछले कुछ वर्षों से पिघल रहे हैं। नेप्ट्यून के सबसे बड़े उपग्रह ट्रिटन की सतह पूर्व में जमी हुयी नाइट्रोजन की बनी हुयी थी। अब यह नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो रही है। इन तथ्यों से सम्भावना बनती है कि पृथ्वी पर हो रही तापमान में वृद्धि सहज है। निश्चित रूप से इसमें कार्बनडाई आक्साइड के अधिक उत्सर्जन का भी योगदान रहा होगा किन्तु इसका प्रभाव नगण्य हो सकता है।

इन तथ्यों के कारण तापमान में वृद्धि को लेकर पैनल द्वारा खतरे की घन्टी बजाने का आधार कमजोर दिखता है। परन्तु दूसरी तरफ तापमान में वृद्धि को नकार कर अमरीका आदि देशों द्वारा मनुश्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उत्तरोत्तर अधिक भोग बढ़ाना भी उतना ही हानिप्रद दिखता है। जरूरत है कि आर्थिक विकास के भूत और कार्बनडाई आक्साइड उत्सर्जन के कारण तापमान में वृद्धि––दोनों को नकार कर हम प्रकृति से सामंजस्य बैठायें। मनुष्य को चाहिये कि समझने का प्रयास करे कि धरती माता गरम होना चाहती है क्या? यदि हॉ, तो उस वृद्धि से मानव जाति आत्मसात् करे। उसे रोकने का प्रयास करना उतना ही दुष्कर है जितना कि कार्बनडाई आक्साइड के उत्सर्जन से उसमें तीव्र वृद्धि करना।

भारत के लिये यह विषय महत्वपूर्ण है। उपर बताया गया है कि आज से 5500 वर्ष पूर्व पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान से अधिक था। यह वही समय है जब सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय हुआ था। यानि तापमान में वृद्धि से भारत का उदय हुआ था। एक संभावना है कि तापमान में वृद्धि से समुद्र में वाष्पीकरण अधिक होता है जो हमारे लिये लाभकारी होता है। अतः हमें तापमान में वृद्धि से अनावश्यक उद्वेलित नहीं होना चाहिये। भारत सरकार को चाहिये कि इस पैनल को छोड़कर वैज्ञानिकों का अलग दल बनाकर तापमान में वृद्धि का भारत जैसे गर्म देशों और इंगलैण्ड जैसे ठंडे देशों पर अलग–अलग प्रभाव का निष्पक्ष आकलन कराये। सम्भव है कि तापमान में वृद्धि भारत जैसे देशों के भाग्योदय में लाभकारी हो। ❖

नहीं संभले तो 'प्रलय' निश्चित

संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रपट ने फिर चेतावनी दी है। दुनियाँ भर के 388 वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों ने अविलंब कार्रवाई की अपील की। ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण हो रहे मौसमी बदलावों को देखते हुए पर्यावरणविदों का कहना है कि पृथ्वी करीब–करीब प्रलय की कगार पर है। वक्त रहते पर्यावरण संरक्षण के प्रयास तेज नहीं किए गए तो मानव समुदाय को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बात दुनिया भर के जाने–माने 388 वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों की रपट में कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रपट में लेखकों ने कहा है कि उनका उद्देश्य दुनिया की अंधकारमयी और भयावह तस्वीर पेश करना नहीं, बल्कि संभावित तबाही को रोकने के लिए अविलंब कार्रवाई की अपील करना है। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक–4 (जीइओ–4) नामक इस रपट को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित संस्था इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के अध्यक्ष डॉ. आर. के. पचौरी ने जारी किया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तरफ से एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें आने वाले प्रलय की कुछ झलक मिलती है। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करनेवाली इस फिल्म में बाढ़, भू–स्खलन, अग्निकांड, अकाल और बीमारी के दृश्य हैं।

रपट की खास बातें

- विकास नीति में व्यापक बदलाव किया जाए।
- विश्व पर्यावरण का 60 प्रतिशत हिस्सा खस्ताहाल है।
- ग्लोबल वॉर्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 60 से 80 प्रतिशत कमी लानी होगी।

भारत कठिनाई में

- भारत और एशिया के दूसरे देशों में पर्यावरण प्रदूषण और मौसमी बदलावों के चलते मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

भावी खतरे

- भंयकर सूखे और बाढ़ के साथ–साथ भूक्षरण।
- समुद्र के तटवर्ती इलाकों का डूबना।
- अनाज उत्पादन में कमी।
- वायु प्रदूषण से ओजोन पर्त पर खतरा बढ़ा।
- भूजल के अनियमित दोहन और ग्लेशियरों के क्षरण से भयंकर जल संकट की आशंका। मानव एवं पशुओं को संक्रामक बीमारी की आशंका।

जागो फिर से भारतवासी

एक समृद्ध एवं गौरवशाली राष्ट्र बनने के सभी तत्व भारत में मौजूद हैं। हमें अपने प्राचीन परम वैभव की प्राप्ति हेतु एक बार पुनः जागना होगा।

■ **निरंकार सिंह**

धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में भारत शताब्दियों तक विश्व के मानचित्र पर चमकता रहा है। बुद्ध, महावीर, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बुद्धायन और सम्राट अशोक जैसे युग पुरूष भारत में ही पैदा हुए थे। दुनिया के अन्य देश जब अंधकार में भटक रहे थे उस समय (पाषाण युग) भारत की सिन्धु घाटी में अन्यन्त विकसित हड़प्पा संस्कृति का विकास हो चुका था। इसी सभ्यता ने दुनिया को आधुनिक नगर नियोजन की कला सिखाई। जहाजरानी का भी विकास सिन्धु घाटी की सभ्यता ने ही किया था। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले अंकों में शून्य का आविष्कार किया था। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय ईसा से 700 वर्ष पूर्व तक्षशिला में स्थापित हुआ था जिसमें दुनिया भर के छात्र विद्याध्ययन के लिए आते थे। दूसरा विश्वविद्यालय ईसा 400 वर्ष पूर्व नालन्दा में स्थापित हुआ था। इन विश्वविद्यालयों को शिक्षा जगत में भारत का महान योगदान माना जाता है। ईसा से 600 वर्ष पहले सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की नींव रखी थी। उन्होंने तथा उनके सहयोगी चिकित्सा विज्ञानियों ने सीजेरियन (आप्रेशन) से प्रसव, आंखों के आप्रेशन, हड्डियों को जोड़ने तथा पथरी के आप्रेशनों की विधि विकसित की थी। उन्हें शल्य क्रिया के लिए रोगियों को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया की प्रणाली का ज्ञान था।

ब्रिटिश विद्वानों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि बुद्धायन ने यूरोपीय गणितज्ञों से शताब्दियों पूर्व अंकगणित के अनेक सूत्रों का आविष्कार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले 'पाई' की गणना की थी। बीजगणित (एलजबरा) और त्रिकोणमिति (ट्रिग्नोमेट्री) तथा चलन कलन (कैलकुलस) का आविष्कार और विकास भारत में ही हुआ। भारत ने ईसा से 100 वर्ष पूर्व ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार कर लिया था। शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। विश्व में सिंचाई के लिए सबसे पहला बांध और जलाशय सौराष्ट्र में बनाया गया। भारत सहस्त्रों वर्ष पूर्व भी अपनी खनिज सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध था। यहां के राजवंशों, राजप्रासादों और मंदिरों का वैभव, रत्नों से सुशोभित राजसिंहासनों तथा विपुल धनराशि की ख्याति विदेशों में फैली हुयी थी और भारत की यही समृद्धि बीते हुए वर्षों में उसके दुर्भाग्य में परिणत हो गयी। खनिज पदार्थों की खोज, उनके खनन तथा धातु शोधन कार्यों में भारतीयों ने अति प्राचीन युग में ही दक्षता प्राप्त कर ली थी। आधुनिक यन्त्रों के आविष्कार से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही भारतीय खनक भूगर्भ में पर्याप्त गहराई तक पैठ कर खनिजों की प्राप्ति किया करते थे। इस प्रकार की कुछ खानें तो 500 फुट तक गहरी देखी गयी थीं। भारत के सभी प्राचीनतम ग्रन्थों में सोने तथा चांदी आदि के सम्बन्ध में संदर्भ मिलते हैं। इन धातुओं का आभूषणों के रूप में प्रचलन अत्यन्त प्राचीन है। यह सोचकर कि किस प्रकार इन भारतीयों ने उन अंधकारपूर्ण दिनों में जबकि सभी ओर से उनके संसाधन सीमिति थे, सोने जैसी मूल्यवान तथा अपेक्षाकृत विरल धातु की प्राप्ति पृथ्वी के गर्भ से की, आज भी आश्चर्य होने लगता है। धातु शोधन की कला में भी भारत के शिल्पी बहुत निपुण थे। सिकन्दर ने जब ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण किया तब तक उत्तरी भारत के सभी राज्यों में लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। दिल्ली में कुतुबमीनार के समीप ही 'लोहे का स्तंभ' अति उच्च कोटि के इस्पात

उत्पादन की क्षमता का एक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह स्तम्भ 23 फुट 8 इंच लम्बा तथा इसका नीचे (आधार) का तथा ऊपर (चोटी) का ब्यास क्रमशः साढ़े सोलह तथा बारह इंच है। आज के धातु विशेषज्ञ यह कल्पना करते हुए आश्चर्य चकित रह जाते हैं कि जंग न लगने वाला इतना उत्तम इस्पात कैसी भटिठ्यों में शोधा गया है तथा फिर किस प्रकार उसको ढालकर इतने बड़े स्तंभ का रूप दिया गया होगा। मद्रास राज्य में शोधित शस्त्र निर्माण योग्य इस्पात मध्यकालीन युग में यूरोप के विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता था तथा दमिश्क में सुप्रसिद्ध तलवारें इसी इस्पात से निर्मित की जाती थीं।

भारत में उत्पन्न हीरे विश्व भर में प्रसिद्ध रहे हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक हीरों में से अधिकांश भारतीय उत्पत्ति के ही हैं, उदाहरणार्थ कोहेनूर। ब्राजील तथा दक्षिणी अफ्रीका में हीरे मिलने से पूर्व वे केवल भारत में ही उत्पन्न होते थे तथा आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व ही इनका निर्यात विदेशों में होने लगा था। इसी प्रकार भारतीय पन्नों के सम्बन्ध में कुछ संदर्भ महाभारत में मिलते हैं। आज से एक हजार वर्ष पूर्व की पुस्तकों में ही पन्नों के 80 से अधिक वर्गों के सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा जा चुका है। जहां तक औषधि विज्ञान में खनिजों के उपयोग का प्रश्न है, उस दिशा में भी भारत प्राचीन समय से ही आगे रहा है, सोना, पारा, लोहा, इत्यादि धातुओं की भस्म का औषधि के रूप में आविष्कार इस देश में उस प्राचीन समय से ही हो गया था जब कि पाश्चात्य विधि के चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला भी नहीं रखी गयी थी। इनमें से आज भी अपने ढ़ंग की अनुपम औषधियां हैं। आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थों में पारे, अभ्रक तथा गंधक आदि तत्वों व उनके खनिजों के लक्षणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज देश के सही सोच रखने वाले हर नागरिक को यह चिंता होने लगी है कि अपार प्राकृतिक सम्पदा, उच्च मानवीय विलक्षणता और समृद्धिशाली विरासत के होते हुए भी आखिरकार हमारे देश की यह दशा कैसे हो गयी और इससे देश को कैसे बचाया जा सकता है।

आज भी विदेशी पर्यवेक्षक अपने देश में कार्यरत धनी भारतीयों को देखकर इस प्रश्न से हैरान होते हैं कि भारत इतना निर्धन देश क्यों है। दुनिया में हम गरीब नहीं हैं। सौभाग्य से भारत के पास उत्कृष्ट श्रेणी की धातुओं के स्रोत और साधन हैं। उसके पास लोहा, बेरीलियम तांबा, एल्यूमिनियम, मैगनीज, अभ्रक आदि प्रचुर मात्रा में है। भारत के पास बेरीलियम नामक कच्ची धातु का सबसे विशाल भंडार है और वह इसे विकसित देशों को सप्लाई करता है। बेरीलियम के उत्पादों की जरूरत उपग्रह बनाने में भी पड़ती है। बेरीलियम–तांबा के मिश्रण से धातुएं बनाकर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनेक नायाब कमाल किये जा सकते हैं। इसी प्रकार चमत्कारिक धातु टिटेनियम के भंडार के मामले में भी भारत दुनिया में पहले नम्बर पर है। हमारे पास अनेक दुलर्भ और सामरिक महत्व की उच्चकोटि की मूल्यवान धातुएं हैं। लेकिन अभी तक हमारे देश में शोध विकास, उद्योग और व्यापार का सुनहरा त्रिभुज नहीं बन पाया है।

दुनिया आर्थिक युद्ध कला के नये युग में प्रवेश कर चुकी है। यह युद्ध कौशल रूपी तकनीक के माध्यम से 'विश्व व्यापार संगठन' के देश लड़ रहे हैं। यदि किसी देश के पास आवश्यक तकनीक नहीं है तो उसके प्राकृतिक साधन और स्रोत उसके बेकार साबित होंगे। इसलिए यदि हमें भारत को विकसित और सम्पन्न देश बनाना है तो हमें तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। कच्ची धातुओं के मामले में भारत काफी खुश किस्मत है। इस संदर्भ में उसका नम्बर चीन के बाद आता है। दुर्लभ मुद्राएं भी ऐसी धातुएं हैं उनसे जुड़ी अनेक उच्च श्रेणी की तकनीकों के आगमन के बाद उन पर आधारित अनेक/प्रयुक्तियां सामने आयेंगी और जब उनका निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा तब भारत उनके निर्यात बाजार में शामिल हो जायेगा। छोटे टेप रिकार्डर, वाकमैन या ईयर फोन आदि इन चमत्कारिक धातुओं–चुम्बकों की मदद से बन सकें तो हम एक दिन हर किसानं को सौर ऊर्जा से चालित पम्प सेट दे सकने में सामर्थ होंग तब भारतीय कृषि के लिए एक नयी क्रांति के द्वार खुल जायेंगे और हम एक विकसित राष्ट्र को बनाने का अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगे।

भारतीय भूगोल की मामूली जानकारी

रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि हिमालय का पूरा इलाका, उत्तर पूर्व, मध्य भारत और तटीय क्षेत्र औषधीय वनस्पतियों, पेड़–पौधों और प्राणि समूह के मामले में कितना समृद्ध है। यहां तक कि राजस्थान के रेतीले क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट जाति के पौधे और जानवर पाये जाते हैं। यदि हम एक राष्ट्र के रूप में संकल्प कर लें तो कालेजों, स्कूलों तथा अन्य स्थानीय संस्थानों के लोग मिलकर इन तमाम जैव साधनों का पूरा विवरण तैयार कर सकते हैं। काफी जानकारी उपलब्ध भी है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने तमाम जैव साधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए कार्योन्मुखी योजनाएं बनाकर उनका लाभ उठायें। हमारी लम्बी तटरेखा भी समृद्ध जैव–सम्पदा का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। लेकिन महासागर के प्रति हमारी उपेक्षा के कारण हमें काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इस उपेक्षा के कारण ही हम अपनी मछलियों की अल्पतम पैदावार कर पाते हैं। सागर में भांति–भांति की समुद्री शैवाल और घास एवं वनस्पतियां होती हैं जिनका चिकित्सकीय उपयोग भी हो सकता है और भोजन की सामग्री भी तैयार की जा सकती है। इसके अलावा समुद्र में पाये जाने वाले पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिन्हें नमकीनी क्षेत्रों में पाला जा सकता है। समुद्र भारत के लिए एक और जैव स्रोत भी सिद्ध हो सकता है, यदि हम इन स्रोतों को भलीभांति जान समझकर उसका इस्तेमाल करना सीख जाएं। भारत इस मामले में खुश किस्मत है कि सारे उपमहाद्वीप में ऐसे पौधे और जड़ी बूटियां मौजूद हैं जिनसे तरह–तरह की औषधियों का उत्पादन होता है। उनका सम्पूर्ण और पर्याप्त अध्ययन करके अपनी आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात बढ़ाकर देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। वैदिक काल के बाद चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सकों ने क्रमशः 'चरक संहिता' और 'सुश्रुत संहिता' में लगभग 700 औषधियों का जिक्र किया है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ–साथ विशेष प्रयोजनों के लिए काम में आती है। लेकिन हम अभी तक एलौपैथिक औषधियों के मोहजाल में फंसे हैं जिनका कारोबार यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर रही हैं और उनके देशों को भारी फायदा हो रहा है। इस स्थिति को बदलना और उलटना होगा। देश में आयुर्वेद के विकास की संभावनाएं हैं। एलोपैथिक औषधियों के दुष्प्रभाव के कारण सारी दुनिया का ध्यान हमारी आयुर्वेदिक औषधियों की ओर बढ़ा है और इसका लाभ देश को उठाना चाहिए।

इतिहास साक्षी है कि प्राचीन काल में भारत एक सम्पन्न देश था और उसकी यह सम्पन्नता दूसरों की ईर्ष्या का कारण बनी और हम गुलाम हुए। लेकिन सभी जानते हैं कि प्राचीनकाल में भारत की सम्पन्नता का कारण उन्नत कृषि थी। उस समय अर्थ का प्रमुख साधन कृषि ही था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके पास गंगा, यमुना का विशाल उपजाऊ मैदान है जिससे दुनिया का पेट भरा जा सकता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण भारत ही एक ऐसा देश है जहां बारहों महीने खेती बाड़ी होती है जबकि अधिकांश पश्चिमी देशों में खेती का समय पांच–छह महीने (मार्च से जुलाई तक) ही होता है, जब बर्फ पिघल जाती है। पर खेती बाड़ी के मामले में भी हम पिछड़े हैं। आज हमारा खाद्य उत्पादन लगभग 20 करोड़ टन है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र हमारे पास चीन से भी ज्यादा है और उत्पादन उसके आधे से भी कम है। इसे हम दोगुना कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत का लक्ष्य विश्व का सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश बनने का होना चाहिए जिसकी पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। इन प्रयासों से नये युग का श्रीगणेश होगा, जो असंख्य देशवासियों को गांवों और छोटे–मोटे शहरों में नये–नये रोजगार और ज्यादा कमाई करने का अवसर प्रदान करेंगे और देश का तेजी से आर्थिक विकास होगा, पूंजी लगाने वालों को अपनी पूंजी का बेहतर लाभ मिलेगा। इसी तरह बनेगा नया भारत। ❖

आज हमारा खाद्य उत्पादन लगभग 20 करोड़ टन है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र हमारे पास चीन से भी ज्यादा है और उत्पादन उसके आधे से भी कम है। इसे हम दोगुना कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत का लक्ष्य विश्व का सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश बनने का होना चाहिए जिसकी पूरी संभावनाएं मौजूद हैं।

लोगों को कोरी स्लेट समझ लिया गया

धर्मपाल जी गाँधीवादी होने के साथ ही भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के अन्वेषणकर्ता थे। 2006 में वे गोलोकवासी हुए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ''अंग्रेजों से पहले का भारत'' से उद्धृत यह लेख हम पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

■ **धर्मपाल**

गाँधीजी ने 1920 के शुरू में यंग इंडिया में अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में हमारी देशज शिक्षा व्यवस्था, कला–कौशल, ब्रिटिश आक्रमण से पहले की देश की सामाजिक स्थिति और ब्रिटिश राज के दौरान फैली कंगाली और 1800 से पहले दक्षिण के परिआ और महाराष्ट्र के महारों की बेहतर स्थिति के बारे में बहुत कुछ छापा। इनके सारे लेखक कोई गाँधीजी के अनुयायी और प्रशंसक नहीं थे। ब्रिटिश वायसराय परिषद के सदस्य शंकरन नायर जैसे लोगों ने भी इसी तरह की बातें लिखी थीं।

गाँधी जी ने अपने बहुत सारे लेखों और भाषणों में, खासतौर पर 1909 में लिखे गए हिंद स्वराज में, भारतीय समाज और उसकी व्यवस्था, उसके इतिहास में किस तरह चली है, इसकी अपने तरीके से भरी पूरी जानकारी देने की कोशिश की थी। हिंद स्वराज में सत्याग्रह के बारे में उन्होंने लिखा कि भारत में इसकी बहुत पुरानी परंपरा रही है और इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है। मेरा विश्वास है कि भारत समाज और उसकी दृष्टि के बारे में अपनी इस गहरी समझ के कारण ही देशवासियों से उनके तार इतनी आसानी से जुड़ सके थे कि उनकी बात भारत के लोग मानते चले गए। उन्होनें 1944 में कहा भी था कि भारत लौटने के बाद उन्होंने तो उसे सिर्फ स्वर दिया था जिसे लोग महसूस करते और खुद जानते थे। यह जरूर सही है कि देश के लोगों के साथ जुड़े हुए उनके तार के अलावा उनकी संगठनात्मक शक्ति और नेतृत्व की क्षमता को भी देश में आए परिवर्तन का श्रेय दिया जाना चाहिए।

इस सबके बावजूद हिंद स्वराज में गाँधीजी ने जो कहा और यंग इंडिया या दूसरे स्थानों पर भारतीय समाज और उसकी राज्य व्यवस्था के बारे में जो कुछ छपा, उसे स्वतंत्रता लेने के बाद देश को चलाने वाली संस्थाओं ने बहुत कम आत्मसात् किया। सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर आज भी वही व्यवस्था चल रही है जिसे 1760 से 1830 के बीच भारतीय संस्थाओं और ताने–बाने को नष्ट करके अँग्रेजों ने बनाया था। या फिर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने जो ढाँचा खड़ा किया था उसी को आदर्श मानकर हमने अपना ढाँचा बनाया है।

अब यह कहा जा सकता है कि 1920 तक देश के प्रभुताशील वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने समाज से अलग–अथल हो चुका था। और उसने अपने निजी या सार्वजनिक जीवन को ब्रितानी विचारों और मान्यताओं के आधार पर ढालना शुरू कर दिया था। गाँधी जी ने कोई 25 साल देश का नेतृत्व किया। कई मोर्चों पर अंग्रेजों का मुकाबला करने और उसका प्रभाव पोंछने के ख्याल से यह कोई लम्बा अरसा नही था। यह भी सही हो सकता है कि उसके साथ आए श्रेष्ठिवर्ग ने – जिसे बाद में राजनैतिक सत्ता मिली – भारतीय समाज के बारे में उनकी समझ को गंभीरता से नहीं लिया और यह नहीं सोच सके कि ऐसा भारत आज की समसामयिक दुनिया में टिकाऊ हो सकता है। गाँधी जी को भी प्रिय रहे इस श्रेष्ठिवर्ग के एक अधिक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था कि कोई आदमी भला गाँव के लोगों में गुण कैसे देख सकता है, वे तो इतने अज्ञानी होते हैं।

बहरहाल, हमारे श्रेष्ठिवर्ग का यह तबका भारतीय परंपरा को आत्मसात् करके भविष्य का नक्शा न बना पाया हो, मगर उसमें सृजनात्मक प्रतिभा होती तो पश्चिम से उसने जो कुछ सीखा था उसे ही ठीक से पचाकर और भारतीय परिस्थितियों में ढालकर उसे हमारे फायदे की वस्तु बना सकता था। लेकिन ऐसा करने में भी वह अब तक पूरी तरह असफल हुआ है। इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले काफी महिमामय लोग इस पर खूब विस्तार से बोल चुके हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि देश की व्यवस्था को फिर से रचने में हमारी यह अक्षमता और भी काफी पहले से है। शायद विजयनगर का राज्य और 18वीं शताब्दी के आरंभ में मराठाओं ने जो देसी राज्य खड़े करने की कोशिश की थी वह भी आज जैसी ही नाकामयाब साबित हुई थी। बावजूद इसके कि विजयनगर राज्य की प्रेरणा महान आचार्य विद्यारण्य से मिली और मराठाओं के राज्य की प्रेरणा समर्थ रामदास से। दोनों ही कोशिशों में हम अपने समाज और अपनी राज्य व्यवस्था को लोगों की मान्यताओं और विचारों से जोड़कर उसे सुसंगठित और कार्यशील नहीं बना पाए। हो सकता है जब समाज और राज्य व्यवस्था के बीच का संबंध छिन्न–भिन्न हो जाता हो, तो ज्यादातर सभ्यताओं को इसी तरह का बांझपन भुगतना पड़ता हो और नींद की अवस्था में आ जाना पड़ता हो। ऐसा हो सकता है कि शताब्दियों से हम इसी तरह के दौर से गुजर रहे हैं और जल्दी ही ऐसा समय आ जाए जब हमारी राज्य व्यवस्था न सिर्फ हमारे समाज की आशाओं और

आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करने लगी, बल्कि उसी के विचारों और मान्यताओं के अनुरूप चलती दिखाई दी। यह भी हो सकता है कि मैं नाहक अधीर हो रहा हूँ और देश में पहले से ही ऐसी धाराएं बह रही हों जो कुछ समय बाद समाज और राज्य व्यवस्था में आज दिखाई देने वाली दरार को निरर्थक बना दें। जब हमने आजादी ली थी तो गाँधी जी ने किसी को लिखा था कि हमें बहुत जल्दी किसी नतीजे की आशा नहीं करनी चाहिए। करीब डेढ़ सौ वर्ष की परतंत्रता ने जो स्थिति पैदा की है, उससे देश को उबार कर, स्वस्थ करने में कम से कम इससे आधा समय लग सकता है।

इस सबके बावजूद मैं जो बेचैनी महसूस करता हूँ वह दूर नहीं होती। मुझे लगता है कि हमारा समाज और हमारी राज्य व्यवस्था जिस तरह की दो अलग–अलग दुनियाओं में बँटती जा रही है उसके पीछे गहरे और दार्शनिक कारण हैं। शायद भारत के लोगों को चित्त और इसके आधार पर जो निजी संसार उन्होंने बनाया है वह एक ऐसी दुनिया से मेल नहीं बैठा सकता, जिसमें वर्गों और क्षेत्रों के बीच एक अनिवार्य विद्वेष रहता हो।

कोई बीस साल पहले तक मैं ग्रामीण पुनर्रचना के कामों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। उसके जैसे दूसरे बहुत से लोगों की तरह एक नए भारत को रचने से जुड़े सवालों में मेरी आम दिलचस्पी थी। हो सकता है मैंने भी 1947 में यह नादानी भरी कल्पना की हो कि ऐसी पुनर्रचना और ऐसा पुनर्जागरण होने ही वाला है। हमारी पीढ़ी के अनेकों लोगों में यह विश्वास कई वर्षों तक चला।

लेकिन जैसे–जैसे साल बीते, इन आशाओं पर पानी फिरना शुरू हो गया। मुझे लगा, और मैं सोचता हूँ कि औरों को भी लगा होगा कि अधिकांश क्षेत्रों में हमारी जो उपलब्धियां हमें मिली हैं, वे भी भौतिक साधनों की वजह से ज्यादा हैं बजाय हमारी किसी प्रतिभा, पद्धति या सोच–विचार

यह भी हो सकता है कि मैं नाहक अधीर हो रहा हूँ और देश में पहले से ही ऐसी धाराएं बह रही हों जो कुछ समय बाद समाज और राज्य व्यवस्था में आज दिखाई देने वाली दरार को निरर्थक बना दें। जब हमने आजादी ली थी तो गाँधी जी ने किसी को लिखा था कि हमें बहुत जल्दी किसी नतीजे की आशा नहीं करनी चाहिए। करीब डेढ़ सौ वर्ष की परतंत्रता ने जो स्थिति पैदा की है, उससे देश को उबार कर, स्वस्थ करने में कम से कम इससे आधा समय लग सकता है।

कर किये गये प्रयत्न के। हमारे योजनागत विकास में जो साधन डाले गए उन्ही का योगदान दिखाई दिया और हमारी इन मामूली उपलब्धियों में किसी मानवीय सामर्थ्य की भूमिका न्यूनतम रही। उन्हीं दिनों मेरी यह भी राय बनी जो आज भी कायम है कि भारत के आम लोग खासतौर पर ग्रामीण, किसी भी मायने में इंग्लैंड या पश्चिम के दूसरे देशों में रहने वाले वैसे ही लोगों से प्रतिभा, कार्यक्षमता और कल्पनाशीलता में किसी कदर उन्नीस नहीं ठहरते। अपनी मामूली पूँजी और दूसरे साधनों के बावजूद देश की खेती और उद्योग धंधों की सभी जरूरतों को पूरी करके उसने बताया है कि वह बीसवीं सदी मध्य के पश्चिमी किसान और कारीगर के मुकाबले कहीं बेहतर है।

इन्हीं बरसों में यानी 1950 और 1960 के बीच मैं जानता था कि राष्ट्रीय अभिलेखागार किसे कहते हैं। दिल्ली में मैं इसके पास से भी कई बार गुजरा था। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि हमारे समाज और उसके अतीत या हमारे जीवन में इन अभिलेखागारों का क्या संबंध है। ग्रामीण विकास के विभिन्न केंद्रों और 1957 के बाद बनी पंचायती राज संस्थाओं की यात्रा के दौरान ग्रामीण इलाकों में मैं जो काम कर रहा था उससे मुझे यह समझ में आ गया कि हममें से अधिकांश अपने देशवासियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अपने लक्ष्यों के प्रति हमारी गहरी निष्ठा हो सकती है या अपने देश के लोगों के प्रति हमारा गहरा प्रेम हो सकता है। लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि हमारे देशवासी किस तरह सोचते हैं, जब भी कोई समस्या उनके सामने आती है उसे वे कैसे हल करते हैं, उनकी अपनी प्राथमिकाएं क्या है। यहां तक कि हमें अपने काम करने के इलाकों के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक परंम्पराओं के बारे में कुछ नहीं मालूम।

अतीत के बारे में हमारी एक मोटी धारणा बनी हुई है कि हमारे ग्रामीण कोई हजार या उससे ऊपर सालों से बेहद गरीबी में जी रहे हैं। उसके शासकों और उनके सामाजिक व धार्मिक रीति–रिवाजों के द्वारा उनका भयानक शोषण हुआ है और उन्हें अत्यन्त पीड़ाजनक स्थितियों में रखा जाता रहा है। इन परिस्थितियों ने उन्हें कुंठित कर रखा है। वे या तो दिग्भ्रमित रहते हैं या अंधविश्वास और पूर्वाग्रहों के शिकार। इन मान्यताओं के आधार पर हमने यह नतीजा निकाल लिया है कि हमें यानी नए भारत के निर्माताओं को कोरी स्लेट पर अपनी इबारत लिखनी है और इसलिए उस पर जैसा चाहें वैसे विचार और व्यवस्था की छाप लगा सकते हैं। हमने यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि इन लोगों की अपनी कोई स्मृति है, अपने विचार है, प्राथमिकताएं हैं, अभिरूचियां हैं। जब ऐसा सोचा भी गया तो उसे महत्त्वहीन मानकर दरकिनार कर दिया गया। और जब, हम इन कोरी स्लेट मान लिए गए लोगों पर अपनी मान्यताएं रोप नहीं पाये या इन मान्यताओं को कोई स्थायी रूप नहीं दे पाए तो हमें बुरा लगा और अक्सर हमें इन लोगों पर गुस्सा आया जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हम अपने सुख–चैन को ही नहीं, अपने जीवन तक का बलिदान किये हुए हैं। अगर मुझे यह कहने का अधिकार हो तो अब तक जो मैंने कहा कि वह एक माने में उस पूरी पीढ़ी की ही मान्यता रही है जो किसी सामाजिक या सार्वजनिक काम में इधर लगे हुए रहे। ❖

आधुनिक जीवन शैली से नदियों की जीवनधारा पर संकट : वंदना शिवा

हिमालय के विशाल ग्लेशियरों के पिघलने, बड़े–बड़े बांधों के बनने और जल पुनर्भरण क्षेत्रों पर होने वाले कब्जों से नदियों की जीवनधारा पर संकट गहरा गया है। भारत और चीन में औद्योगिक इकाइयों ने बहुसंख्या में अपना आधिपत्य जमा लिया है, इन औद्योगिक इकाइयों के कारण नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है। यह कहना है रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टैक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी की अध्यक्षा वंदना शिवा का।

मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित और यमुना सत्याग्रह के संचालक डॉ. राजेन्द्र सिंह ने कहा कि यमुना नदी में निर्माण करना दिल्लीवासियों और देशवासियों के साथ अन्याय है। दिल्ली सरकार सीमेंट कंकरीट का जंगल बनाकर आरामदायक जीवन बनाने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर रही है लेकिन सीमेंट कंकरीट का जंगल बनाकर और एक नदी की हत्या करके दिल्लीवासियों के जीवन को सुखदायी नहीं बनाया जा सकता।

उन्होंने कहा कि यमुना को बचाने के लिए पिछले अगस्त से यमुना सत्याग्रह चालू है और यमुना पर होने वाले निर्माण को रोकने और नदी को शुद्ध–सदानीरा बनाने का यह सत्याग्रह आगे भी जारी रहेगा। उन्होंन कहा कि राजधानी बसने से भी पहले से यमुना प्रवाहित होती थी और आज केवल नौ दिनों के खेल के लिए सदियों पुरानी इस यमुना को लूटा और बेचा जा रहा है। खेल गांव तो अन्य स्थानों पर भी बन सकता है लेकिन सरकार तो जैसे सिर्फ यमुना पर ही खेलगांव बनाने पर आमादा है। खेलगांव की प्रस्तावित जगह सीजमिक जोन चार में आती है और बाढ़ व भूकंप संभावित है लेकिन बावजूद इसके सरकार हजारों करोड़ रुपये डुबाने व यमुना नदी को नष्ट करने पर आमदा है।

कार्यक्रम में 'सिटिजन्स फ्रंट और वॉटर डेमोक्रेसी' के सह–संयोजक एसए नकवी ने इस मौके पर कहा कि नदी का ताल्लुक किसी देश या राज्य की सभ्यता और संस्कृति से होता है इसलिए साफतौर पर कहा जा सकता है कि नदियों का हनन यानी वहां की संस्कृति और सभ्यता पर सीधे आघात। उन्होंने कहा देश में पानी का सबसे बड़ा स्रोत वर्षा है लेकिन फिर भी हमारे जल प्रबंधन में कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि वर्षा का ज्यादातर पानी नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है। राजधानी में गहराते जलसंकट के बारे में उन्होंने कहा कि अगर राजधानी के हिस्से का पूरा पानी यमुना में आने दिया जाए तो 25 फीसदी कम जलक्षरण होगा और साथ ही नदी अपने रास्ते में पड़ने वाले भूमिगत स्रोतों को भी नवजीवन देगी। लेकिन दुख की बात है राजधानी में वजीराबाद से लेकर ओखला के बीच बहने वाली यमुना नदी विभिन्न कब्जों के कारण संकट में है। उन्होंने कहा यमुना को बचाने के लिए पिछले लगभग ढाई महीने से से राजधानी में यमुना सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा हुआ है और इस आंदोलन में आम जनता की सहभागिता को भी जोड़ने के लिए 25 अक्तूबर से एक जन रैली की शुरूआत की गई है, जो सात नवंबर को समाप्त हुई।

नदियों के बचाव में अपनी सहभागिता दर्शाते हुए 'इंटरनेशनल वाटर कीपर्स एलायंस' के स्कॉट एडवार्ड भी इस कार्यक्रम में शामिल थे।

चावल निर्यात के विरोध में आंदोलन

ज्यों–ज्यों विश्व व्यापार संगठन के तहत दोहा वार्ता का समापन दौर नजदीक आ रहा है वर्तमान संप्रग सरकार अमरीका एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में किसानों, छोटे–छोटे चावल निर्यातकों, मजदूरों के विरोध में निर्णय ले रही है। सरकार द्वारा चावल निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध इसका जीता–जागता उदाहरण है। कृषि मंत्रालय पिछले कई वर्षों से किसानों के विरुद्ध निर्णय ले रही है। चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण देश के बाजार एवं मंडियों में चावलों के मूल्य (भाव) गिर गए हैं, किसानों को उनका लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। स्थितियां इतनी विषम हो गई हैं कि धान–चावल सप्ताह भर से मंडियों में उचित भाव नहीं मिलने के कारण सड़कों पर पड़ा है। पर्व–त्यौहार के मौसम में कहां तो किसान–व्यापारी खुशियां मनाते, है जबकि निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध के कारण संघर्ष एवं आत्महत्या करने पर विवश है। चावल की किस्म 1121, आर–10, शर्बती, बासमती की कुछ प्रजातियों पर लगे प्रतिबंध से सरकार के किसान विरोधी रवैया का पता चलता है। सरकार देश के अन्य भागों में किसान आत्महत्या को तो रोक नहीं पा रही है। वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों के किसानों को आत्महत्या करने पर बाध्य कर रही है। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में गेहूं का आयात कर रही है और चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं अमरीका के दबाव में जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं। यदि यही रवैया रहा तो किसान – मजदूर – व्यापारी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आंदोलन की यह चेतावनी स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में लोक–स्वराज अभियान, राष्ट्रीय आंदोलन, ऑल हरियाणा किसान समिति, एवं किसान क्लब हरियाणा आदि ने दिल्ली के जंतर–मंतर पर आयोजित धरना–प्रदर्शन के समय दी है।

संसद को घेरेगा भारतीय मजदूर संघ

भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने केन्द्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में संसद को घेरने का फैसला किया है। मजदूर संघ के मीडिया प्रमुख अश्विनी राणा ने बताया कि केन्द्र सरकार मजदूर, छोटे उद्योग, कृषि मजदूर एवं किसान हितों की अनदेखी कर बड़े औद्योगिक घरानों एवं विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। मीडिया प्रमुख के अनुसार सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों, विशेष आर्थिक जोन, ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण व महंगाई के विरोध में जयपुर के कार्यकर्ता एकजुट होकर संसद का धिराव करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार 26 नवम्बर को बिजली यूनियन व महासंघ, 27 नवम्बर को ट्रॉसपोर्ट बैंक यूनियन व महासंघ, 4 दिसम्बर को पब्लिक सेक्टर व टेलीकॉम की यूनियंस, 12 दिसम्बर को रेवले, डिफेंस, पोस्टल केन्द्रीय व राज्य कर्मचारी सहित अन्य यूनियन्स संसद पर प्रदर्शन करेंगी।

बैंगन को लेकर विवाद

कर्नाटक में बैंगन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इससे बैंगन की उन्नत किस्म तैयार करने के लिए अमरीका की सहायता से चलाया जा रहा जैव तकनीक कार्यक्रम खटाई में पड़ सकता है। इस कार्यक्रम के तहत धारवाड़ स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों ने बैसिलस थुरिएंजिएंसिस (बीटी) जीन से युक्त बैंगन की किस्म का मैदानी परीक्षण किया। बैंगन की यह किस्म कीटरोधी है और इसमें किसान को कीटनाशकों पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते लेकिन देश के ख्याति प्राप्त जीव वैज्ञानिक

और हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ न्यूट्रीशन के पूर्व उप निदेशक रमेश भट्ट ने चेतावनी दी है कि बीटी बैंगन का परीक्षण खेत में करने से बैंगन की प्राकृतिक किस्म मत्तु गुल्ला में भी बीटी जीन प्रवेश कर जाएगा। यह बैंगन पवित्र माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसके बीज 15वीं शताब्दी में हिंदू संत वाडीराजा ने मत्तु गांव के लोगों को दिए थे। हाल ही जर्नल करेंट साइंस में प्रकाशित रपट में भट्ट ने कहा है कि हर दो साल में उडुपी स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में 15वीं शताब्दी से ही उत्सव मनाया जाता है और भगवान को मत्तु गुल्ला से बने व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। यह बैंगन लोगों के भोजन का अभिन्न अंग है। मत्तु गुल्ला बैंगन की अन्य प्रजातियों से अलग होता है, इसमें विशेष प्रकार की खुशबू आती है। इसका छिलका बहुत पतला होता है और पानी में उबालने पर घुल जाता है। इस मत्तु गुल्ला की पवित्रता को बनाए रखने के अभियान से जैव तकनीक कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। भट्ट के अनुसार बैंगन (वानस्पतिक नाम – सोलेनम मेलोजिना) की उत्पत्ति भारत में ही हुई और इसे अनंतकाल से भोजन में सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। रामायण में भी बैंगन का उल्लेख है।

दिल्ली में घटेंगे नौकरियों के अवसर

दिल्ली को विश्व स्तर की राजधानी के रूप में विकसित करने के प्रयासों का एक ऐसा नतीजा भी निकलने की संभावना है जिससे यहां रोजगार की खोज में आने वालों की संख्या घटने लगे। दिल्ली में नौकरी के अवसरों में कमी आने का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के 61वें सर्वेक्षण निष्कर्षों से उपजे एक अध्ययन में लगाया गया है। डॉ. बी.के. शर्मा और एन.टी. कृष्णा द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में रोजगार–बेरोजगारी की स्थिति के बारे में एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि दिल्ली रोजगार सुलभ करवाने के अपने वर्तमान स्तर को निकट भविष्य में कायम नहीं रख सकेगी। उनका शोध पत्र सोमवार को यहां सांख्यिकी एवं कार्यक्रम में क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सेमिनार में पेश किया गया। दो दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रो. सुरेश तेंदुलकर ने किया। शर्मा–कृष्णा शोध पत्र में 61वें चक्र (2004–05) से 50वें चक्र (1993–94) के बीच के रोजगार–बेरोजगारी के आंकड़ों की तुलना प्रस्तुत की गई है। इसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, पुणे और भोपाल जैसे शहरों में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। इसके विपरीत मुंबई, चेन्नई, बेंगलूर, अहमदाबाद, सूरत, इन्दौर और कानपुर में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। सूरत में तो 50वें चक्र और 61वें चक्र के बीच बेरोजगारी की दर 52 प्रति एक हजार से गिरकर मात्र दो प्रति हजार रह गई। इस शोध पत्र का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें निकट भविष्य में चेन्नई और कोलकाता में रोजगार की स्थिति में सुधार की संभावना बताई गई है। कोलकाता के बारे में इसमें कहा गया है कि कम्युनिस्ट शासित राज्य पश्चिम बंगाल में पूंजीवाद का रास्ता अपनाये जाने से स्थिति में सुधार की आशा बलवती हुई है।

किसानों की बदहाली

पंजाब में कृषि क्षेत्र दिनों–दिन बदहाल होता जा रहा है। 25,000 करोड़ रुपये के कर्ज तले दबे राज्य के किसान, जो राज्य की हरित क्रांति का हिस्सा बने थे, तेजी से अपने पुश्तैनी धंधे को छोड़ रहे हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि प्रोफेसर

चरित्र निर्माण और विश्वास का संकट

देश के सामने चरित्र निर्माण और विश्वास का संकट बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक जीवन में चरित्र की कमी सर्वत्र दिखाई देती है। समाज में एक दूसरे के प्रति भेदभाव, अमर्यादित शोषण जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। हम शांति के मिथ्या भ्रमों में फंस चुके हैं। छोटे उद्योग और छोटे व्यापारी खत्म हो रहे हैं। किसान आत्महत्या करने को विवश है। बेकारी, गरीबी, भुखमरी की समस्याएं कम होने के बजाए बढ़ रही हैं। जनहित बड़ा है या सरकार हित, इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश समाज, गरीब, मजदूर, किसान की चिंता करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री मोहन राव भागवत ने सुझाव दिया है कि देश के सामने चरित्र निर्माण और विश्वास का बढ़ता संकट केवल व्यवस्था परिवर्तन से संभव नहीं बल्कि इसके लिए समाज को बदलना होगा।

विगत 16 अक्टूबर को पुणे पत्रकार प्रतिष्ठान एवं पुणे श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से आयोजित जयन्त राव तिलक स्मारक व्याख्यान में श्री मोहनराव भागवत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में चरित्र की कमी और विश्वास का संकट भविष्य के प्रति चिंतित समाज के सामने यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है। केवल व्यवस्था बदलने से भाग्य परिवर्तन नहीं होगा इसलिए समाज को बदलना होगा। आवश्यकता है कि समाज का स्वयं में विश्वास पुनः स्थापित किया जाए। रामसेतु मामले में श्री भागवत ने सरकार से प्रश्न किया कि वह बताए कि जनहित बड़ा है या सरकार हित।

श्री भागवत ने कहा कि आज समाज में एक–दूसरे के प्रति बढ़ता भेदभाव और अमर्यादित शोषण जैसी समस्याओं का समाधान भारतीय विचार प्रणाली के माध्यम से ही संभव है। भारत इन सभी समस्याओं का समाधान कर विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में है। और हमें यह विश्वास है कि भारतीय जीवन पद्धति और विचारों पर चलकर यह देश महाशक्ति अवश्य बनेगा। श्री भागवत ने कहा कि लोकतंत्र टिकना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में लोकहित किसकी दृष्टि में है? 'लोक' का सच्चा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, यह विचारणीय विषय है। इसके साथ ही श्री भागवत ने कहा कि समाज में जो विरोधाभास विद्यमान है, उसके समाधान की चिंता किए बिना हम देश के वैभव का स्वप्न साकार करने में कठिनाई महसूस करेंगे। देश परिवर्तन के मार्ग पर चले यही आज की आवश्यकता है।

श्री राम के अस्तित्व और राम सेतु के मुद्दे पर श्री मोहन राव भागवत ने कहा कि भारत एक प्रकार से विरोधाभासों का देश बन चुका है। एक और देश की सामान्य जनता जीवन के प्रथम क्षण से अंतिम क्षण तक श्री राम के प्रति भक्तिभाव रखती है, जबकि दूसरी ओर करूणानिधि जैसे नेता हैं, जो जन–जन की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम का अपमान करते हैं। परमाणु संधि पर सरकार द्वारा कदम वापस लेने के फैसले पर श्री भागवत ने कहा कि सरकार के समर्थकों में करूणानिधि जैसे लोग भी हैं जो कहते है, कि अमरीका से परमाणु संधि की अपेक्षा सरकार का बचे रहना अधिक जरूरी है।

पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश

पाक प्रायोजित आतंकवाद की चिंता को धर्म और राजनीति से जोड़कर हमारे ही देश के तथाकथित नेता पाकिस्तान का समर्थन कर इस देश में हिन्दुओं को मुसलमानों का विरोधी बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश करने वालों के लिए यह खबर निश्चित ही अच्छी नहीं होगी कि अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। अमरीकी पत्रिका न्यूजवीक ने अपनी एक रपट में कहा है कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथी मुसलमानों का भरोसेमंद नेटवर्क, पश्चिम विरोधी फौज, आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र और इलाके आदि ऐसे पहलू हैं जो अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के लिए काफी मददगार और अनुकूल साबित हो रहे हैं। रपट के मुताबिक उस देश का बड़ा और बढ़ता एटमी कार्यक्रम भी अब आतंकवादियों की जरूरत बन चुका है। रपट में उल्लेख है कि पाकिस्तान के दूरदराज के कबाइली इलाके आतंकवादियों के कब्जे में हैं। तालिबान और अलकायदा ने देश के कई शहरों में अपनी पैठ बनाली है, जिससे आतंकवादियों को अपना कुचक्र चलाने के लिए जगह मिली हुई है। पाकिस्तान में तालिबानी आतंकवादी आराम से आ–जा सकते हैं। उनके घायल और बीमार साथी यहां के निजी अस्पतालों में बिना किसी दिक्कत के इलाज कराते हैं।

रपट में बताया गया है कि आतंकवादियों को यहां बंदूकें आसानी से मिल जाती हैं। सर्दियों में जब अफगानिस्तान में लड़ाई रूक जाती है तो हजारों आतंकवादी पाकिस्तान के मदरसों में आराम करते हैं और यहां कुरान की तालीम हासिल करते हैं। तेज दिमाग वाले आतंकवादी कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, वीडियो प्रोडक्शन और अंग्रेजी के कोर्स भी करते हैं। इसके अलावा ये आतंकवादी मस्जिदों में दबकर नहीं रहते। आतंकवादी यहां सेवा का काम करते हैं और नमाज के बाद की तकरीर में जेहाद के लिए सहायता की अपील भी करते हैं। तालीम और अन्य इस्लामी आतंकवादियों के लिए पेशावर महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनकर उभरा है। इस्लामाबाद स्थित इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की दक्षिण एशिया निदेशक सहमन अहमद कहती हैं कि आतंकवादी करतूत करने वालों के लिए अब छुपकर रहना जरूरी नहीं हैं। वे क्वेटा जैसे शहरों में मौजूद हैं, क्या राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ उन्हें पकड़ सकते हैं। अमरीकी सुरक्षा परिषद के दक्षिण एशिया मामलों के पूर्व निदेशक ब्रुस रीडेल बताते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा और तेजी से बढ़ता एटमी कार्यक्रम चिंता की एक और वजह है। वे कहते हैं कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अलकायदा को बम कहां से मिलेगा तो यह ठीक आपके बगल में है।

द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण की रपट के मुताबिक पिछले दो दशकों के दौरान घाटे को न सहन कर पाने की वजह से दो लाख से भी ज्यादा किसानों ने खेती से अपना मुहं फेर लिया। वे अब या तो अपनी जमीनों को बेच रहे हैं या उन्हें खेती के लिए कॉनट्रैक्ट पर दे रहे हैं। पंजाब, कृषि आयोग के प्रायोजन में तैयार हुई इस रपट के मुताबिक कृषि क्षेत्र में गिरावट की स्थिति 1991 में शुरू हुई लेकिन 2002 में इसमें जयादा गिरावट आ गई जब जोतों का आकार और छोटा हो गया और कर्ज के कारण बढ़ते हुए व्यापार के अवरोध बहुत ज्यादा हो गए। यह बात सामने आई है कि 64 फीसदी किसानों ने कृषि को लाभकारी उद्यम न देख खेती करनी छोड़ दी, जबकि 34 फीसदी किसानों ने जोतों में विभाजन के कारण खेती करनी छोड़ी, जबकि 32 फीसदी किसानों ने बड़ी तादाद में आत्महत्या कर ली जिससे खेती करने वालों के बीच भारी हताशा और निराशा फैल गई। 42 फीसदी से भी ज्यादा किसानों ने अपना व्यवसाय छोड़ने के बाद दिहाड़ी मजदूरों के रूप में काम करना शुरू कर दिया। दस फीसदी लोग डेयरी फार्मिंग में चले गए और बाकी लोग निरुद्देश्य घूम रहे हैं।

पत्रकारिता का राष्ट्रीय दायित्व

वैश्वीकरण के इस दौर में विकासशील देशों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सामने आज अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। विदेशों की बड़ी–बड़ी कंपनियों के हस्तक्षेप के कारण जो चुनौतियां बढ़ी हैं उससे निपटना यहां के मीडिया के लिए एक चुनौती है। जनता दल (युनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव ने दिल्ली में आयोजित कंचना स्मृति व्याख्यान माला में ''मीडिया का राष्ट्रीय दायित्व'' विषय बोलते हुए कहा कि मीडिया पर आज गलत लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है और गलत लोगों के साथ मिलकर चैनलों पर दिन रात बे सिर पैर की बातें दिखायी जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष रूप से अपना दायित्व निभाने में असफल है, और कई चैनल जो विदेशी पैसे से चल रहे हैं, अश्लीलता पसोरने में लगे रहते हैं। इसका दुष्परिणाम समाज में हो रहे मूल्यों के स्खलन में साफ दिखायी देता है। स्वर्गीय कंचना को स्मरण करते हुए श्री शरद यादव ने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की व्यथा ही स्वर्गीय कंचना की कथा है। विषय को आगे बढ़ाते हुए दैनिक भास्कर के संपादक श्रवण गर्ग ने कहा कि पत्रिकारिता की प्रतिबद्धता भी बाजारोन्मुखी हो गई है इसलिए रेहड़ी, पटरी और खोमचे वालों सहित गरीब–गुरबों की आवाज आज की पत्रकारिता से गायब हो गई है। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री अच्युतानंद मिश्र ने कहा कि पत्रकाकरिता के प्रतिमान महात्मागांधी थे जो राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाषा, स्वदेशी, महिलाओं एवं दलितों को पत्रकारिता में उचित स्थान देने का हमेशा महत्व देते थे। आज मीडिया को स्वयं का नैतिक नियंत्रण विकसित करना होगा। गांधी शांतिप्रतिष्ठान की अध्यक्षा एवं गांधीवादी सुश्री राधा भट्ट ने कहा कि संस्था के न्यासी श्री अवधेश का जीवन गांधी जी के पत्नीव्रता व्यक्ति के मापदंड के अनुरूप है। उन्होंने गांधी युग के मीडिया के मापदंडों को आज के मीडिया के लिए आदर्श मान अपनाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में कंचना स्मृति न्यास की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया। इस बार यह पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार वीरेन्द्र मिश्र को स्मृति चिन्ह शाल एवं प्रशारित पत्र देकर किया गया।

सोयाबीन उद्योग को खतरा

भारत में उन्नत किस्म के खाद्य तेल और मक्का से बनी चीजों के आयात के लिए

केन्द्र सरकार से मिली हरी झंडी के बाद देश के लाखों सोयाबीन उत्पादित किसान और सोयाबीन उद्योग पर संकट के बादल मडरा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हाल ही में ऐसे खाद्य पदार्थों के आयात पर लगी पाबंदी हटा दी है, जिसमें उन्नत किस्म के गुण हो सकते हैं। केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि जीएम पद्धति से बने बीज, पौधों आदि ऐसे खाद्य पदार्थों के आयात पर ही रोक यथावत रहेगी, जिनका उत्पादन भारत में होता है। जबकि खाने के तेल आदि ऐसे पदार्थों के आयात की छूट दे दी गई जिसे विदेश में जी.एम.गुण वाले बीज से उत्पादित और प्रसंस्कृत किया गया है। म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखे एक पत्र में खाद्य आयात नीति के दुष्परिणामों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि इस दोषपूर्ण नीति से सोयाबीन से जुड़े लाखों काश्तकारों और उद्योगों के सामने आजीविका का खतरा पैदा हो गया है। श्री चौहान ने भारत सरकार के फैसले को देश के विशेषकर सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी म.प्र. के काश्तकारों और उद्योगों के लिए घातक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार से खाद्य तेलों के आयात को दी गई छूट से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा।

ठेंगड़ी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा

15 अक्टूबर 2007 को पुरुषोत्तम हिन्दी भवन सभागार, आई.टी.ओ. नई दिल्ली में राष्ट्र ऋषि स्व. श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं परिचर्चा का आयोजन ठेंगड़ी विचार मंच द्वारा किया गया। परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी ने श्री ठेंगड़ी जी के अमर कर्तव्य पर अपने विचार रखे, तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में श्री ठेंगड़ी जी के साथ बिताए समय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर चर्चा में भाग लेते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवाल मैत्र जी ने कहा कि इस देश में महान आत्माऐं समय–समय पर जन्म लेती रहीं हैं। उसी परंपरा में राष्ट्र ऋषि स्वं. श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म हुआ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दिल्ली प्रांत संघ चालक माननीय श्री रमेश प्रकाश जी भी इस कार्यक्रम में पूरे समय उपस्थित रहे। उन्होंने भी स्व. श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की आजीवन समाज सेवा भावना को जन–जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दिल्ली प्रांत प्रचारक श्री प्रेमकुमार जी एवं पूर्व सांसद बी.एल. शर्मा (प्रेम सिंह शेर) ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठेंगड़ी विचार मंच के संयोजक श्री धनवंतराय मलिक ने की।

खेती चैनल–हरियाली का शुभारंभ

धार्मिक चैनलों के समूह में साधना चैनल एक स्थापित नाम है। यह चैनल अब हरियाली नाम से एक नया चैनल लेकर आ रहा है। 2007 के अन्त तक इसके प्रसारण की शुरूआत होगी। दिल्ली में 18 अक्टूबर को इसका शुभारंभ दिल्ली से किया गया एवं इस अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिहं कैबिनेट मंत्री मीरा कुमार, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, नेता, भाजपा, सीबीआई के पूर्व निदेशक श्री जोगिन्दर सिंह सहित समाजवादी पार्टी के महासचिव अमरसिंह भी मौजूद थे। चैनल के मुखिया राकेश गुप्ता के अनुसार चैनल में ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार, मंडी भाव, बाजार भाव आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। यह क्षेत्र मुख्य धारा की मीडिया से आजतक अछूता रहा है। हरियाली चैनल के पीछे छिपी प्रेरणा को उजागर करते हुए श्री राकेश गुप्ता ने कहा कि जट्रोफा खेती के सिलसिले में जब वे तमिलनाडु के सतनकुलम गांव गए तो देखा कि जानकारी के अभाव में किसान परेशान हैं। उन्हें अपनी खेती एवं उससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी नहीं मिल पायी है। उनका प्रयास होगा कि हरियाली टीवी किसानों का मित्र एवं समाधानकर्ता के रूप में अपने को प्रस्तुत करे।

वर्तमान में 300 से अधिक चैनल देश में चलाए जा रहे हैं। लेकिन वे मनोरंजन, गीत, खेलों तक ही सीमित हैं। खेती से जुड़े मसलों के लिए उनके पास सीमित समय होता है। ग्रामीण विकास मंत्री ने हरियाली टीवी जिंदाबाद कहते हुए कहा कि हरियाली टीवी आने वाले दिनों में गांव, गरीबों, खेती और किसानों की आवाज बनेगा यही शुभकामना है। इस अवसर पर बोलते हुए, भाजपा नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि विदेशी कंपनियां अपना उत्पाद बेचने के लिए किसानों को गुमराह करती है, ऐसे में उन्हें जागरूक बनाना आवश्यक है। हरियाली टीवी कृषि विशेषज्ञों की टीम हमेशा उपलब्ध रहेगी जो तत्काल ही पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देगी। साथ, ही कृषि एवं ग्रामीण विकास, कृषि तकनीक एवं नए शोधों की जानकारी, खेती में नए प्रयोग, भूमि, जंगल, जल, खाद, स्वास्थ्य एवं प्रौढ शिक्षा आदि प्रमुख विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी।

कमलनाथ को डब्ल्यूटीओ वार्ता की सफलता का भरोसा

भारत ने उम्मीद जाहिर की है कि यूरोपीय संघ और अमरीका विश्व व्यापार के सांगठनिक दोषों को दूर करने के लिए एक दूसरे को राजी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने डब्ल्यूटीओ के प्रमुख पास्कल लामी के साथ हुई मुलाकात के ठीक बाद संवाददाओं को बताया कि ' मैं वार्ता सफल होने की उम्मीद कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि यूरोपीय संघ तथा अमरीका दोनों एक दूसरे को राजी कर लेंगे।' जिम्मेदारी तय करने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा यह ऐतिहासिक सत्य है कि वैश्विक व्यवहार संगठित रहा है। अब इसे औद्योगिक और कृषि दोनों किस्म के उत्पादों के मद्देनजर ठीक करना जरूरी है। दोहा दौर के समझौते को निर्णायक रूप देने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि 'हम कृषि में अनिश्चित समय तक संरचनात्मक प्रवाह पर सहमत नहीं है। यदि वे समझौता चाहते हैं तो अच्छी बात है लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं।'

नहीं बदला है भारत का रूख

यह पूछने पर कि क्या वह अपनी स्थिति में तब्दील लाने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा कि, 'कोई ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ मैं सिर्फ सांगठनिक दोषों को दूर करने की बात कर रहा हूं। 'कमलनाथ ने कहा कि 'मैं अपनी स्थिति से कैसे हट रहा हूं? मैं यह तो नहीं कह सकता कि सांगठनिक दोष अच्छी चीज है।' भारत के नेतृत्व में विकासशील देश इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि अमरीका समेत सभी अमीर देश कृषि पर दी जा रही सब्सिडी कम करें। दूसरी ओर विकसित देश अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए विकासशील देशों में पहुंच की मांग कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश से कहा था कि विश्व व्यापार वार्ता प्रक्रिया में भारत कृषि पर निर्भर अपनी 65 करोड़ जनसंख्या की अनदेखी नहीं कर सकता है।

वार्ता अमरीका पर निर्भर

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की दोहा राउंड की वार्ता के दौरान औद्योगिक उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी कटौती करने के अमरीका के प्रस्ताव का विरोध कर रहे विकासशील देशों का कहना है कि अब गेंद अमरीका के पाले में है, वह चाहे तो दोहा राउंड की वार्ता को फिर से पटरी पर ला सकता है। विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने प्रस्ताव के मसौदे को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि अमरीका विकासशील देशों को तो भारी शुल्क कटौती करने के लिए कहता है लेकिन खुद अपने यह उतनी कटौती करने का तैयार नहीं है।

डब्ल्यूटीओ के एक अधिकारी ने बताया कि गैर–कृषि बाजार एसेस या नामा पर तैयार मसौदे पर चर्चा के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राजदूत ने यह ऐतराज किया। यह मसौदा कनाडा के राजदूत डॉन स्टीफेंसन ने तैयार किया है। इस संबंध में अगले सप्ताह प्रिटोरिया में होने वाली बैठक में तस्वीर साफ होगी। इस बैठक में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भाग लेंगे। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि सुसन श्वाब के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने चेतावनी दी है कि इस तरह से दोहा राउंड की वार्ता खटाई में पड़ सकती है। यह मसौदा गलत दिशा में है। लेकिन विकासशील देशों के वार्ताकारों ने कहा कि उनकी चिताएं भी सही हैं। उनका प्रस्ताव है कि समझौता रचनात्मक होना चाहिए। दोहा राउंड की वार्ता में इस पर सहमति हो चुकी है कि संपन्न देशों को विकासशील देशें के हितों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा कटौतियां करनी चाहिए।

विश्व व्यापार वार्ता वर्ष 2001 में इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन देते हुए विश्व व्यापार के लिए समान नियम बनाए जाएं, जिससे कि गरीब देशों को फायदा हो। फिलहाल अमरीकी व्यापार प्रवर्तन प्राधिकरण (टीपीए) के भंग होने से वार्ता में बड़ी रुकावट आ गई है, जिसका पुनर्गठन अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर टल गया है।

समझा जाता है कि अमरीका की घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि और अमरीकी सरकार के बीच तालमेल बिगड़ा हुआ है।

कृषि की चिंता अधिक

वाणिज्य और उद्योग मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि विश्व व्यापार वार्ता में किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए देश के गरीब किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि 'आज यहां हम हैं वह दोहा दौर कि समाप्ति के बेहद करीब है। मुझे उम्मीद है कि अगले दो महीनों में हम इसके किसी समान बिन्दु को तलाशने में सफल होंगें।'

उन्होंने कहा कि भारत की मुख्य चिंता कृषि को लेकर है और जब तक उसकी संवेदनशीलता का ध्यान नहीं रखा जाता तब तक वह अन्य क्षेत्रों में लचीलापन अख्तियार करने की स्थिति में नहीं होगा। भारत, ब्राजील और अन्य विकसित देश अमरीका और यूरोपीय संघ जैसे धनी देशों से कृषि सब्सिडी में कटौती करने के लिए कहते रहे हैं जबकि विकसित देशों के औद्योगिक शुल्क को कम करने के दबाव से बचते रहे हैं।

दोहा दौर अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है। क्योंकि गरीब और धनी देश विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति कायम करने में विफल रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि धनी–देश किसानों के अस्तित्व और जीवनयापन की सुरक्षा के बारे में वार्ता करने को इच्छुक नहीं हैं। इससे पहले वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने भी उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा गैर शुल्क बाधाएं खड़ी किए जाने के प्रति चिंता का इजहार किया था।